अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विशेषकर पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के विकास के संवाहक के रूप में वृद्धिशील मान्यता मिली है। यह विशेषत: विकासशील देशों, जो अब विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अधिक एकीकृत होकर विकास के महत्त्वपूर्ण अंग बन चुके हैं, के मामलों में अधिक परिलक्षित हुआ है।

वैश्विक बाजार में दक्षिण (विकासशील देशों) के बढ़ते प्रभाव का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वैश्विक पण्य निर्यातों में दक्षिण का हिस्सा अस्सी के दशक के मध्य में 20 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007 में 45 प्रतिशत तक पहुँच गया है, जो गत वर्षों में सर्वाधिक है। विकासशील देशों के निर्यातों में लगभग 19 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि जो कि 2001-2007 की अवधि के दौरान औद्योगिक देशों की 11.7 प्रतिशत की तुलना में है, से इस तथ्य की पुष्टि होती है। वस्तुत: इस अवधि के दौरान वैश्विक पण्य निर्यातों में वृद्धि में विकासशील देशों का 52 प्रतिशत हिस्सा रहा है। इसके साथ ही वैश्विक जी डी पी में दक्षिण का बढ़ता हिस्सा जो कि 2001 में 21 प्रतिशत से बढ़कर 2007 में 28 प्रतिशत हो गया है, भी वैश्विक स्तर पर दक्षिण के बढ़ते प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग और वैश्विक व्यापार संभावनाएँ

इसके साथ ही, हाल के वर्षों में अंत: दक्षिण व्यापार को भी काफी महत्त्व मिला है जो वर्ष 2001 में 915 बिलियन यू एस डॉलर से तीन गुना बढ़कर 2007 में 3 ट्रिलियन यू एस डॉलर हो गया है। दक्षिण-दक्षिण व्यापार का आज कुल वैश्विक बाजार में लगभग 22 प्रतिशत तथा विकासशील देशों के कुल पण्य बाजार में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा है। अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश में तीव्र वृद्धि की बदौलत भारत आज विकासशील देशों में सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।

कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सशक्त आर्थिक ढांचे ने नीतिगत उपायों के जरिए विद्यमान आकस्मिक वैश्विक आर्थिक संकट के प्रभावों से निपटने में सहायता प्रदान की है। यद्यपि विकासशील देश भी इस वैश्विक मंदी से प्रभावित हुए हैं तथापि, इस मंदी से छुटकारा पाने तथा 2010 तक आर्थिक स्थितियों में अपेक्षित सुधार मुख्य रूप से विकासशील देशों में तीव्र सुधारों से ही संचालित होंगे।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक, 1982 में अपनी स्थापना के साथ ही भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्द्धन, वित्तपोषण तथा निवेश के सुगमीकरण के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने में उत्प्रेरकीय भूमिका निभाता रहा है। बैंक के यह प्रयास विशेषकर दक्षिण के देशों में अधिक गहन रहे हैं, जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने में बैंक के योगदान को परिलक्षित करता है।

इस दिशा में बैंक द्वारा किए गए प्रयासों में क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा सुगमीकरण के लिए 1996 में स्थापित एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम तथा वृद्धिशील दक्षिण-दक्षिण व्यापार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2006 में स्थापित एक्ज़िम बैंक तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) आदि बैंक द्वारा प्रारंभ की गई कुछ विशिष्ट पहले हैं।

21वीं सदी का प्रारंभिक दौर असाधारण वैश्विक एकीकरण तथा तेजी से पैर पसारते वैश्वीकरण से प्रभावित था। इस व्यापार विस्तार को दक्षिण के सशक्त उभार तथा विकासशील देशों के बीच व्यापार में वृद्धि से बल मिला। अब दक्षिण की आकर्षक आर्थिक वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभालने तथा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगी। इससे न केवल दक्षिण बल्कि, औद्योगिक देशों की अर्थव्यवस्थाएँ तथा संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएँ भी लाभान्वित होंगी क्योंकि, दक्षिण में तेजी से बढ़ती मांग सभी के लिए व्यापार अवसर उपलब्ध कराएगी।

विषय-वस्तु

निदेशक मंडल	1
गत दशक	2
अध्यक्ष का वक्तव्य	3
आर्थिक वातावरण	7
निदेशकों की रिपोर्ट	23
तुलन-पत्र एवं लाभ हानि लेखा	43

इस वार्षिक रिपोर्ट की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए कृपया **www.eximbankindia.in** देखिए

निदेशक मंडल

डॉ. अरविंद विरमानी
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय

श्री जी. के. पिल्लई
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(10 जून, 2009 तक)

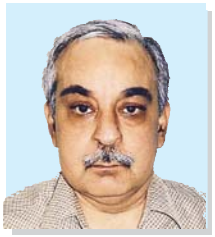

डॉ. राहुल खुल्लर
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(11 जून, 2009 से)

श्री अजय शंकर
सचिव
औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

श्री एच. एस. पुरी
सचिव (ई आर)
विदेश मंत्रालय
(1 मई, 2009 तक)

श्री एन. रवि
सचिव (ईस्ट)
विदेश मंत्रालय
(18 मई, 2009 से)

श्रीमती रवनीत कौर
संयुक्त सचिव (आई एफ)
वित्तीय सेवाएँ विभाग
वित्त मंत्रालय

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री योगेश अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
आई डी बी आई बैंक लिमिटेड

श्री ए. वी. मुरलीधरन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

श्री ओ. पी. भट्ट
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

डॉ. के. सी. चक्रबर्ती
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पंजाब नेशनल बैंक

श्री एम. डी. मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ़ बड़ौदा

डॉ. नागेश कुमार
महानिदेशक
रिसर्च एंड इनफॉर्मेशन सिस्टम्स
फॉर डेवेलपिंग कंट्रीज (आर आई एस)
(5 जून, 2009 तक)

गत दशक

(मिलियन रुपये)

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	संचयी (1999-2009)	वृद्धि (सीएजीआर)
ऋण												
अनुमोदन	28318	21743	42407	78283	92657	158535	204887	267622	328045	336285	1558781	32%
संवितरण	17296	18964	34529	53203	69575	114352	150389	220760	271587	289327	1239982	37%
ऋण आस्तियाँ [1]	50833	56443	68260	87736	107751	129104	175931	228862	287767	341564		24%
गारंटियाँ												
अनुमोदित	4404	2118	5450	9328	10792	15887	43264	49978	21994	16184	179399	16%
जारी	3017	1741	4164	7275	5743	16602	21959	16972	20386	10315	108174	15%
गारंटी संविभाग	11147	10740	11273	16133	15769	23727	34023	35360	34556	35401		14%
संसाधन												
प्रदत्त पूँजी	5500	5500	6500	6500	6500	8500	9500	10000	11000	14000		
आरक्षित राशियाँ	9584	10664	12026	13171	14933	16625	17703	18741	21064	24681		
अपरक्राम्य वचन-पत्र, बाँड और डिबेंचर	20944	22915	33158	64902	76701	98972	126727	154230	179273	215786		
जमा राशियाँ [2]	2617	2797	3416	9121	20922	82	454	702	26741	28191		
अन्य उधार राशियाँ	20354	20255	16619	16467	21583	21064	32909	61684	111149	128046		
कुल संसाधन	70264	73981	82734	123189	155192	156922	201401	262439	373006	442017		
निष्पादन												
कर पूर्व लाभ	2273	2047	2212	2686	3042	3144	3769	3909	5334	6101	34517	
कर पश्चात लाभ	1651	1541	1712	2066	2292	2579	2707	2994	3330	4774	25646	
केंद्र सरकार को अंतरित/ अंतरणीय निवल लाभ अधिशेष	350	380	420	450	470	654	868	956	1008	1157	6713	
स्टाफ (संख्या) [3]	150	154	163	167	190	193	200	212	222	232		
अनुपात												
जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी अनुपात (%)	24.4	23.8	33.1	26.9	23.5	21.6	18.4	16.4	15.1	16.8		
पूँजी पर कर पूर्व लाभ (%)	43.3	37.2	36.9	41.3	46.8	41.9	41.9	40.1	50.8	48.8		
निवल संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%)	16.0	13.1	12.8	14.1	14.2	13.5	14.4	14.0	17.5	17.2		
आस्तियों पर कर पूर्व लाभ (%)	3.6	2.8	2.8	2.6	2.2	2.0	2.1	1.7	1.7	1.5		
प्रति कर्मचारी कर पूर्व लाभ (मिलियन रुपये)	15.3	13.5	14.0	16.3	17.0	16.4	19.2	19.0	24.6	26.9		

1 ऋण-आस्तियाँ, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि. द्वारा निपटाये गये दावों को घटाकर निवल हैं तथा 2004-05 से प्रभावी अनर्जक-आस्तियों के लिए प्रावधानों का निवल भी हैं।

2 जमा राशियाँ प्रति पक्षकारों के साथ रखी जमा राशियों / किए गए निवेशों की अनुरूपी निवल राशियाँ हैं जो 2004-05 से 2006-07 वर्षों के लिए हैं।

3 यह एक्ज़िम बैंक की सेवा में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है।

टिप्पणी : ये आँकड़े सामान्य निधि से संबंधित हैं।

अध्यक्ष का वक्तव्य

वैश्विक आर्थिक संकट तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अन्य विकासशील तथा विकसित देशों की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान समुत्थानशील वृद्धि प्रदर्शित करना जारी रखा है। वर्ष 2008-09 के दौरान जी डी पी वृद्धि 6.7 प्रतिशत अनुमानित है जो कि वर्ष 2007-08 के 9.0 प्रतिशत की तुलना में है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2008-09 के दौरान 33.6 बिलियन यू एस डॉलर के आकर्षक स्तर पर रहा है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास को प्रदर्शित करता है। तथापि, भारतीय निर्यात प्रमुख व्यापार सहभागी देशों में आयात मांग में आई कमी के चलते वर्ष की दूसरी छमाही में प्रभावित हुआ है जिससे प्रमुख निर्यात मदों में कमी आई है। जहां तक आयात का संबंध है, तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में कमी के चलते तेल आयातों में कमी आई किंतु, गैर-तेल आयातों में संपोषी वृद्धि भारत के व्यापार घाटे को तेजी से बढ़ाने में सहायक रही है।

भारत की एक शीर्ष निर्यात वित्त संस्था होने के नाते तथा भारत की विदेश व्यापार नीति के अनुरूप, एक्ज़िम बैंक भारतीय कंपनियों के वैश्वीकरण प्रयासों का बढ़-चढ़कर सुगमीकरण एवं संवर्द्धन करता है तथा निर्यात व्यवसाय के प्रत्येक चरण में अपने विभिन्न वित्तपोषक, सहायकारी और परामर्शी कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का हर संभव प्रयास करता है। एक्ज़िम बैंक भारत में प्रौद्योगिकी के आयात के वित्तपोषण तथा विदेशों में भारतीय कंपनियों के निवेश एवं संयुक्त उद्यमों / अनुषंगियों की स्थापना तथा विदेशी अधिग्रहणों के वित्तपोषण के जरिए दुतरफा प्रौद्योगिकी अंतरण का भी सुगमीकरण कर रहा है। बैंक मध्यम, लघु एवं अति सूक्ष्म, ग्रासरूट व्यवसाय उद्यमों तथा कृषि उद्योगों में निर्यात क्षमता निर्माण संबंधी कार्यों में भी सक्रिय रूप से संलग्न है।

व्यावसायिक पहलें

बैंक ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान करने पर विशेष जोर देता है क्योंकि, यह बाजार पहुँच तथा बाजार विविधीकरण सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम हैं। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात के लिए 783.5 मिलियन यू एस डॉलर की 25 ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान की गईं। वर्तमान में अफ्रीका, एशिया, सी आई एस, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका तथा कैरीबियाई देशों को शामिल करते हुए 94 देशों में 3.75 बिलियन यू एस डॉलर ऋण के साथ बैंक की 114 ऋण-व्यवस्थाएँ कार्यशील हैं। बैंक अब अपने इस कार्यक्रम की भौगोलिक पहुँच तथा मात्रा में तत्परता के साथ वृद्धि करना चाहता है।

भारत के परियोजना निर्यातों की सहायता में बैंक की प्रमुख भूमिका रही है। बैंक ने इस दिशा में अपने प्रयासों को तेज किया है। फलस्वरूप इस वर्ष के दौरान 25 भारतीय निर्यातकों ने 29 देशों में 267.1 बिलियन रुपये की 72 परियोजना निर्यात संविदाएँ बैंक के सहयोग से प्राप्त की हैं। यह भारतीय ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं तथा परामर्शकों द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को प्राप्त करने तथा सफल निष्पादन में उनकी बढ़ती प्रतिस्पर्धी क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

भारतीय कंपनियों के वैश्विक निवेशकों के रूप में स्वयं को स्थापित करने के साथ ही बैंक ने भी ऐसी बहिर्उन्मुखी कंपनियों की अपेक्षाओं को पूरा करने पर अपना ध्यान संकेंद्रित किया है। इस हेतु वर्ष के दौरान विभिन्न बाजारों के विविध क्षेत्रों में विदेशी निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए 16 कंपनियों को निधिक तथा गैर-निधिक सहायता प्रदान की गई। बैंक द्वारा गत वर्षों में औद्योगिक देशों, विकासशील तथा उभरते बाजारों में स्थित 63 देशों में 193 कंपनियों द्वारा स्थापित 241 उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है।

वर्ष के दौरान बैंक ने यूरोपीय संघ की प्रमुख दीर्घावधि ऋणदात्री संस्था यूरोपियन इनवेस्टमेंट बैंक (ई आई बी)के साथ 150 मिलियन यूरो की एक दीर्घावधि ऋण सुविधा हेतु करार किया है। विगत 15 वर्षों में ई आई बी द्वारा किसी भारतीय कंपनी को प्रदान की गयी अपनी तरह की यह पहली ऋण सुविधा है। ई आई बी द्वारा एक्ज़िम बैंक को प्रदत्त इस ऋण का उद्देश्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को रोकने वाली परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने तथा एफ डी आई और यूरोप से प्रौद्योगिकी अथवा तकनीकी ज्ञान के अंतरण के जरिए भारत में यूरोपीय संघ की उपस्थिति को मजबूत बनाना है। इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त ऋण को बैंक द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं सहित ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं, स्वच्छ पर्यावरण तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिए उपकरणों के आयात हेतु कंपनियों को ऋण देने में उपयोग किया जा सकेगा।

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक्ज़िम बैंक को 50 बिलियन रुपये की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की गई। साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक्ज़िम बैंक को एक बिलियन यू एस डॉलर की स्वैप खरीद-बिक्री सुविधा भी प्रदान की गई जिसका उद्देश्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों तथा अन्य विदेशी सत्ताओं को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत संवितरण वचनबद्धताओं को पूरा करने हेतु निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

अपनी ग्रामीण ग्रासरूट व्यवसाय पहलों के माध्यम से बैंक ने ग्रामीण उद्योगों के वैश्वीकरण को सहायता प्रदान करने की कोशिश जारी रखी है। यह कार्यक्रम बैंक के अन्य सहायता कार्यक्रमों पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही देश के ग्रामीण उद्यमियों, पारंपरिक कारीगरों तथा हस्तशिल्पियों के लिए विस्तारित अवसरों का सृजन करना है। इस उद्देश्य के लिए बैंक ने विभिन्न संस्थागत संबद्धताएँ स्थापित करने, संपोषित करने और उनके साथ सहयोग बढ़ाने की अपनी सुविचारित नीति को जारी रखा है। इसी कड़ी में बैंक ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों (आर बी एच) के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय की निर्यात संवर्द्धन गतिविधियों को बढ़ाना है, जो ग्रामीण भारत से निर्यात प्रोत्साहन की बैंक की पहलों के अनुरूप है।

बैंक अपने विशिष्ट निर्यात विपणन सेवा कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में सक्रिय रूप से सहयोग करता है। इसके लिए बैंक अपने विदेशी कार्यालयों तथा संस्थागत संबद्धताओं का उपयोग करने के साथ-साथ विदेशी क्रेताओं तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भारत से विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आयात के लिए क्रेता-ऋण भी प्रदान करता है। बैंक ने एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी निर्यात विकास निधि की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया है जिसका उद्देश्य निर्यात संवर्द्धन के साथ-साथ भारत की ग्रामीण प्रौद्योगिकी की निर्यात क्षमताओं को भी बढ़ाना है।

मझोले, लघु तथा अत्यंत छोटे (एम एस एम ई) उद्यमों को प्रदत्त सहायता को बढ़ाने के लिए बैंक ने राष्ट्रकुल सचिवालय के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों में सहभागिता की है, जिनका उद्देश्य एम एस एम ई पर प्रतिस्पर्धी रणनीतियाँ तथा नीतियाँ विकसित करने में राष्ट्रकुल सदस्य देशों की मदद करना है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रकाशित शोध अध्ययनों में वित्तीय उदारीकरण तथा इसके संवितरक परिणाम; भारतीय पूँजी माल उद्योग: एक क्षेत्रीय अध्ययन; वैश्विक संदर्भ में भारतीय टेक्सटाइल तथा कपड़ा उद्योग: प्रमुख विशेषताएँ तथा मुद्दे; फेयरट्रेड: निर्यात मूल्य में वृद्धि के उचित तरीके; भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग: आगे की राह; सार्क: एक उभरता सशक्त व्यवसाय खंड; इकोवॉस: भारतीय व्यापार तथा निवेश का अध्ययन; आई बी एस ए: महाद्वीपों के बीच आर्थिक सहयोग संवर्द्धन; तथा कैरीकॉम: अमेरिका का प्रवेश द्वार आदि हैं। श्री जस्टिन यिफु लिन, मुख्य अर्थशास्त्री एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विश्व बैंक ने वर्ष 2009 के लिए बैंक का स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान दिया जो ''कींस के अर्थशास्त्र से परे : विकास के प्रोत्साहन'' विषय पर केन्द्रित था।

वर्ष के दौरान बैंक के एक्ज़िमिअस केंद्र द्वारा भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए विविध विषयों पर 26 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें आठ देश/क्षेत्र विशिष्ट व्यवसाय अवसर सेमिनार शामिल हैं। ब्रिटिश मिडलैंड क्षेत्र पर सेमिनारों की एक शृंखला का आयोजन भुवनेश्वर, बैंगलोर तथा हैदराबाद में किया गया। इसी प्रकार के सेमिनार सिटी ऑफ कोपेनहेगेन पर मुंबई तथा चेन्नै में, नार्दन टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया पर हैदराबाद में तथा इसेक्स काउंटी, यू के पर बैंगलोर और हैदराबाद में आयोजित किए गए। एशियाई विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजना में व्यापार अवसरों पर तीन सेमिनारों का आयोजन मुंबई, नई दिल्ली तथा कोलकाता में किया गया जबकि, अफ्रीकी विकास बैंक निधिक परियोजनाओं में व्यापार अवसरों पर सेमिनारों का आयोजन मुंबई तथा नई दिल्ली में किया गया। अंतरराष्ट्रीय विलयनों तथा संग्रहणों पर संकेन्द्रित सेमिनारों का आयोजन बैंगलोर तथा नई दिल्ली में किया गया। लघु एवं मध्यम उद्यमों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए निर्यात प्रक्रिया तथा प्रलेखीकरण पर सेमिनारों का आयोजन बैंगलोर, गैंगटोक, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोचीन तथा कोलकाता में किया गया। त्रिशुर, केरल में आयुर्वेद के निर्यात के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीण ग्रासरूट उद्योगों से उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यात विपणन पर एक कार्यशाला का आयोजन अम्बिकापुर, छतीसगढ़ तथा बीदर, कर्नाटक में किया गया।

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की संकल्पना तथा स्थापना भारतीय एक्ज़िम बैंक की

पहल पर 1996 में की गई थी। फोरम की 14वीं वार्षिक बैठक अक्तूबर 2008 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य विषय था 'एशियाई एक्ज़िम बैंकों का बदलता स्वरूप-जटिलता प्रबंधन'। इसके अतिरिक्त चर्चा किए गए अन्य प्रमुख विषयों में सदस्य संस्थाओं के समक्ष चुनौतियाँ तथा भावी रणनीतियाँ; वैश्विक व्यापार में परिवर्तन तथा एशियाई क्षेत्र की व्यापार प्रवृत्तियों पर इसके प्रभाव; वैश्विक वित्तीय संकट का एशियाई एक्ज़िम बैंकों पर प्रभाव; उप-सहारीय अफ्रीकी क्षेत्र में एशियाई एक्ज़िम बैंक-संचालक, चुनौतियाँ तथा व्यवसाय परिदृश्य आदि थे। एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम के तत्वावधान में बैंक ने एस एम ई वित्तपोषण पर नवंबर 2008 के दौरान मुंबई में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जिसमें सदस्य संस्थाओं के प्रतिभागियों तथा आई टी सी, जिनेवा से संकाय सदस्यों ने भाग लिया तथा एस एम ई वित्तपोषण पर अपने अनुभवों को बांटा।

एक्ज़िम बैंक की पहल पर अंकटाड के तत्वावधान में जिनेवा में मार्च 2006 में स्थापित एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) ने दक्षिण-दक्षिण व्यापार तथा निवेश सहयोग को संपोषित करना जारी रखा है। विद्यमान वैश्विक परिदृश्य में लघु एवं मध्मय उद्यम क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने के लिए बँक दि फाइनेंसमेंट डिस पेटाइटिस एट मोइनिस इंटरप्राइजेज (बी ई पी एम ई), ट्यूनिशिया के साथ मिलकर जी-नेक्ज़िड द्वारा जनवरी 2009 में ट्यूनिस में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में सदस्य संस्थाओं ने एस एम ई विकास तथा चुनौतियों सहित वैश्विक संदर्भ में एस एम ई वित्तपोषण; एस एम ई वित्तपोषण रणनीतियाँ, जोखिम प्रबंधन तथा एस एम ई वित्तपोषण में सर्वोत्तम पद्धतियाँ आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया तथा अपने अनुभव बांटे।

बैंक को एशिया प्रशांत की विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) द्वारा वर्ष 2009 का 'ट्रेड डेवेलपमेंट अवार्ड' प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार बैंक के 'विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम'की मान्यता में है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी निवेश के जरिए व्यापार सृजन को उत्प्रेरित करते हुए भारतीय कंपनियों को क्षेत्रीय तथा वैश्विक बाजारों में अपनी पैठ बनाने के लिए इष्टतम उत्पादन क्षमता हासिल करने में मदद करना है। बैंक ने अपने इस कार्यक्रम के जरिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने तथा भारतीय अनुभव और दक्षता के आदान-प्रदान में सहयोग करना जारी रखा है जो संभाव्य बाजारों में भारतीय कंपनियों के निरंतर श्रेष्ठ कार्य निष्पादन को प्रदर्शित करता है।

कारोबार परिणाम

विद्यमान वैश्विक वित्तीय संकट से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद बैंक ने अपने सुदृढ़ व्यवसाय मानकों को प्रदर्शित करते हुए श्रेष्ठ व्यवसाय निष्पादन दर्ज किया है। वर्ष 2008-09 के दौरान कुल ऋण मंजूरियाँ 336.3 बिलियन रुपये की रहीं जबकि, संवितरण 289.3 बिलियन रुपये के थे। बैंक की ऋण आस्तियाँ गत वर्ष के 18.4 प्रतिशत से बढ़कर 345.1 बिलियन रुपये हो गईं।

कर पश्चात लाभ गत वर्ष के 3.33 बिलियन रुपये की तुलना में 4.77 बिलियन रुपये रहा। जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात 16.77 प्रतिशत के अच्छे स्तर पर रहा जबकि, निवल ऋण आस्तियों की तुलना में निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ यथा 31 मार्च, 2009 को घटकर 0.23 प्रतिशत हो गईं। वर्ष के दौरान भारत सरकार से बैंक को 3 बिलियन रुपये की पूँजी प्राप्त हुई जिससे बैंक की प्रदत्त पूँजी बढ़कर 14 बिलियन रुपये हो गई।

जुटाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में 725 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ द्विपक्षीय /क्लब ऋणों के जरिए तथा 447 मिलियन यू एस डॉलर की राशियाँ स्वैप की खरीद-बिक्री के जरिए जुटाई गईं। यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक के पास कुल विदेशी मुद्रा संसाधन 3.46 बिलियन यू एस डॉलर समतुल्य के थे तथा बाँडों / वाणिज्यिक-पत्रों / जमा प्रमाण-पत्रों सहित बकाया रुपया उधार राशियाँ 225.6 बिलियन रुपये की रहीं।

यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक को मूडीज ने बी ए ए 3 (स्थिर) रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बी बी बी - (नकारात्मक) तथा फिच ने बी बी बी - (स्थिर) रेटिंग दी है तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जे सी आर ए) द्वारा बी बी बी + (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है। उपरोक्त सभी क्रेडिट रेटिंग निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग हैं, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य है।

संस्थागत संबद्धताएँ

बैंक ने व्यापार तथा निवेश के संवर्द्धन में लगी एजेंसियों तथा संस्थाओं के साथ विशिष्ट

तथा अनौपचारिक संस्थागत संबंध विकसित किए हैं जिनसे बैंक के विभिन्न प्रयासों को अनुपूरक सहायता मिली है। सी आई आई, फिक्की, एसोचेम, नैसकॉम, फिओ, ई ई पी सी इंडिया, भारतीय परियोजना निर्यात संवर्द्धन परिषद, इंडो-ई यू चेंबर ऑफ़ कॉमर्स, अन्य निर्यात संवर्द्धन परिषदें, वाणिज्य मंडल और आर्थिक शोध संस्थाएँ बैंक के कार्य में ज्ञान तथा सहायता का एक मूल्यवान स्रोत रही हैं। बैंक को उद्योगों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, भारत सरकार के मंत्रालयों, विशेषकर मूल मंत्रालय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ परस्पर संवाद से भी शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त हुआ है।

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन हुआ है। श्री एन. रवि, सचिव (ईस्ट), भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, जो 6 अगस्त, 2008 से बैंक के बोर्ड में सदस्य नहीं रहे थे, 18 मई, 2009 से पुन: बोर्ड में सदस्य बन गए हैं। श्री एच. एस. पुरी, सचिव (ई आर) भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, जो 7 अगस्त, 2008 से बैंक के बोर्ड में नियुक्त किए गए थे, ने अपने कार्यभार में परिवर्तन के परिणामस्वरूप 1 मई, 2009 से बोर्ड की सदस्यता को त्याग दिया है। श्रीमती रवनीत कौर, संयुक्त सचिव (आई एफ), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग; श्री एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा; तथा डॉ.नागेश कुमार, महानिदेशक, विकासशील देशों के लिए शोध एवं सूचना प्रणाली को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। श्री राकेश सिंह, संयुक्त सचिव (आई एफ), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग; श्री एम. बी. एन. राव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक; श्री एस. पी. ओसवाल, अध्यक्ष, वर्द्धमान समूह; श्री ए. वेल्लयन, अध्यक्ष, ई आई डी पैरी (इंडिया) लि.; तथा श्रीमती किरन मजुमदार-शॉ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बायोकॉन लि. ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर या कार्यभार में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अपने-अपने निदेशक पद से त्याग-पत्र दे दिये हैं। निदेशकों के रूप में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बैंक उनका आभार मानता है।

बैंक के स्टाफ, जो मुख्य संसाधन हैं, ने नवोन्मेषिता और कारोबार वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सतत समर्पण और प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है तथा बैंक के मिशन को आगे बढ़ाने में उनके विशेष योगदान का उल्लेख आवश्यक है। बैंक की सहभागी तथा व्यावसायिक कार्य संस्कृति बैंक के लिए शक्ति का एक निरंतर स्रोत रही है।

(टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन)
21 मई, 2009

आर्थिक परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

भारी मंदी संकट के बाद से विश्व अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे बड़े वित्तीय संकट से जूझ रही है। सब-प्राइम मार्टगेज संकट 2008 के दौरान और गहरा गया तथा इसने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी परिणति बड़े बैंकों के फेल हो जाने, पूरे विश्व में स्टॉक बाजारों के अचानक नीचे आ जाने तथा ऋणों की कमी के रूप में हुई। परिणामत: विश्व की लगभग सभी विकसित तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी रही तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था ने वर्ष 2008 के दौरान न्यून वृद्धि दर प्रदर्शित की। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट, अप्रैल 2009 के अनुसार वर्ष 2008 में वैश्विक जी डी पी की वृद्धि दर गत वर्ष के 5.2 प्रतिशत से घटकर 3.2 प्रतिशत तक रह जाने का अनुमान है जिसका प्रमुख कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में कमी रहना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जहां जी डी पी की वास्तविक वृद्धि 2007 के 2.7 प्रतिशत से घटकर 2008 में 0.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, वहीं विकासशील तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इसके गत वर्ष के 8.3 प्रतिशत से घटकर 6.1 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। विश्व में आर्थिक मंदी के चलते वैश्विक निष्पादन में वर्ष 2009 में 1.3 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि अनुमानित है। तथापि, ऋणों में तंगी की दशा तथा विस्तारक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में सुधार की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयासों के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2010 में थोड़ा सुधार होने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के अनुमानों के अनुसार यह वृद्धि 1.9 प्रतिशत तक हो सकती है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर में तेजी से कमी आने का अनुमान है तथा इसके वर्ष 2008 के 0.9 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009 में 3.8 प्रतिशत ऋणात्मक स्तर तक पहुँच जाने की संभावना है। यू एस में वर्ष 2008 में दर्ज की गई 1.1 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2009 में इसके 2.8 प्रतिशत तक ऋणात्मक हो जाने की संभावना है। यू एस की अर्थव्यवस्था वर्ष 2007 से डांवाडोल ही रही है, जिसका मुख्य कारण आवास क्षेत्र में आई मंदी थी। हालांकि, सशक्त बाह्य मांग तथा बड़े राजकोषीय सहायता पैकेजों ने अर्थव्यवस्था को थोड़ा सहारा दिया जिससे यह धीमी गति से बढ़ता रहा। किंतु, ऋण संकट के बढ़ने के साथ ही यू एस की घरेलू अर्थव्यवस्था में नाटकीय रूप से मंदी आई। ऋणों में भारी कमी के चलते एक विशिष्ट क्षेत्र में व्याप्त मंदी ने क्रमश: घरों, कारोबार तथा पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया। विगत दो वर्षों में यू एस में निर्यातों में काफी वृद्धि दर्ज की गई। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिच्युएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2009 के अनुसार वर्ष 2008 में निर्यात की मात्रा में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़त अनुमानित है। दूसरी ओर, कमजोर घरेलू मांग के चलते आयातों में लगभग 2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। वर्ष 2009 में वैश्विक मांग में कमी के चलते निर्यातों में तीव्र कमी आने की संभावना है, साथ ही उपभोग तथा निवेश में कमी के चलते आयातों में भी और कमी आना निश्चित है। सतत कमजोर मांग तथा न्यून तेल आयात बिल के चलते चालू खाते के घाटे के वर्ष 2008 के 700 बिलियन यू एस डॉलर से घटकर 540 बिलियन यू एस डॉलर हो जाने की संभावना है।

कनाडा की अर्थव्यवस्था में काफी मंदी आने की संभावना है, जहां वृद्धि के वर्ष 2007 के 2.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008 में

श्री जस्टिन यिफु लिन, मुख्य अर्थशास्त्री एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विश्व बैंक ने बैंक का स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान 2009 दिया। उनका व्याख्यान 'कींस के अर्थशास्त्र से परे : विकास के प्रोत्साहन' विषय पर केंद्रित था। डॉ. दिलीप एम. नाचने, निदेशक, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मुंबई ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

0.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2009 में इसके और घटकर 2.5 प्रतिशत के ऋणात्मक स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है। अल्पावधि में भी संभाव्यता कमजोर दिखाई देती है जिसका कारण विद्यमान आर्थिक मंदी तथा यू एस में कमजोर संभाव्यता है।

यूरो क्षेत्र में जी डी पी की वास्तविक वृद्धि गत वर्ष के 2.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008 में 0.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2008 में लगभग सभी यूरोपीय देशों में वृद्धि दर में कमी आई है। जर्मनी में यह 2007 के 2.5 प्रतिशत से घटकर 2008 में 1.3 प्रतिशत हो गई। फ्रांस में 2.1 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत, इटली में 1.6 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत ऋणात्मक तथा स्पेन में 3.7 प्रतिशत से घटकर 1.2 प्रतिशत रही है। निर्यातों की मात्रा में 2008 की दूसरी तिमाही में काफी कमी आई है तथा इसके ई यू-15 देशों में वर्ष 2008 में केवल 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। यद्यपि, कुछ देशों में सशक्त प्रतिस्पर्धा, अनुकूल उत्पाद मिश्र तथा उनके तेजी से बढ़ते एशियाई तथा तेल उत्पादक देशों के साथ घनिष्ठ व्यापार संबंधों के चलते वृद्धि को कुछ सहारा मिला है। इसके बावजूद सभी देशों के निर्यात तथा आयात में निकट भविष्य में कमी आना लगभग तय है। सब-प्राइम बंधक संकट के बाद यूरोप में भी ऋण दशाओं में कड़ाई जारी है। यूरो क्षेत्र में वृद्धि के तेजी से घटने तथा 2009 में 4.2 प्रतिशत के ऋणात्मक स्तर पर पहुँच जाने की संभावना है। वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभावों की गंभीरता के चलते पश्चिमी यूरोप में यूरो क्षेत्र से बाहर यू के में भी वृद्धि के 2007 में 3.0 प्रतिशत से घटकर 2008 में 0.7 प्रतिशत हो जाने तथा 2009 में इसके पुन: घटकर 4.1 प्रतिशत के ऋणात्मक स्तर पर पहुँच जाने की संभावना है।

जापान में वर्ष 2007 में अर्थव्यवस्था ने 2.4 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि करना जारी रखा किन्तु, 2008 में यह गिरकर 0.6 प्रतिशत के ऋणात्मक स्तर पर पहुँच गई। यद्यपि, अब तक जापानी अर्थव्यवस्था पर सब-प्राइम संकट का प्रभाव सीमित रहा है तथापि, 2009 में आर्थिक वृद्धि के इससे गंभीर रूप से प्रभावित होने तथा गिरकर 6.2 प्रतिशत के ऋणात्मक स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है। बाह्य स्तर पर, जापान के निर्यात भी उसके सबसे बड़े निर्यात बाजार यू एस में आर्थिक मंदी के चलते तथा येन के मजबूत होने से काफी प्रभावित हुए हैं। उभरते बाजारों विशेषकर चीन से मांग में मजबूती ने अभी तक विकसित देशों से मांग में आई कमी के प्रभाव को संतुलित कर रखा है।

भारत के पण्य व्यापार की प्रवृत्तियाँ

(बिलियन रुपये)

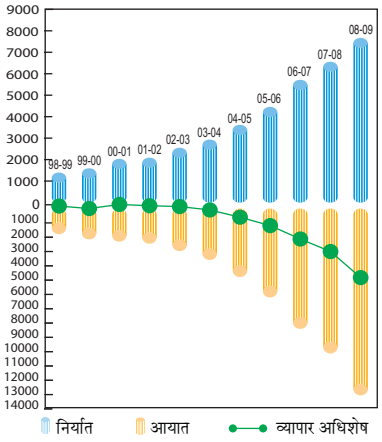

भारत के सेवा व्यापार की प्रवृत्तियाँ

(बिलियन रुपये)

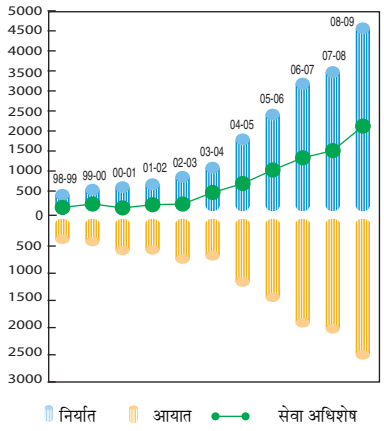

सऊदी फार्मल्डिहाइड केमिकल्स कंपनी लि. के लिए अल-जुबेल में मीथेनॉल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड संयंत्र की स्थापना संबंधी टर्नकी परियोजना एक्ज़िम बैंक की वित्तीय सहायता से लार्सन एंड टुब्रो लि., मुंबई द्वारा निष्पादित की जा रही है।

किन्तु, उभरते बाजारों में आर्थिक गतिविधियों पर वैश्विक संकट के नकारात्मक प्रभावों के चलते जापान के निर्यात निष्पादन पर और दबाव पड़ने की संभावना है।

एशियाई क्षेत्र, विशेषकर विकासशील एशिया में वृद्धि 2007 में 10.6 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2008 में 7.7 प्रतिशत रही है जो अभी भी एक प्रभावी वृद्धि कही जा सकती है। इसका प्रमुख कारण चीन तथा भारत द्वारा लगातार अच्छी वृद्धि दर्ज करना रहा है। तथापि, वैश्विक आर्थिक मंदी के गहराने के कारण चीन की जी डी पी वृद्धि दर वर्ष 2007 के 13.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008 में 9.0 प्रतिशत हो गई। नई औद्योगिकीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में भी वृद्धि दर में कमी आई है तथा ये वर्ष 2007 के 5.7 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008 में 1.5 प्रतिशत रह गई है।

अफ्रीका में अधिकांश देशों ने हाल के वर्षों में अच्छी वृद्धि दर्ज की है जिसे व्यापार में वृद्धिशील उदारीकरण का लाभ मिला है। तेल निर्यातक देशों ने तेज वृद्धि दर्ज करना जारी रखा है जिसका कारण निर्यात आय से आरक्षित निधियों में हुई बढ़ोत्तरी है। अनुकूल आर्थिक वातावरण के चलते उप-सहारीय अफ्रीका के कुछ देश निजी पूँजी प्रवाह के आकर्षक गंतव्य स्थल बनकर उभरे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाहों से संचालित निजी पूँजी प्रवाह वर्ष 2007 में रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया है। अफ्रीकी क्षेत्र ने वर्ष 2007 में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में वर्ष 2008 में गिरते वैश्विक आर्थिक माहौल के कारण 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रदर्शित की है। तथापि क्षेत्र ने लगातार सातवें वर्ष में भी 5.0 प्रतिशत से ऊपर की वृद्धि दर हासिल करना जारी रखा है। जिसका प्रमुख कारण पहली छमाही में महाद्वीप से पण्यों के निर्यात से उत्पन्न अधिक राजस्व तथा गैर-तेल क्षेत्रों जैसे कृषि तथा पर्यटन में सतत सुधार रहा है।

निर्माण क्षेत्र में तेजी उच्च तेल आय तथा पर्यटन क्षेत्र में प्राप्तियों में तेजी के चलते अधिकांश देशों में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में उपभोग में तेजी आई है जिससे उत्तरी अफ्रीका ने वर्ष 2008 में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। तथापि मध्य अफ्रीका में तेजी का प्रमुख कारण कांगो में तेल उत्पादन में पुन: तेजी आना रहा। पूर्वी अफ्रीका में वृद्धि इथियोपिआ द्वारा संचालित रही तथा महाद्वीप में सर्वाधिक बनी रही जो कृषि उत्पादन में सुधार, पर्याप्त सहायता राशियों के अंतर्वाह तथा वर्ष 2008 की पहली छमाही में पर्यटन एवं निवेश में मजबूत वृद्धि के कारण थी। दक्षिण अफ्रीका में उपभोक्ता खर्चों में कमी तथा खनन तथा उत्खनन में मंदी के चलते आर्थिक वृद्धि 2007 के 6.2 प्रतिशत से घटकर 2008 में 4.2 प्रतिशत रही।

सीरियाई अरब गणराज्य सरकार को भारत से माल तथा सेवाओं के निर्यात के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त 25 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था करार पर सीरिया के उद्योग मंत्री महामहिम डॉ. फौआद अल-जॉनी तथा सीरिया में भारत के राजदूत श्री गौतम मुखोपाध्याय की उपस्थिति में दमस्कस, सीरिया में हस्ताक्षर करते हुए सीरियाई सरकार की ओर से स्टेट प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष डॉ. तायसिर रादावी।

मध्य पूर्व क्षेत्र में हाल के गत वर्षों में ठोस वृद्धि के लंबे दौर को ऊंची कीमतों तथा जोरदार देशी मांग से समर्थन मिलना जारी रहा। वास्तविक जी डी पी वृद्धि जो 2007 में 6.3 प्रतिशत दर्ज की गई थी, थोड़ी घटकर 2008 में 5.9 प्रतिशत हो गई। तथापि, वैश्विक आर्थिक संकट के गहराने के चलते क्षेत्र में वृद्धि दर के वर्ष 2009 में घटकर 2.5 प्रतिशत रहने तथा पुन: इसमें कुछ सुधार होकर 2010 में इसके 3.5 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है। हालांकि बढ़ती लागतों के कारण तेल क्षेत्र में निवेश मूल्य की दृष्टि से वास्तव में स्थिर रहा तथापि, तेल निर्यातक देशों में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर गैर-तेल क्षेत्रों में विस्तार की बदौलत बनी रही, जिसे तेल आय से बढ़ते सरकारी व्यय, विदेशी पूँजी अंतर्वाह तथा तेजी से बढ़ते देशी निजी ऋणों का बल मिला।

लैटिन अमेरिका तथा कैरीबियाई क्षेत्र में मंद क्रियाकलाप, बाह्य वातावरण की कठिनाइयों तथा उच्च मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2007 के 5.7 प्रतिशत की तुलना में घटकर 4.2 प्रतिशत रह गई

तथा चार वर्षों तक जोरदार वृद्धि दर्ज करने के बाद 2008 में अधिकांश आर्थिक क्षेत्रों में मंदी तथा खासकर निर्यातों में कमी के कारण मंद बनी रही। वर्ष 2008 में हालांकि आर्थिक विकास ब्राजील (5.1 प्रतिशत), चिले (3.2 प्रतिशत), कोलम्बिया (2.5 प्रतिशत), मेक्सिको (1.3 प्रतिशत) तथा वेनेजुएला (4.8 प्रतिशत) में कम रहा जो वस्तुत: वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित था, तथापि बोलिविया (5.9 प्रतिशत), एक्वाडोर (5.3 प्रतिशत), पेरू (9.8 प्रतिशत), सूरीनाम (6.5 प्रतिशत) तथा उरूग्वे (8.9 प्रतिशत) में वृद्धि तुलनात्मक रूप से उच्च रही।

स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल (सी आई एस) क्षेत्र यद्यपि हाल की वित्तीय हलचलों से अछूता नहीं रहा है तथापि, यह संक्रमण काल के सबसे लंबे आर्थिक विस्तार की पृष्ठभूमि में बढ़ा है। क्षेत्र में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2007 में 8.6 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2008 में घटकर 5.5 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2007 तक क्षेत्र में जबर्दस्त विस्तार को पण्यों की ऊंची कीमतों, विस्तारवादी स्थूल आर्थिक नीतियों, जोरदार पूँजी अंतर्वाह और तीव्र ऋण वृद्धि से मजबूती मिली है। तथापि इस क्षेत्र में वृद्धि की गति वर्ष 2009 में घटकर 5.1 प्रतिशत ऋणात्मक हो जाने की संभावना है क्योंकि, कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था और धीमी ऋण वृद्धि विकास की गति को काफी मंद कर सकती है। बढ़ती वास्तविक आय तथा ऋण की आसान सुलभता और साथ ही 2007 तक निवेशों में उछाल की बदौलत उपभोग रूसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि का मुख्य संवाहक रहा। वर्ष 2008 में, रूसी अर्थव्यवस्था में 5.6 प्रतिशत का विस्तार हुआ किंतु, 2009 में इसके 6.0 प्रतिशत के ऋणात्मक स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है। पण्यों की कीमतें, जो क्षेत्र में आर्थिक विकास की मुख्य संवाहक हैं, में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी से कमी आ सकती है और बाह्य वित्तपोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

उभरते मध्य तथा पूर्वी यूरोप में वास्तविक जी डी पी वृद्धि दर 2007 के 5.4 प्रतिशत से घटकर 2008 में 2.9 प्रतिशत हो गई। क्षेत्र के अधिकांश देशों में वृद्धि को उच्च घरेलू मांग से समर्थन मिला है। यह मांग 2007 में उत्पादन से बहुत अधिक थी। मंद घरेलू मांग और पश्चिमी यूरोप से कमजोर मांग के चलते निर्यात वृद्धि में कमी के कारण क्षेत्र की वृद्धि दर 2009 में कम होकर 3.7 प्रतिशत के ऋणात्मक स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है।

एक्जिम बैंक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार 2007 के विजेता डॉ. अर्जुन जयदेव, मुंबई में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में श्री वाई. आर. वरेरकर, कार्यपालक निदेशक, विश्व व्यापार केंद्र से पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

विश्व व्यापार

वस्तुओं की विश्व व्यापार कीमतों में महत्त्वपूर्ण वृद्धि के चलते माल का वैश्विक निर्यात 2008 में बढ़कर 15.8 ट्रिलियन यू एस डॉलर हो गया जो गत वर्ष के कुल 13.7 ट्रिलियन यू एस डॉलर पर 15.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मात्रा के मामले में माल के वैश्विक व्यापार में वृद्धि वर्ष 2007 के 6.6 प्रतिशत के मुकाबले में वर्ष 2008 में 3.2 प्रतिशत रही। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मामले में जहाँ माल के निर्यात में 2008 में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई वहीं उभरते बाजारों ने 6.1 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2007 में 14.1 प्रतिशत के मुकाबले प्राथमिक गैर-ईंधन माल के विश्व व्यापार का मूल्य यू एस डॉलर में वर्ष 2008 में 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। तेल मूल्य जो 2007 में 10.7 प्रतिशत की दर से बढ़े थे, 2008 में तेजी से बढ़कर 36.4 प्रतिशत हो गये। विनिर्माण के विश्व व्यापार मूल्य में वर्ष 2007 में 8.8 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2008 में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विश्व के सेवा निर्यात में वर्ष 2008 में 3.8 ट्रिलियन यू एस डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई जो कि गत वर्ष के कुल 3.4 ट्रिलियन यू एस डॉलर से 12.0 प्रतिशत ज्यादा है। वर्ष 2009 में उन्नत तथा विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में ही आयातों में मांग

भारत की पण्य वस्तुओं के निर्यात का गठन

(बिलियन रुपये)

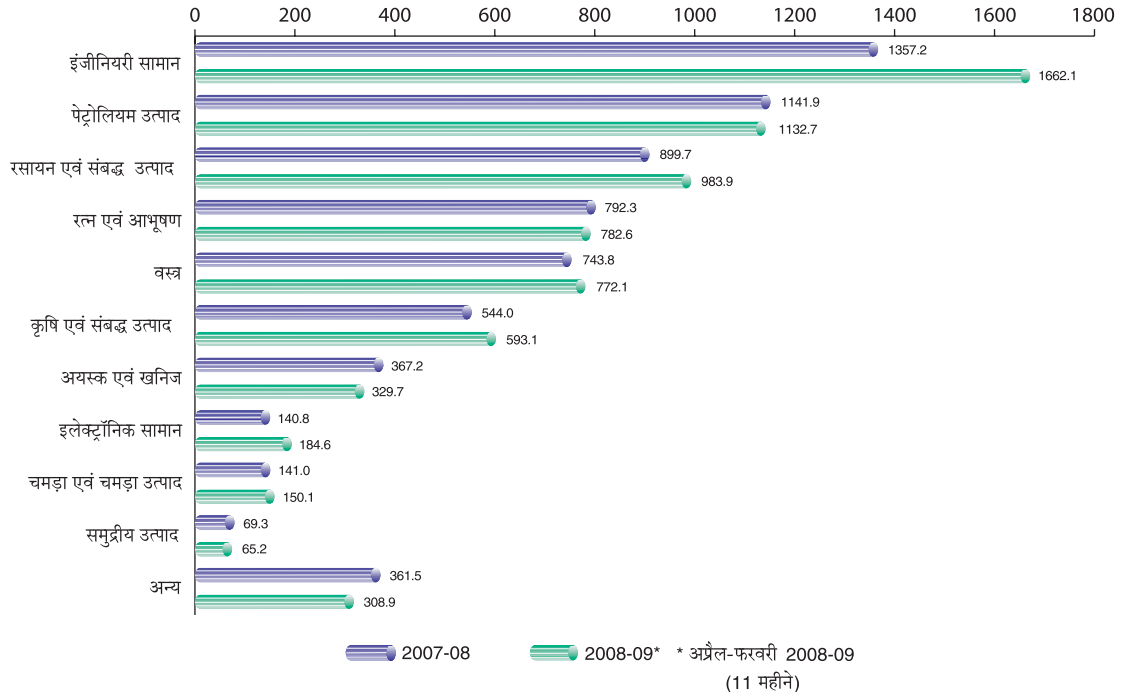

की कमी तथा विश्व व्यापार मूल्यों में गिरावट के चलते वैश्विक व्यापार की मात्रा में 11.5 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है, जिसके 2010 तक सुधर कर 0.7 प्रतिशत पहुँचने का अनुमान है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूँजी प्रवाह, चालू खाता शेष एवं विदेशी ऋण

कई उभरते बाजारों तथा देशों ने विगत वर्षों में चालू एवं पूँजी दोनों खातों के माध्यम से निवल विदेशी मुद्रा अंतर्वाह का ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर दर्ज किया है। हाल के वर्षों में निवल विदेशी मुद्रा प्रवाह में निजी पूँजी प्रवाह का प्रमुख योगदान है। अर्थव्यवस्थाओं के लिए निवल प्रवाह विद्यमान आर्थिक संकट के चलते वर्ष 2008 में 465.8 बिलियन यू एस डॉलर रहा जबकि, 2007 में यह 928.6 बिलियन यू एस डॉलर के रिकार्ड स्तर पर था जबकि, निवल प्रत्यक्ष निवेश गत वर्ष के 304.1 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2008 में 263.4 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है, निवल पोर्टफोलियो निवेश वर्ष 2007 में (-) 8.0 बिलियन यू एस डॉलर से घटकर वर्ष 2008 में (-) 89.3 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं को सकल निजी पूँजी प्रवाह में उभरते यूरोप का 54.6 प्रतिशत हिस्सा रहा और कुल अंतर्वाह 2008 में 254.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा। विकासशील एशिया क्षेत्र में सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उच्च आर्थिक वृद्धि दर्ज करने के बावजूद भी क्षेत्र को निवल निजी पूँजी प्रवाह में कमी आई तथा यह गत वर्ष के 314.8 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2008 में 96.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा। यह कुल ईक्विटी निवेश तथा कुल पोर्टफोलियो निवेश में भारी गिरावट का लक्षण हो सकता है। इस क्षेत्र में निवल प्रत्यक्ष निवेश वर्ष 2007 के 148.6 बिलियन यू एस डॉलर से काफी कम होकर वर्ष 2008 में 112.7 बिलियन यू एस डॉलर रहा। लैटिन अमेरिका को निवल निजी पूँजी प्रवाह में भी वर्ष 2007 के 183.6 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2008 में 89 बिलियन यू एस डॉलर की भारी गिरावट दर्ज की गई।

उभरती अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाता अधिशेष गत वर्ष के 434 बिलियन यू एस डॉलर से कम होकर वर्ष 2008 में 387.4 बिलियन यू एस डॉलर हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 10.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। उभरते एशिया क्षेत्र में चालू खाता अधिशेष वर्ष 2007 के 420.2 बिलियन यू एस डॉलर से कम होकर 386.4 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है। विकासशील लैटिन अमेरिका का चालू खाता अधिशेष गत वर्ष के 27.2 बिलियन

भारत में पण्य वस्तुओं के आयात का गठन

(बिलियन रुपये)

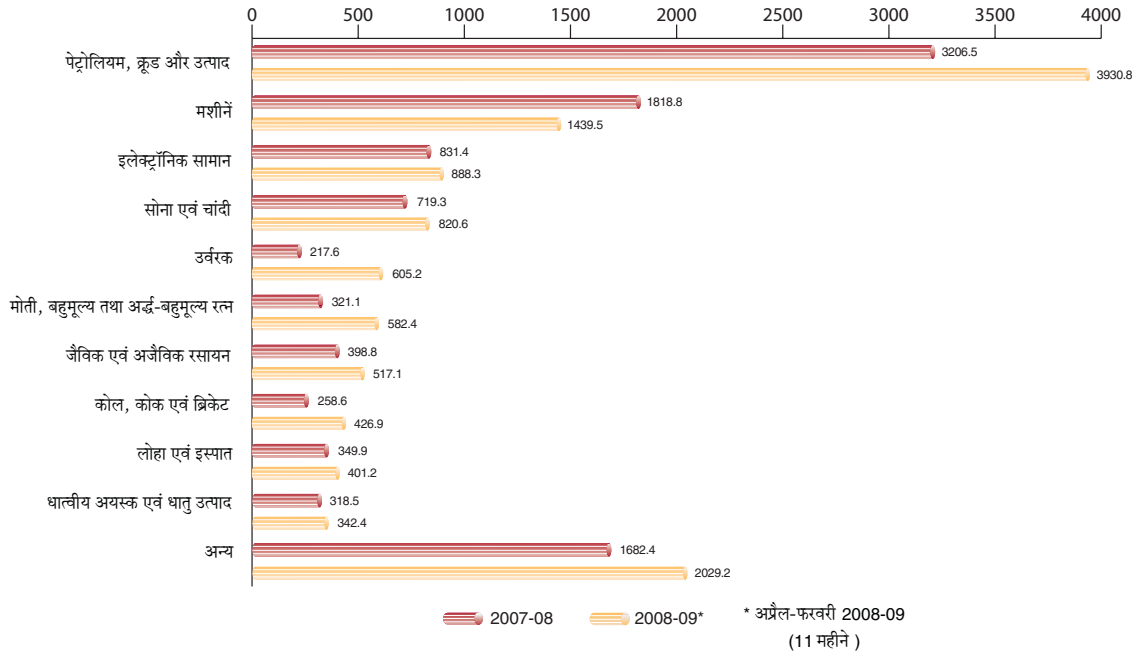

यू एस डॉलर से तेजी से कम होकर 2008 में 0.3 बिलियन यू एस डॉलर रह गया। विकासशील यूरोप में, वर्ष 2007 में चालू खाते का घाटा 23.5 बिलियन यू एस डॉलर था जो 2008 में बढ़कर 29.8 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। इसके विपरीत, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व क्षेत्र के चालू खाता अधिशेष में वृद्धि हुई तथा यह गत वर्ष के 10 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में वर्ष 2008 में 31बिलियन यू एस डॉलर रहा।

उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का उनके माल तथा सेवाओं के निर्यात के सापेक्ष बाह्य ऋण अनुपात वर्ष 2007 के 71.5 प्रतिशत से कम होकर 2008 में 63.1 प्रतिशत रहा। मध्य तथा पूर्वी यूरोप एवं सी आई एस क्षेत्र में पिछले वर्ष से कम होने के बावजूद भी 2008 में इसका औसत उच्च स्तर पर रहा तथा यह वर्ष 2007 के 123.6 प्रतिशत एवं 113.5 प्रतिशत की तुलना में क्रमश: 116.0 प्रतिशत एवं 92.1 प्रतिशत रहा। मध्य पूर्व क्षेत्र का औसत भी वर्ष 2007 के 46.9 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2008 में 34.3 प्रतिशत रहा। उभरते एशिया क्षेत्र के औसत में 2007 के 44.6 प्रतिशत की तुलना में 2008 में 42.3 प्रतिशत की न्यून गिरावट दर्ज की गई। उप-सहारीय अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र में अनुपात वर्ष 2008 में कम होकर क्रमश: 55.3 प्रतिशत तथा 85.4 प्रतिशत रहा। उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समग्र ऋण-सेवा भुगतान अनुपात वर्ष 2007 के 12.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2008 में 10.7 प्रतिशत रहा।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक आर्थिक मंदी के नकारात्मक परिणामों के बावजूद वर्ष 2008-09* की अवधि के दौरान अन्य विकासशील एवं विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था ने समुत्थानशील प्रदर्शन करना जारी रखा है। सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) की वृद्धि दर 2008-09 की अवधि के दौरान 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2007-08 में 9.0 प्रतिशत की तुलना में है। वर्ष 2008-09 में वृद्धि मुख्य रूप से 'विनिर्माण', 'व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार', 'वित्तीय बीमा, स्थावर संपदा, व्यवसाय सेवाएँ' तथा 'सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं' के क्षेत्र में 5.0 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि दर्ज करने के कारण रही है।

* इस खंड में दिए गए आंकड़े भारतीय वित्त वर्ष के अनुरूप हैं जो अप्रैल से अगले वर्ष मार्च तक रहता है।

कृषि

कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों में 2008-09 में 1.6 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि दर्ज करने की संभावना है जो गत वर्ष में दर्ज की गई 4.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में मंदी दर्शाती है। खाद्य उत्पादन गत वर्ष के 230.8 मिलियन टन की तुलना में थोड़ा घटकर 2008-09 में 227.9 मिलियन टन

रहने का अनुमान है, जिसका प्रमुख कारण खरीफ खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी रहना है। तथापि, अन्य अनुषंगी क्षेत्रों जैसे; बागवानी, पशुधन तथा मत्स्य पालन आदि में वृद्धि के अनुकूल रहने का अनुमान है।

उद्योग

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) के अनुसार उद्योग क्षेत्र, जिसने 2007-08 में 8.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की थी, ने मुख्यत: विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति जैसे उप-क्षेत्रों में मंदी के कारण 2008-09 में 3.9 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज की है। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर गत वर्ष में 8.2 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में मंद होकर 2.4 प्रतिशत रही जबकि, खनन तथा उत्खनन क्षेत्रों ने गत वर्ष में दर्ज की गई 3.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2008-09 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बिजली, गैस तथा जल आपूर्ति से उत्पन्न वृद्धि दर गत वर्ष में दर्ज की गई 5.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2008-09 में घटकर 3.4 प्रतिशत रह गई। निर्माण क्षेत्र ने वर्ष 2008-09 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि वर्ष 2007-08 में यह 10.1 प्रतिशत थी।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई आई पी) 2007-08 की अवधि में दर्ज 8.5 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में घटकर 2.4 प्रतिशत रह गया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आई कमी मुख्यत: विनिर्माण क्षेत्र में मंदी के कारण रही है। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार मूल माल क्षेत्र गत वर्ष में 7 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2008-09 के दौरान 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। पूँजीगत माल क्षेत्र 2008-09 के दौरान 7 प्रतिशत बढ़ा जबकि, 2007-08 के दौरान यह 18 प्रतिशत था। मध्यवर्ती माल क्षेत्र ने भी 2008-09 के दौरान 2.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए गिरावट दिखाई है जबकि, गत वर्ष के दौरान इसमें 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु खंड में वर्ष 2008-09 के दौरान 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जिसने गैर-टिकाऊ उपभोक्ता खंड में आई कमी को अंशत: समंजित कर दिया। परिणामत: टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु खंड में वृद्धि 2007-08 के 6.1 प्रतिशत से थोड़ी घटकर 4.4 प्रतिशत रही।

विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह औद्योगिक उप-क्षेत्रों में से 2008-09 के दौरान नौ उप-क्षेत्रों ने पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इन नौ उप-क्षेत्रों में पेय, तम्बाकू एवं उससे संबंधित उत्पाद (15.6 प्रतिशत), परिवहन उपकरणों को छोड़कर मशीनरी उपकरण (8.7 प्रतिशत); मूल धातु एवं मिश्र उद्योग (4.0 प्रतिशत); कपड़ा उत्पाद (वस्त्रों सहित) (3.7 प्रतिशत); मूल रसायन तथा रसायन उत्पाद (पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पादों को छोड़कर) (2.9 प्रतिशत); परिवहन उपकरण तथा पुर्जे (2.2 प्रतिशत); कागज तथा कागज उत्पाद एवं प्रिंटिंग, प्रकाशन तथा संबंधित उद्योग (1.3 प्रतिशत); गैर-धातु खनिज उत्पाद (1.0 प्रतिशत) अन्य विनिर्मित उद्योग (0.5 प्रतिशत) हैं। वर्ष के दौरान लकड़ी तथा लकड़ी के अन्य उत्पादों में 10.3 प्रतिशत की सबसे बड़ी नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

लाओस के चैमसैक प्रांत में सिंचाई परियोजना के विकास के लिए लाओ पी डी आर सरकार को एक्जिम बैंक द्वारा प्रदत्त 17.34 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था करार पर भारत के राजदूत श्री सुरेश गोयल की उपस्थिति में लाओ पी डी आर के वित्त मंत्री महामहिम श्री सोम्डी डॉउंग्डी द्वारा विएंशिएन, लाओ पी डी आर में हस्ताक्षर किए गए।

सेवाएँ

सेवा क्षेत्र में वृद्धि का आधार व्यापक बना रहा। इसमें वर्ष 2008-09 की अवधि के दौरान 9.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो गत वर्ष में दर्ज की गई 10.9 प्रतिशत की तुलना में है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, 'सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा' खंड में वर्ष 2008-09 में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि गत वर्ष की 6.8 प्रतिशत की तुलना में उच्च है। सकल घरेलू उत्पाद के उप-क्षेत्रों अर्थात् 'व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार' क्षेत्र में 2008-09 की अवधि के दौरान

9.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि, 'वित्तीय, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यवसाय सेवाओं' के क्षेत्र में भी 2008-09 की अवधि के दौरान 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

बुनियादी क्षेत्र

छह बुनियादी तथा मूल उद्योगों अर्थात् अपरिष्कृत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, बिजली, सीमेंट तथा तैयार इस्पात ने 2008-09 के दौरान 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जबकि, गत वर्ष के दौरान यह वृद्धि 5.9 प्रतिशत थी। इन क्षेत्रों में से विशेषकर चार क्षेत्रों अपरिष्कृत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत तथा तैयार इस्पात की वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई। इनमें से अपरिष्कृत तेल उत्पाद में 2008-09 के दौरान वृद्धि में (-) 1.8 प्रतिशत की सर्वाधिक तीव्र गिरावट दर्ज की गई जबकि, 2007-08 के दौरान यह वृद्धि 0.4 प्रतिशत थी। पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन 2007-08 के दौरान 6.5 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 3.0 प्रतिशत बढ़ा। बिजली के उत्पादन में 2007-08 के दौरान 6.3 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 के दौरान 2.7 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज हुई। तैयार इस्पात के उत्पादन में गत वर्ष के 6.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान 0.4 प्रतिशत की न्यून वृद्धि दर्ज की गई। सीमेंट के उत्पादन में वर्ष 2008-09 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, यद्यपि यह वर्ष 2007-08 के दौरान दर्ज की गई 8.1 प्रतिशत की वृद्धि से मामूली कम रही। कोयले के उत्पादन में गत वर्ष के 6.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2008-09 में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत में पण्य वस्तुओं के व्यापार की दिशा

(बिलियन रुपये)

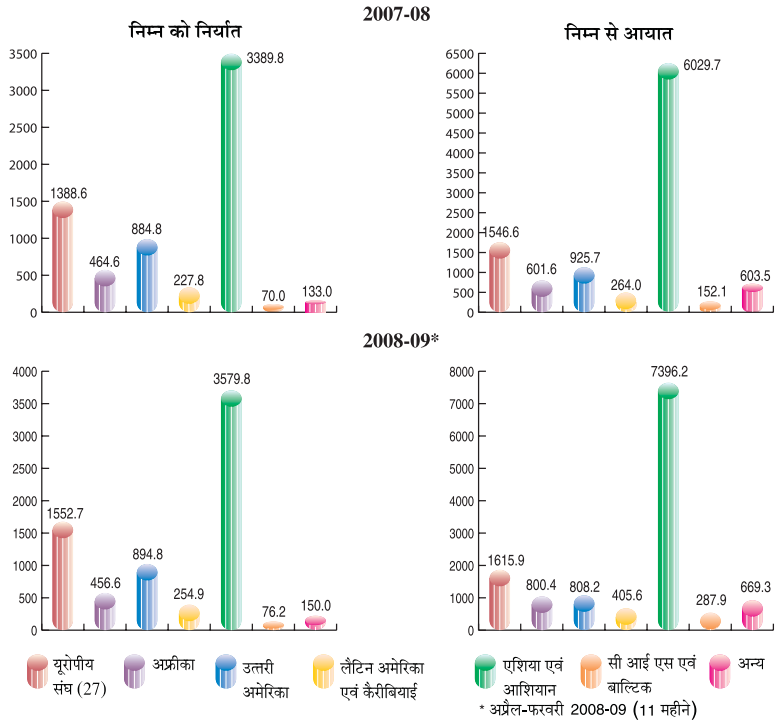

* अप्रैल-फरवरी 2008-09 (11 महीने)

मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित तथा बिन्दु-दर-बिन्दु आधार पर परिकलित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर अगस्त 2008 को वर्ष के उच्चतम बिंदु अर्थात 12.8 प्रतिशत तक चढ़कर मार्च 2009 के अंत में तेजी से घटकर 0.3 प्रतिशत रही। मुद्रास्फीति की दर में कमी की प्रवृत्ति मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में आई गिरावट के साथ-साथ तिलहनों तथा खाद्य तेल, कच्चे कपास, सूती कपड़ों और लौह तथा इस्पात मूल्यों में आई गिरावट के कारण रहा। यह गिरावट वर्ष की दूसरी छमाही में मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट से प्रभावित थी।

पूँजी बाजार

2008-09 में भारत में निवल पोर्टफोलियो निवेश (-) 13.86 बिलियन यू एस डॉलर रहा, जो 2007-08 के दौरान 29.4 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में तीव्र गिरावट प्रदर्शित करता है। इसका प्रमुख कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) द्वारा निवल निवेश में 2007-08 के दौरान 20.3 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2008-09 में (-) 15.0 बिलियन यू एस डॉलर की कमी का होना रहा ।

विदेशी व्यापार तथा भुगतान संतुलन

भारत का निर्यात 2008-09 के दौरान 168.7 बिलियन यू एस डॉलर रहा जबकि, गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 163.1 बिलियन यू एस डॉलर था। इस प्रकार इसमें 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष के दौरान भारत का आयात 287.8 बिलियन यू एस डॉलर रहा जबकि, गत वर्ष यह 251.7 बिलियन यू एस डॉलर था जिसमें गत वर्ष की तुलना में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। समग्र रूप में व्यापार घाटा गत वर्ष के 88.5 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2008-09 के दौरान 119.1 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। जहाँ तक 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान भारत की मुख्य निर्यात की पण्य संरचना का संबंध है यह परिवहन उपकरणों में (64.6 प्रतिशत); प्राथमिक तथा अर्द्ध-निर्मित लौह तथा इस्पात में (21.8 प्रतिशत); तथा मशीनरी और उपकरणों में (20.0) प्रतिशत के स्तर पर तीव्र वृद्धि रही। तेल आयात 2008-09 के दौरान बढ़कर 93.2 बिलियन यू एस डॉलर हो गया जबकि, गत वर्ष में यह 79.7 बिलियन यू एस डॉलर था। इस प्रकार इसमें 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2008-09 के दौरान गैर-तेल आयात 194.6 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो गत वर्ष में 171.9 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के आयात स्तर से 13.2 प्रतिशत अधिक था।

भारत की अदृश्य सेवा मदों का निवल अंतर्वाह 2007-08 (अप्रैल-दिसम्बर) में दर्ज किए गये 53.8 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2008-09 की अनुरूपी अवधि में 68.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। निर्यात सेवाओं में तीव्र वृद्धि, खासकर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) सेवाओं तथा भारतीय विदेशी विप्रेषणों ने अदृश्य प्राप्तियों को स्थायित्व प्रदान किया। 2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान निर्यात सेवाओं का कुल मूल्य 74.5 बिलियन यू एस डॉलर तथा समग्र अंतरण 35.1 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के रहे। सेवाओं का निर्यात 2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान 34.6 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर रहा जो कि सॉफ्टवेयर निर्यात में सतत वृद्धि और साथ ही व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में 12.7 बिलियन यू एस डॉलर तथा वित्तीय सेवाओं के 3.4 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर वृद्धि के कारण जोरदार रहा। चालू खाते का घाटा 2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान बढ़कर 36.5 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो कि 2007-08 में इसी अवधि के 15.5 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में है।

सेनेगल को सिंचाई के लिए किर्लोस्कर पम्प सेटों की आपूर्ति, जो सेनेगल सरकार को एक्ज़िम बैंक की 27 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के तहत वित्त पोषित किए गए।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के बढ़ते विश्वास को प्रतिबिंबित करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह 2008-09 में 33.6 बिलियन यू एस डॉलर रहा, जिसमें से ईक्विटी निवेश 83.0 प्रतिशत था। 2008-09 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा संपूर्ण अनुषंगियों की स्थापना के लिए 16.4 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के 2,828 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई जबकि, इसी अवधि के दौरान भारत से कुल वास्तविक विदेशी निवेश 11.3 बिलियन यू एस डॉलर के रहे।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2008 के अंत में 309.7 बिलियन यू एस डॉलर से घटकर मार्च 2009 के अंत में 252 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। भारत का विदेशी ऋण, जो मार्च 2008 के अंत में 224.8 बिलियन यू एस डॉलर था बढ़कर दिसम्बर 2008 के अंत में 230.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया जो दीर्घावधि ऋणों में वृद्धि के कारण रहा।

चुनिंदा क्षेत्रों की संभाव्यता

वस्त्र एवं परिधान

यू एस तथा यूरोप में आर्थिक मंदी और अन्य विकासशील देशों जैसे वियतनाम, बांग्लादेश तथा श्री लंका से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते भारतीय वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र प्रभावित हुआ है। साथ ही मांग में कमी के चलते यू एस तथा यूरोप में कई रिटेल शृंखलाओं में बंदी/ कटौती के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग का निर्यात परिचालन प्रभावित हुआ है।

2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान भारत से वस्त्र एवं परिधान निर्यात लगभग 16.9 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा जिसमें गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वस्त्र एवं परिधान के लिए प्रमुख आयातक यू एस तथा ई यू से कम मांग के कारण इस क्षेत्र में वृद्धि संभावनाओं के प्रभावित होने का अनुमान है।

कृषि के बाद वस्त्र उद्योग अर्थव्यवस्था का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन तथा निर्यात आय में योगदान के जरिए यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उद्योग औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत, देश के कुल निर्यात में 11 प्रतिशत योगदान करने के साथ-साथ 35 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

औषध एवं औषधियाँ

आर्थिक स्थितियाँ वर्ष 2009 में औषधीय बाजार को विश्व स्तर पर प्रभावित करेंगी। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2009 में अर्थव्यवस्था में मंदी के चलते विकसित देशों के बाजारों में वृद्धि ज्यादा प्रभावित होगी। वर्ष 2009 में वैश्विक औषधीय बिक्री 820 बिलियन यू एस डॉलर से ज्यादा रहने का अनुमान है। यू एस, यूरोपीय संघ (फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यू के) तथा जापान जैसे प्रमुख बाजारों में वृद्धि के मंद रहने की संभावना है जबकि, उदीयमान बाजारों जैसे-चीन, ब्राजील, भारत, मेक्सिको, तुर्की तथा रूस में 14-15 प्रतिशत तक की वृद्धि का पूर्वानुमान है। बाजार पर कई दबाव बने रहेंगे, उनमें से वृद्धि का विकसित देशों से उदीयमान देशों को स्थानांतरण, विशिष्टता युक्त उत्पादों की महत्त्वपूर्ण भूमिका, अति लोकप्रिय औषधियों का पेटेंट सुरक्षा खोना तथा हेल्थ केयर निर्णयों में नियामकों तथा स्टेक-होल्डर्स का बढ़ता प्रभाव शामिल है।

7वें सी आई आई मैन्युफैक्चरिंग समिट, ''बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग इंडिया'' के दौरान श्री जमशेद एन. गोदरेज, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गोदरेज एंड बॉएस मैन्युफैक्चरिंग कं. लि. की उपस्थिति में श्री अजय शंकर, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक्ज़िम बैंक के शोध प्रकाशन, ''भारतीय पूँजीगत माल उद्योग: एक क्षेत्रीय अध्ययन'' का औपचारिक विमोचन किया गया।

भारतीय औषधि उद्योग भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास करने वाले क्षेत्रों में से एक है। भारतीय औषधि उद्योग का आकार 17 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक का अनुमानित है, जिसमें से लगभग 6 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक का निर्यात किया जाता है। एक ऑकलन के अनुसार वैश्विक औषधि बाजार में भारतीय औषधि उद्योग का मात्रा की दृष्टि से चौथा तथा मूल्य की दृष्टि से चौदहवां स्थान है। उद्योग नुस्खों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है तथा देश की जरूरत की लगभग 70 प्रतिशत थोक दवाओं का विनिर्माण करता है। भारत विश्व में जेनरिक दवाओं का भी एक प्रमुख उत्पादक है।

वैश्विक औषधीय कंपनियों की तुलना में भारतीय औषधि निर्माता कम लागत पर दवाएँ बना रहे हैं तथा प्रमुख भारतीय जेनरिक कंपनियों की उनके प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक संविदाएँ हैं। 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान भारत से दवाओं, औषधियों तथा परिष्कृत रसायनों का निर्यात 7.7 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा, जो गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

ऑटोमोटिव्स

सितंबर 2008 से विश्व के आर्थिक परिदृश्य में आए परिवर्तनों तथा उसके पश्चात् अर्थव्यवस्था में छाई मंदी के कारण भारत में वाहनों के वित्तपोषण की सहज उपलब्धता की संभावनाएँ क्षीण होती जा रही हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सवारी वाहनों का निर्यात बढ़ा जिसके कारण विदेशी पोत लदान में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2008-09 के दौरान वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर सभी तरह के सवारी वाहनों के निर्यात में 23.6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई है। किंतु, सवारी वाहनों तथा अन्य बहुउद्देश्यीय वाहनों को छोड़कर जहाँ लाभों में कुछ बढ़ोतरी देखी गई है, अन्य सभी खंडों में वाहनों की बिक्री की संभावनाएँ कम हैं। तथापि इस तरह के रूझान ऑटो निर्माताओं को नए तरह के उत्पाद बनाने से हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं।

भारतीय ऑटो-पुर्जा उद्योग की कुल बिक्री का 10 से 20 प्रतिशत टर्नओवर पश्चिमी बाजारों से आता है किंतु, विश्व स्तर पर वास्तविक उपकरण निर्माताओं (ओ ई एम) से मांग कम होने के कारण इसे संकट का सामना करना पड़ रहा है तथा इन बाजारों में आर्थिक मंदी के चलते ऑटो-पुर्जा उद्योग प्रभावित हो रहा है। यह उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सालों में भारतीय ऑटो-पुर्जा उद्योग विनिर्माण क्षेत्र के सबसे तेज वृद्धि वाले खंड के रूप में उभरा है तथा वैश्विक स्तर पर इसने प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल की है। ऑटो-पुर्जा विनिर्माता संघ (ए सी एम ए) के अनुसार वर्ष 2007-08 में भारतीय ऑटो-पुर्जा उद्योग का आकार 3.6 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के निर्यात के साथ कुल 18 बिलियन यू एस डॉलर का था। भारतीय ऑटो-पुर्जा उद्योग की निर्यात उन्मुखता 1997-98 में 11 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 20 प्रतिशत से अधिक रही है।

घरेलू तथा निर्यात दोनों बाजार में मांग कम होने के कारण बहुत-से वाहन निर्माता अपने उत्पादनों को कम करने की घोषणा कर चुके हैं साथ ही वित्तीय संकट के कारण मांग में आयी कमी तथा ऋण लागत के बढ़ने के चलते प्रमुख ऑटो निर्माता कंपनियों ने अपनी विस्तार योजनाओं को स्थगित कर दिया है। इस तरह के रूझानों ने भारतीय ऑटो-पुर्जा विनिर्माताओं के सभी बाजार समीकरणों को उलट दिया है। अनुमानों के अनुसार प्रमुख खिलाड़ियों की निर्यात आय में कमी (लगभग 5.5 प्रतिशत) के साथ भारतीय ऑटो-पुर्जा उद्योग द्वारा एक अंकीय वृद्धि (लगभग 6 प्रतिशत) दर्ज करने का अनुमान है।

ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के उद्देश्य से 'ट्रस्ट फॉर विलेज सेल्फ गवर्नेंस' नामक एक गैर सरकारी संगठन की एक्जिम बैंक द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना के अंतर्गत कुथम्बकम, तमिल नाडु में निर्यात हेतु सूती हैमक बनाती हुई ग्रामीण महिलाएँ।

यह उल्लेखनीय है कि भारत के ऑटोमोटिव उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर वाहनों की संपूर्ण शृंखला तथा ऑटो-पुर्जों के निर्माण की क्षमता है। एक बार वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थितियों में सुधार आते ही भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग आने वाले वर्षों में भारत की उच्च तकनीकी दक्षता तथा स्थापित उत्पादन क्षमता के चलते मजबूत वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है।

इंजीनियरी माल

वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय इंजीनियरी माल क्षेत्र जो पूँजीगत माल / मशीनरी तथा उपकरण एवं हल्के तकनीकी माल का उत्पादन करता है, विविधीकृत बाजार का लाभ उठाते हुए निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा अभिकलित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, 2008-09 की अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों यथा मूल धातुओं तथा मिश्र उद्योगों (4.0 प्रतिशत), परिवहन उपकरण को छोड़कर मशीनरी तथा उपकरण (8.7 प्रतिशत) के लिए सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। किन्तु, पिछले साल की अनुरूपी अवधि की तुलना में परिवहन उपकरण के क्षेत्र में मामूली वृद्धि (2.2 प्रतिशत) तथा धातु उत्पाद तथा पुर्जा उत्पाद के क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि (-) 4.0 प्रतिशत प्रदर्शित करता है।

भारतीय इंजीनियरी उद्योग का निष्पादन पिछले वर्षों में सकारात्मक रहा है तथा इंजीनियरी माल का निर्यात वर्ष 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 36.5 बिलियन यू एस डॉलर हो गया है जो कि गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में 22.9 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। तथापि भारतीय इंजीनियरी माल की मांग पारंपरिक बाजारों यथा यू एस, यूरोप तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में काफी कम हुई।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आंकड़ों के अनुसार पूँजीगत माल क्षेत्र ने 2008-09 के दौरान गत वर्ष के 8.6 प्रतिशत से घटकर 7.0 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। वैश्विक मांग में मंदी एवं वर्तमान अनिश्चितता के चलते फर्में अपनी पूँजी विस्तार योजनाओं को स्थगित कर रही हैं। इसके साथ ही विशेषकर एस एम ई क्षेत्रों में बढ़ती इन्वेंटरी भी इंजीनियरी फर्मों को नए बाजार तलाशने पर विवश कर रही है।

रसायन

वैश्विक आर्थिक संकट के चलते भारतीय रसायन उद्योग संकट का सामना कर रहा है जिसे, विशेष रूप से मंदी के कारण प्रमुख अंतिम उपयोगकर्ताओं से मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे विश्व में वस्त्रों की मांग में कमी होने के कारण रंग द्रव्य क्षेत्र भी मांग में गिरावट का सामना कर रहा है। निर्माण क्षेत्र में मंदी तथा ऑटोमोबाइल बिक्री में मंदी होने के कारण पेंट इंडस्ट्री भी मांग संकुचन का सामना कर रही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आंकड़ों के अनुसार 2008-09 की अवधि के दौरान 'मूल रसायन तथा रसायन उत्पाद (पेट्रोलियम तथा कोयला को छोड़कर)' समूह ने 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

भारतीय रसायन उद्योग का आकार लगभग 35 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 3 प्रतिशत के समतुल्य है। भारतीय रसायन उद्योग का विश्व में बारहवां तथा एशिया में तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति रसायन उत्पादों की खपत विश्व की औसत खपत का लगभग दशांस है। पिछले दशक से भारतीय रसायन उद्योग ने मूल रसायन उत्पादक उद्योग की अपनी छवि से हटकर एक नवोन्मेषी उद्योग के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आर एण्ड डी गतिविधियों में वृद्धिशील निवेश के माध्यम से उद्योग विशिष्ट रसायन तथा परिष्कृत रसायन युक्त ज्ञान क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज कर रहा है।

लघु, मध्यम तथा छोटी इकाइयों से युक्त भारतीय रसायन उद्योग का भविष्य मुख्य रूप से समग्र अर्थव्यवस्था के रूझानों तथा इसके प्रयोक्ता अन्य विनिर्माण क्षेत्रों पर निर्भर करता है। तथापि प्रतिस्पर्धी बढ़त वाली कंपनियाँ जिनके पास उच्च मूल्यवर्द्धित रसायनों के क्षेत्र में दक्षता है और जो अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन करती हैं, अपनी क्षमताओं को बेहतर उपयोग कर घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकती हैं।

पेट्रोलियम उत्पाद

वर्ष 2008 से विश्व में अशोधित तेल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव के चलते पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में अनिश्चितता बनी रही। यह अनिश्चितता तेल शोधन तथा तेल अन्वेषण दोनों ही क्षेत्रों में बनी रही। वर्ष 2008-09 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन गत वर्ष के 0.4 प्रतिशत से घटकर (-) 1.8 प्रतिशत हुआ है। कच्चे तेल के उत्पादन में देरी का कारण कुछ तेल परियोजनाओं में विलंबित उत्पादन रहा। इसके साथ ही सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र / संयुक्त उद्यम अन्वेषण कंपनियों के उत्पादन में भी कमी आयी। वर्ष 2008-09 के दौरान पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों ने गत वर्ष के 6.5 प्रतिशत की तुलना में 3 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज की।

भारत में पेट्रोलियम उद्योग देश को पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में देश द्वारा किए गए प्रयासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत 2001-02 से पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बन गया है तथा पिछले छह वर्षों में इसकी निर्यात वृद्धि दर 50 प्रतिशत से ज्यादा रही है। कुल निर्यातों में पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात का हिस्सा 2001-02 के 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 17.4 प्रतिशत तथा 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 16.3 प्रतिशत

महामहिम श्रीमती जासना मैटिक, राज्य सचिव, अर्थव्यवस्था मंत्रालय, सर्बिया गणराज्य तथा महामहिम श्री वुक जुजिक, भारत में सर्बिया गणराज्य के राजदूत के नेतृत्व में भारत आया एक प्रतिनिधि मंडल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के संबंध में एक्जिम बैंक के साथ वार्तालाप करते हुए।

हो गया। परिणामत: एक समूह के रूप में पेट्रोलियम पदार्थ उत्पाद भारतीय निर्यातों की प्रमुख मदों में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) की अवधि के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात 2.4 प्रतिशत की दर से बढ़कर 24.8 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का अनुमान दर्शाता है कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग (2011-12) के अंतिम वर्ष में 140 मिलियन टन से ज्यादा होगी जो कि, 2006-07 में 120 मिलियन टन की अनुमानित खपत की तुलना में है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में रिफाइनिंग क्षमता बढ़कर 240 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाने का अनुमान है जबकि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के शुरुआती वर्ष में यह लगभग 150 मिलियन टन थी। इस क्षमता विस्तार से रिफाइनिंग क्षमता में लगभग 90 मिलियन टन की अतिरिक्त वृद्धि होगी जिससे निर्यात आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। रिफाइनिंग उद्योग के लिए मध्यावधि संभावना सकारात्मक दिखती है जिसका कारण घरेलू उपयोग में वृद्धि तथा बाजार में नई क्षमता निर्माण का होना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स

समग्र निर्यात रूझान में गिरावट के बावजूद 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) की अवधि के दौरान भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में 30.4 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि के साथ 4.1 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य का रहा। 2008-09 (अप्रैल-फरवरी) की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माल का आयात 19.5 बिलियन यू एस डॉलर का रहा, जो कि गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2007-08 के दौरान भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का समग्र उत्पादन 20.1 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुँच गया। 2007-08 की अवधि के दौरान कुल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान का 27 प्रतिशत हिस्से के साथ एक बड़ा हिस्सा रहा। इसके बाद कम्प्यूटर (20 प्रतिशत), संचार तथा प्रसारण उपकरण (18 प्रतिशत), औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक सामान (15 प्रतिशत), इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे (12 प्रतिशत) तथा सामरिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (8 प्रतिशत) का स्थान रहा।

महामहिम श्री एड्यूआर्डो एस्कैन्डेल, उप मंत्री, विदेशी व्यापार मंत्रालय, क्यूबा गणराज्य सरकार तथा श्रीमती नीडिया ओजेडा बनोस, प्रथम सचिव, व्यापार एवं सहयोग, क्यूबा राजदूतावास ने एक्ज़िम बैंक का दौरा किया।

अल्पावधि में नकदी तथा उपभोक्ता वित्तपोषण में कमी आने के कारण घरेलू बाजार में मांग स्तर में थोड़ी कमी हो सकती है तथा उद्योग का विकास बाधित हो सकता है तथापि, भारतीय बाजार अभी भी अपने संभाव्य बाजार आकार तथा इलेक्ट्रॉनिक उपभोग के चलते बेहतर स्थिति में है। इसके अलावा बेहतर ऊर्जा प्रबंधन/ऊर्जा संरक्षण, उच्च इंजीनियरिंग के लिए प्रौद्योगिकी उन्मुखता तथा लागत कटौती आदि रणनीतियों की बढ़ती मांग मंदी के बावजूद नये क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ायेंगी।

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक बाजार 25 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक का है तथा यह 30 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की दर से बढ़ रहा है। इस वृद्धि दर से इसके 2010 में बढ़कर 70 बिलियन यू एस डॉलर तथा 2015 में 158 बिलियन यू एस डॉलर तक पहुँच जाने की संभावना है। टेलीकॉम उत्पादों की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि परिलक्षित हो रही है तथा भारत में करीब 2 मिलियन टेलीफोन ग्राहक प्रति महीने की दर से जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही अन्य उच्च वृद्धि वाले उत्पादों की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोत्तरी रही है तथा कम्प्यूटर /सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सकीय, औद्योगिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग भी काफी बढ़ी है।

खाद्य प्रसंस्करण

वैश्विक वित्तीय बाजार में संकट के चलते अंतरराष्ट्रीय पण्य बाजार में पैसा लगा चुके निवेशक अब कृषि पण्यों तथा ईक्विटीज से अपने निवेश निकाल रहे हैं। कॉफी, खाद्य तेल / बीज तथा अन्य पण्यों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में मंदी का रुख बना हुआ है तथा इसके मध्यावधि में भी बने रहने की संभावना है। यद्यपि

कुछ पण्यों के मूल्यों में कमी से उत्पादन लागत में वृद्धि अंशत: समंजित हो सकती है किंतु, इससे बिक्री आय में भी कमी आएगी जिसका संसाधन इकाइयों के बिक्री राजस्व तथा लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। पण्य मूल्यों में मंदी के बावजूद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लागत परिचालन मूल्य में वृद्धि के दबाव का सामना कर रहा है। साथ ही नकदी की कमी इस कार्यशील पूँजी गहन उद्योग को प्रभावित कर रही है। एक अनुमान के अनुसार बहुत-सी इकाइयाँ नकदी की कमी के चलते अपनी भावी योजनाओं को टाल सकती हैं; मूलभूत सुविधाओं में निवेश (मूल्य शृंखला स्थापित करने के लिए) के संबंध में भी उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

यद्यपि भारत से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात की अच्छी संभावनाएँ हैं तथापि, मध्यावधि में इसके प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दबावों सहित कई अन्य कारणों से प्रभावित रहने की आशंका है। भारत की वैविध्यपूर्ण कृषि-जलवायु तथा प्रचुर मात्रा में कच्चे माल की उपलब्धता इसे विकसित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की दृष्टि से प्रतिस्पर्धी बढ़त देती है तथा अवसर उपलब्ध कराती है। इसके साथ ही भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता भी इसे प्रतिस्पर्धी बढ़त देती है जिसका लाभ घरेलू तथा निर्यात बाजारों के लिए लागत प्रभावी उत्पादन आधार विकसित करने में उठाया जा सकता है। इस प्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले महत्त्वपूर्ण उप-क्षेत्रों में अनाज प्रसंस्करण,फल तथा सब्जी प्रसंस्करण, मत्स्य प्रसंस्करण, दुग्ध प्रसंस्करण, मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण, डिब्बा-बंद/ सुविधाजनक खाद्य, शराब तथा अन्य पेय पदार्थ आदि शामिल हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि तथा उद्योग जगत के बीच की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है जो देश में उत्पादन, उपभोग, निर्यात तथा सकल घरेलू उत्पाद के मामले में एक सबसे बड़ा क्षेत्र है। यह क्षेत्र कुल उद्योग उत्पादन में लगभग 14 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6 प्रतिशत का योगदान करता है। उद्योग का आकार लगभग 70 बिलियन यू एस डॉलर अनुमानित है। वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 13 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा लगभग 35 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है।

विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित एक विशेष पाठ्यक्रम में भाग लेने आए सूडान के एक राजनय दल ने एक्ज़िम बैंक का दौरा किया।

नीतिगत परिवेश

भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक दोनों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए त्वरित कदम उठाए गए। जहां सरकार द्वारा दो वित्तीय सहायता पैकेजों की घोषणा की गई, वहीं भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपया तथा डॉलर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने संबंधी उपायों सहित उत्पादक क्षेत्रों को ऋण प्रवाह बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति को अनुकूल बनाए रखा। सरकारी वित्तीय सहायता पैकेजों में अतिरिक्त लोक व्यय, बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा गारंटित निधियाँ, अप्रत्यक्ष करों में कटौती, सूक्ष्म तथा लघु उद्यमियों के लिए ऋण हेतु विस्तारित गारंटी कवर एवं निर्यातकों को अतिरिक्त सहायता शामिल है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी, 2009 को अपनी विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अनुपूरक के रूप में कई उपायों की घोषणा की गई जिसमें कई सुविधाओं सहित चमड़ा, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों के लिए 3.25 बिलियन रुपये की संवर्द्धन राशि का प्रावधान किया गया है, जो 01 अप्रैल, 2009 से किए जाने वाले निर्यातों के लिए है। इसके साथ ही हस्तनिर्मित कालीनों के निर्यात के लिए अधिसूचित एफ पी एस योजना के अंतर्गत 5.0 प्रतिशत लाभ; टेक्निकल टेक्सटाइल तथा स्टैपलिंग मशीनों को फोकस प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत शामिल करना; विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना के अंतर्गत अधिसूचित सूखी सब्जियों के निर्यात के लिए 2.5 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ; विद्यमान आर्थिक मंदी को देखते हुए अग्रिम प्राधिकार के जरिए निर्यात दायित्व अवधि को बढ़ाकर 36 महीने करना; अंतिम निर्यातक के एडवांस

इंटरमीडिएट अथराइजेशन के जरिए घरेलू आपूर्तिकर्ता को मध्यवर्ती उत्पादों की आपूर्ति; फैक्टरी से सीधे पोर्ट तक करने की अनुमति प्रदान करना; 2008-09 में किए गए निर्यातों के लिए वर्ष 2009-10 की ई पी सी जी योजना के अंतर्गत ऐसे उत्पादों के सभी निर्यातकों, जिनके निर्यात में 5.0 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है, के लिए घाटा दायित्वों के प्रावधानों को विस्तारित करना तथा अन्य कई प्रक्रियागत प्रणालियों का सरलीकरण आदि शामिल है।

वैश्विक वित्तीय बाजारों में जारी अनिश्चितता तथा भारत पर इसके प्रभावों एवं नकदी संकट के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सी आर आर में तीन चरणों में 400 आधार बिन्दु की कटौती की गई। पहले चरण में 11 अक्तूबर, 2008 से इसे 9.0 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत पर, 25 अक्तूबर 2008 से 6.0 प्रतिशत पर, 8 नवंबर, 2008 से 5.5 प्रतिशत पर तथा पुन: 17 जनवरी, 2009 से घटाकर 5.0 प्रतिशत पर कर दिया गया। इसके साथ ही बैंकों को निर्यात ऋणों के पुनर्वित्तीयन तथा चलनिधि समायोजन सुविधा (एल ए एफ) के जरिए संभाव्य नकदी उपलब्ध कराई गई।

विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बनाए रखने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों में एफ सी एन आर (बी) तथा एन आर (ई) आर ए जमाओं पर ब्याज दरों की उच्चतम सीमा में बढ़ोतरी; बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ई सी बी) के प्रावधानों में पर्याप्त छूट, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन बी एफ सी) / हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को विदेशी मुद्रा ऋण जुटाने की छूट तथा कंपनियों को एफ सी सी बी की वापसी खरीद की अनुमति देना आदि शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी शाखाओं का नेटवर्क रखने वाले भारतीय बैंकों तथा एक्ज़िम बैंक की अल्पावधि निधिक आवश्यकताओं के प्रबंधन में सहायता के लिए रुपया-डॉलर स्वैप सुविधा की भी शुरुआत की गई है।

मंदी से प्रभावित क्षेत्रों को ऋण-प्रवाह बनाए रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए हैं। इनमें निर्यातों के लिए प्री-शिपमेंट तथा पोस्ट-शिपमेंट ऋण अवधियों में विस्तार; निर्यातों के लिए पुनर्वित्त सुविधा का विस्तार; कुछ अपवादों को छोड़कर सभी प्रकार की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों का प्रति-चक्रीयता समायोजन; चुनिंदा ऐसे क्षेत्रों जिनमें बैंकों का जोखिम भार जोखिम प्रति-चक्रीयता के कारण बढ़ गया है, के लिए जोखिम भार में कमी करना आदि शामिल हैं। निर्यात, आवास एवं अति सूक्ष्म तथा लघु (एम एस ई) क्षेत्रों को नकदी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक्ज़िम बैंक को 50 बिलियन रुपये, राष्ट्रीय आवास बैंक को 40 बिलियन रुपये तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 70 बिलियन रुपये की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की गई। विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क दरों को निरंतर कम किया गया है।

भारतः द्रुतगामी प्रगति

(2008-09 के दौरान प्रमुख नीतिगत परिवर्तन)

ऋण नीति

- नकदी प्रारक्षित अनुपात (सी आर आर) विभिन्न चरणों में घटाकर अक्तूबर 2008 के 9.0 प्रतिशत से घटाकर जनवरी 2009 में 5.0 प्रतिशत कर दिया गया।
- रेपो रेट को भी विभिन्न चरणों में घटाया गया जिसे अक्तूबर 2008 के 9.0 प्रतिशत से मार्च 2009 में 5.0 प्रतिशत तथा पुन: अप्रैल 2009 में घटाकर 4.75 प्रतिशत कर दिया गया। रिवर्स रेपो रेट को भी दिसम्बर 2008 के 6.0 प्रतिशत से घटाकर मार्च 2009 में 3.5 प्रतिशत तथा पुन: अप्रैल 2009 में घटाकर 3.25 प्रतिशत कर दिया गया।

व्यापार नीति

- चमड़ा, कपड़ा तथा हस्तनिर्मित कार्पेट के निर्यातों को मदद करने के लिए व्यापारिक सहूलियतों की घोषणा की गई।
- फोकस प्रोडक्ट योजना के तहत तकनीकी टेक्सटाइल तथा स्टेपलिंग मशीन का समावेश तथा वी के जी यू वाई के अंतर्गत सूखी सब्जियों के निर्यात के लिए 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ की घोषणा।
- अग्रिम प्राधिकारों के बदले निर्यात दायित्व अवधि में 36 माह तक की बढ़ोतरी।

नकदी प्रबंधन

- निर्यात, आवास तथा सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्रों में नकदी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मार्च 2010 तक एक्ज़िम बैंक को 50 बिलियन रुपये, राष्ट्रीय आवास बैंक को 40 बिलियन रुपये तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 70 बिलियन रुपये की पुनर्वित्त सुविधा।
- एफ सी एन आर (बी) तथा एन आर (ई) आर ए जमा पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा में वृद्धि।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों / आवास वित्त कंपनियों को विदेशी मुद्राएँ जुटाने तथा कंपनियों को एफ सी सी बी की वापसी-खरीद की अनुमति।
- विदेशी शाखाओं वाले बैंकों तथा एक्ज़िम बैंक को उनकी अल्पावधि निधिक आवश्यकताओं के प्रबंधन में सहायता के लिए रुपया-डॉलर स्वैप सुविधा का प्रारंभ।

बाह्य वाणिज्यिक उधारियों संबंधी मानदंड

- ऑटोमेटिक रूट के तहत अंतिम उपयोग के लिए प्रति वित्तीय वर्ष प्रत्येक उधारकर्ता को रुपया खर्च और / अथवा विदेशी मुद्रा खर्च के लिए 500 मिलियन यू एस डॉलर तक की बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने की मंजूरी।
- सेवा क्षेत्र की संस्थाओं जैसे; होटल, अस्पताल तथा सॉफ्टवेयर कंपनियों को एक वित्तीय वर्ष में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 मिलियन यू एस डॉलर तक की बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने की मंजूरी।
- बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने के लिए खनन, अन्वेषण तथा रिफाइनरी क्षेत्र को पात्र बनाने के लिए बुनियादी क्षेत्र की परिभाषा को व्यापक किया गया।
- बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ जुटाने संबंधी उच्चतम लागत सीमा प्रावधानों को 31 दिसम्बर, 2009 तक के लिए हटाया गया।

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को यथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लेखों के साथ, इस बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

परिचालनों की समीक्षा

यथा 31 मार्च, 2009 को कुल ऋण-आस्तियाँ 345.05 बिलियन रुपये की रहीं जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। बैंक के संसाधन यथा 31 मार्च, 2008 के 349.23 बिलियन की तुलना में 17.6 प्रतिशत बढ़कर यथा 31 मार्च, 2009 को 410.7 बिलियन रुपये रहे। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान, बैंक ने अपने विभिन्न उधारदात्री कार्यक्रमों के अंतर्गत 336.28 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की, जो वित्तीय वर्ष 2007-08 में मंजूर की गई 328.05 बिलियन रुपये की राशि के मुकाबले में है। वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने 2007-08 के 271.59 बिलियन रुपये की तुलना में 289.33 बिलियन रुपये के ऋणों का संवितरण किया। वर्ष 2008-09 के दौरान भुगतान वर्ष 2007-08 के 203.65 बिलियन रुपये की तुलना में 269.21 बिलियन रुपये रहे।

2007-08 के दौरान मंजूर की गई 16.18 बिलियन रुपये की गारंटियों की तुलना में वर्ष 2008-09 में 21.99 बिलियन रुपये की गारंटियाँ मंजूर की गयीं जबकि, वर्ष 2007-08 की 20.39 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष के दौरान 10.32 बिलियन रुपये की गारंटियाँ जारी की गई। यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक की बहियों में बकाया गारंटियाँ यथा 31 मार्च, 2008 के 34.56 बिलियन रुपये की तुलना में 35.40 बिलियन रुपये की थीं तथा साख-पत्र यथा 31 मार्च, 2008 को 12.70 बिलियन रुपये की तुलना में यथा 31 मार्च, 2009 को 9.39 बिलियन रुपये के थे। यथा 31 मार्च, 2009 को कुल ऋण आस्तियों में रुपया ऋणों तथा अग्रिमों का 55.3 प्रतिशत हिस्सा रहा जबकि, शेष 44.7 प्रतिशत विदेशी मुद्रा ऋण थे। यथा 31 मार्च, 2009 को कुल ऋणों तथा अग्रिमों में अल्पावधि-ऋणों का हिस्सा 24.6 प्रतिशत रहा।

बैंक ने वर्ष 2007-08 के लिए 5.33 बिलियन रुपये के लाभ की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान सामान्य निधि लेखे में 6.10 बिलियन रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है। आयकर के लिए 1.33 बिलियन रुपये का निवल प्रावधान करने के बाद 2008-09 के दौरान कर पश्चात लाभ 4.77 बिलियन रुपये रहा जबकि, 2007-08 में यह 3.33 बिलियन रुपये था। इस लाभ में से 2.86 बिलियन रुपये की राशि आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है।

बैंक के नई दिल्ली कार्यालय में निदेशक मंडल की एक बैठक।

इसके अतिरिक्त बैंक ने निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि लेखे में 100 मिलियन रुपये, ऋण शोधन निधि में 100 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में 550 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं। शेष 1.16 बिलियन रुपये की राशि एक्ज़िम बैंक अधिनियम में दिए गए अनुसार भारत सरकार को अंतरित की जाएगी।

वर्ष 2008-09 के दौरान निर्यात विकास निधि का कर पूर्व लाभ 39.69 मिलियन रुपये रहा जबकि, 2007-08 में यह 28.93 मिलियन रुपये था। निवल आयकर के रुप में 6.89 मिलियन रुपये का प्रावधान करने के बाद कर पश्चात लाभ की राशि वर्ष 2008-09 में 32.82 मिलियन रुपये होती है जबकि, वर्ष 2007-08 के दौरान यह राशि 19.09 मिलियन रुपये थी। 32.82 मिलियन रुपये का लाभ अगले वर्ष के लिए ले जाया गया है।

व्यवसाय परिचालन

बैंक के व्यवसाय परिचालनों की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षों के अधीन प्रस्तुत की गई है :

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात
II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन
III. संयुक्त उद्यम
IV. नई पहलें
V. वित्तीय निष्पादन
VI. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ
VII. संस्थागत संबंध
VIII. सूचना प्रौद्योगिकी
IX. शोध एवं विश्लेषण
X. मानव संसाधन प्रबंधन
XI. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति
XII. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात

निर्यात संविदाएँ

परियोजना निर्यात संवर्द्धन के लिए एक्ज़िम बैंक एक समन्वयक तथा सहायक की भूमिका निभाने के साथ-साथ परियोजना निर्यातों पर कार्यकारी दल[1] के लिए केंद्र बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। 2007-08 के दौरान 147 भारतीय निर्यातकों द्वारा 92 देशों में कुल 326.83 बिलियन रुपये की 977 निर्यात संविदाओं के मुकाबले 2008-09 के दौरान एक्ज़िम बैंक की सहायता से 152 भारतीय निर्यातकों द्वारा 105 देशों में कुल 335.27 बिलियन रुपये की 1325 निर्यात संविदाएँ प्राप्त की गईं।

वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक की सहायता से प्राप्त की गयी संविदाओं में 139.35 बिलियन रुपये मूल्य की 50 टर्नकी संविदाएँ, 126.33 बिलियन रुपये मूल्य की 19 निर्माण संविदाएँ, 39.06 बिलियन रुपये मूल्य की 1184 आपूर्ति संविदाएँ; तथा 1.40 बिलियन रुपये मूल्य की 3 तकनीकी परामर्शी तथा सेवा संविदाएँ शामिल थीं। इसके अतिरिक्त ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत 29.12 बिलियन रुपये मूल्य की कई अन्य संविदाएँ भी प्राप्त की गईं।

वर्ष के दौरान प्राप्त कुछ प्रमुख टर्नकी संविदाओं में सीरिया में 2×200 मेगावॉट की थर्मल पॉवर प्लांट परियोजना के विस्तार हेतु डिजाइन, विनिर्माण, आपूर्ति, सिविल कार्य, संस्थापना तथा प्रवर्तन कार्य; बहरीन राज्य में दो होटलों में मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तथा प्लंबिंग कार्य; न्यू कैलेडोनिया में कोनियाम्बो विद्युत परियोजना के लिए 2×135 मेगावाट के ब्वॉयलर तथा सहायक उपकरणों के विनिर्माण, आपूर्ति एवं संस्थापना की देख-रेख तथा प्रवर्तन कार्य; कतर में उच्च वोल्टेज वाले 32 उप-स्टेशनों की आपूर्ति, संस्थापना एवं प्रवर्तन कार्य और 19 उच्च वोल्टेज उप-स्टेशनों का केबलिंग

बैंक के प्रमुख कार्यक्रम

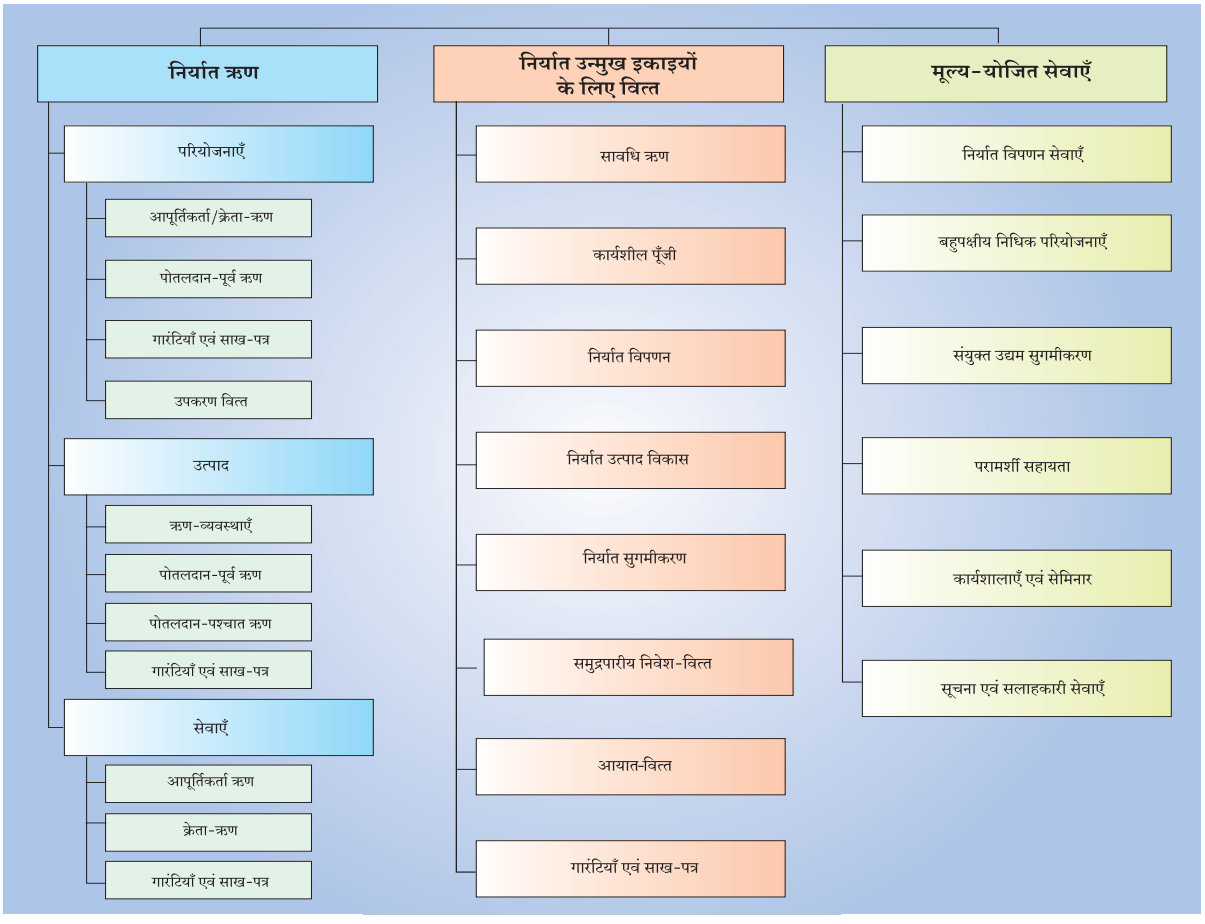

[1] कार्यकारी दल एक अंतर-संस्थागत व्यवस्था है जिसमें एक्ज़िम बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि., भारत सरकार तथा वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। यह एक्ज़िम बैंक के तत्वावधान में कार्य करता है।

कार्य; मिश्र में 500 के वी की डबल सर्किट ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन खींचने हेतु आपूर्ति तथा प्रवर्तन कार्य; कुवैत में 172 किमी. लंबी 400 के वी की ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन खींचने, आपूर्ति तथा प्रवर्तन कार्य; सऊदी अरब में उर्वरक संयंत्र के लिए ग्रेन्युलेटर अमोनिया अबेटमेंट प्रोजेक्ट की डिजाइन, इंजीनियरी, आपूर्ति, संस्थापना तथा प्रवर्तन कार्य आदि शामिल हैं।

निर्माण संविदाओं में शामिल हैं - कतर में रणनीतिक गैस पारेषण परियोजना के लिए 36 इंच दोहरी गैस पाइप लाइन की इंजीनियरी, प्रापण, संस्थापना तथा प्रवर्तन कार्य, जिसमें हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल कार्य शामिल हैं; अल्जीरिया में दुहरी रेलवे लाइन का निर्माण; लीबिया में दो संविदाओं जिनमें मद-जल निकासी के लिए मुख्य एवं सहायक लाइनों तथा सड़कों की इंजीनियरी, प्रापण, संस्थापना तथा प्रवर्तन कार्य; दुबई में एक आलिशान आवासीय टॉवर बनाने के लिए संविदा; काबुल में अफगान संसद तथा भारतीय कार्यालय भवन का निर्माण कार्य जिसमें अंदरूनी तथा बाहरी विद्युत कार्य, सिविल कार्य, एच वी ए सी, लिफ्ट, अग्निशमन प्रणाली तथा उद्घोषणा प्रणाली

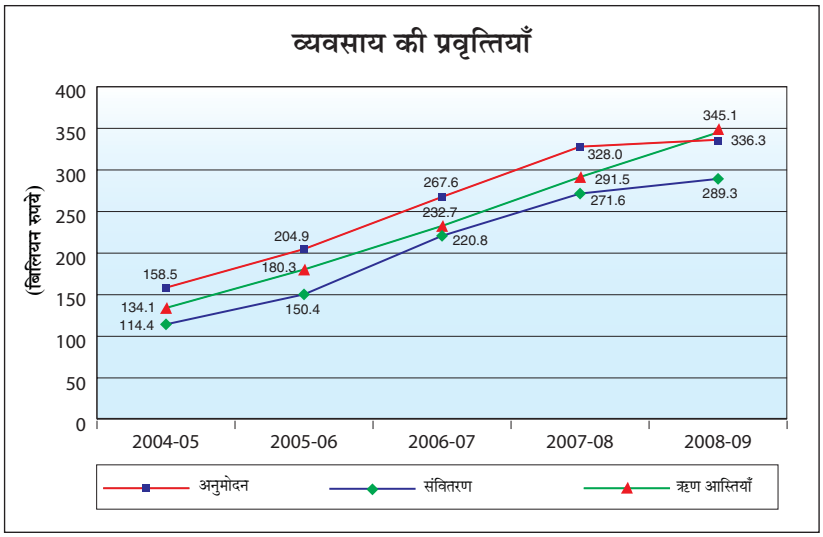

आदि शामिल हैं; लीबिया में 2000 मकानों तथा संबंधित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए संविदाएँ शामिल हैं।

वर्ष के दौरान प्राप्त आपूर्ति संविदाओं में सिंगापुर, यू के, तुर्की, मलेशिया तथा ब्राजील जैसे देशों को बी ओ पी पी फिल्में, रसायन तथा रंगद्रव्य, औषधियाँ, कृषि प्रसंस्कृत खाद्य, चावल, खनिजों एवं वस्त्रों जिनमें यार्न, फैब्रिक तथा तैयार वस्त्र शामिल हैं, का निर्यात आदि है। साथ ही भारतीय कंपनियों ने सऊदी अरब, बेल्जियम, मिश्र, श्री लंका, यू एस, हांग कांग, युगांडा, जांबिया, केन्या तथा यमन गणराज्य जैसे देशों को कलर कोटेड स्टील की चद्दरें तथा क्वॉएल, कटे तथा तराशे हीरे, साइकिलें तथा कल-पुर्जे, भारी इंजीनियरी सामान, सिंचाई उपकरण, लेड बैटरियाँ, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया तथा ट्रांसमिशन केबलों के निर्यात संबंधी संविदाएँ भी हासिल की हैं।

तकनीकी परामर्शी तथा सेवा संविदाओं में अल्जायर्स रिफाइनरी, अल्जीरिया के पुनर्वास के लिए परियोजना प्रबंधन तथा सलाहकारी सेवाएँ और ईरान में विश्व बैंक द्वारा निधिक बाम (बी ए एम) भूकंप आपात पुनर्निर्माण परियोजना के लिए प्रापण परामर्शी सेवाएँ शामिल हैं।

एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत वित्त पोषित महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि., मुंबई द्वारा गाम्बिया में स्थापित किया जा रहा ट्रैक्टर एसेम्बली संयंत्र।

निर्यात ऋण तथा गारंटियाँ

वर्ष के दौरान बैंक ने आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण और परियोजना निर्यात के लिए वित्त के जरिए कुल 147.17 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की जबकि, पिछले वर्ष में ये मंजूरियाँ 104.56 बिलियन रुपये की थीं। वर्ष के दौरान किए गए संवितरणों की राशि गत वर्ष के 142.73 बिलियन रुपये रही जो कि गत वर्ष के 112.72 बिलियन रुपये की तुलना में है, इसमें 26.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान मंजूर तथा जारी की गई गारंटियों की राशि गत वर्ष के 21.99 बिलियन रुपये तथा 20.39 बिलियन रुपये की तुलना में क्रमश: 16.18 बिलियन रुपये तथा 10.32 बिलियन रुपये रही। ये गारंटियाँ बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण, आधारभूत संरचना विकास और निर्यात दायित्व गारंटियों जैसे क्षेत्रों में विदेशी परियोजनाओं से संबंधित थीं।

क्रेता-ऋण

क्रेता-ऋण एक्ज़िम बैंक का एक विशिष्ट कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बैंक भारतीय निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी क्रेताओं को भारत से उनके आयातों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए ऋण देता है। क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातकों को पात्र मूल्य का भुगतान उनकी बिना किसी जिम्मेदारी के करता है। क्रेता-ऋण भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक सुरक्षित तथा उत्तरदायित्व रहित वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध कराता है और उन्हें विदेशी बाजारों में अपनी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

वर्ष 2008-09 में क्रेता-ऋण के अंतर्गत बैंक द्वारा 13 विदेशी कंपनियों को 5.50 बिलियन रुपये की ऋण सुविधाएँ प्रदान की गईं। इनके अंतर्गत कुल 3.77 बिलियन रुपये के संवितरण किए गए जिनमें इटली, सिंगापुर, श्री लंका, दक्षिण अफ्रीका, थाइलैंड, यू ए ई, यू के तथा यू एस के लिए निर्यात शामिल हैं। क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्यात की गई मदों में परिवहन वाहन एवं ऑटो स्पेअर पार्ट्स, फल तथा सब्जियाँ, चावल, सादे तथा जड़ाऊ आभूषण, स्टील तार तथा तार निर्मित राड, पाइप मशीनरी, सिंचाई उपकरण, प्लास्टिक उत्पाद, सुगंधित अगरबत्ती, सीमेंट क्लिंकर, पेट्रो रसायन उत्पाद, औषधियां एवं तैयार वस्त्र आदि शामिल हैं। लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के कई निर्यातकों ने क्रेता-ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरदायित्व रहित भुगतान सुविधा का लाभ उठाया।

ऋण-व्यवस्थाएँ

बैंक ने ऋण-व्यवस्थाओं (एल ओ सी) के विस्तार पर विशेष बल दिया है क्योंकि, यह लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्रभावी बाजार प्रवेश तंत्र के रूप में सहायक हैं।

लाओ पी डी आर में एक हाइड्रोपॉवर परियोजना तथा एक ट्रांसमिशन एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार की ओर से एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदत्त 33 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था करार पर भारत के प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह एवं लाओ पी डी आर के राष्ट्रपति महामहिम श्री चौमाली सायासोने की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

एक्ज़िम बैंक समुद्रपारीय वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य समुद्रपारीय संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान करता है ताकि, उन देशों के क्रेता आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से माल तथा सेवाओं का आयात कर सकें। भारतीय निर्यातक पोतलदान दस्तावेजों के परक्रामण पर एक्ज़िम बैंक से दायित्व रहित पात्र मूल्य का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ऋण-व्यवस्था एक ऐसी वित्तपोषण व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों, विशेषकर लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को सुरक्षित वित्तपोषण के विकल्पों का सहारा लेने का एक माध्यम उपलब्ध कराती है और प्रभावी बाजार प्रवेश माध्यम के रूप में कार्य करती है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिवेश में होने के कारण एक्ज़िम बैंक अपने ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अधीन इसकी भौगोलिक पहुँच तथा मात्रा में तत्परतापूर्वक विस्तार करना चाहता है।

समुद्रपारीय सत्ताओं को अपनी स्वयं की ऋण-व्यवस्थाओं के अलावा, एक्ज़िम बैंक वर्ष 2003-04 से भारत सरकार के निर्देश पर तथा भारत सरकार की सहायता से विकासशील विश्व में देशों को ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को सहायता देने के लिए कुल 783.5 मिलियन यू एस डॉलर की 25 ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान की हैं। एक्ज़िम बैंक द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाओं में; म्यांमा फॉरेन ट्रेड बैंक, म्यांमार; नेशनल बैंक ऑफ़ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान; अंगोला, बुर्किना फॉसो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोत-द-वुआर; इथिओपिआ, गाम्बिया, घाना, लाओ पी डी आर, मेडागास्कर, मालावी, मोजाम्बिक, नाइजर, सेनेगल, सिएरा लिओन, श्री लंका, सूडान, सूरीनाम तथा सीरिया सरकारों को ऋण-व्यवस्थाएँ

शामिल हैं। यह ऋण-व्यवस्थाएँ ट्रैक्टरों तथा बसों की आपूर्ति तथा पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स, नेशनल एसेम्बली बिल्डिंग कॉम्पलेक्स, आई टी तथा बायोटेक्नोलॉजी पार्क, आई सी टी तथा सुशासन, हाइड्रोपॉवर प्लांट, ट्रांसमिशन लाइनें, ग्रामीण विद्युतीकरण, सीमेंट संयंत्र, स्टील संयंत्र, रेलवे पुनर्वास, सिंचाई, कृषि प्रसंस्करण संयंत्र, चावल उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि यंत्रीकरण, उर्वरक उत्पादन, तम्बाकू थ्रेशिंग प्लांट, मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्र तथा चीनी उद्योग के विकास आदि क्षेत्रों में वित्तपोषण प्रदान करेंगी तथा निर्यात को बढ़ावा देंगी। विद्यमान में कुल 3.75 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण राशि के साथ अफ्रीका, एशिया, सी आई एस, यूरोप, लैटिन अमेरिका तथा कैरीबियाई क्षेत्र में 94 देशों को शामिल करते हुए 114 ऋण-व्यवस्थाएँ इस समय उपभोग के लिए उपलब्ध हैं जबकि, कई ऋण-व्यवस्थाएँ बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं।

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तपोषण कार्यक्रमों की एक शृंखला परिचालित करता है। वर्ष 2008-09 के दौरान एक्ज़िम बैंक ने निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 152.86 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत संवितरण 126.53 बिलियन रुपये के थे।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

वर्ष के दौरान, बैंक ने 39 निर्यात उन्मुख इकाइयों को 16.69 बिलियन रुपये के दीर्घावधि ऋण मंजूर किये हैं, जिनके अंतर्गत संवितरणों की राशि 12.06 बिलियन रुपये है। उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अधीन 16 निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों की प्राप्ति के वित्तपोषण के लिए 5.06 बिलियन रुपये मंजूर किये गये। इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि 1.82 बिलियन रुपये है। 28 कंपनियों को कुल मिलाकर 18.69 बिलियन रुपये के दीर्घकालिक कार्यशील पूँजी ऋण मंजूर किये गये हैं जिनके अंतर्गत संवितरणों की राशि 15.34 बिलियन रुपये हैं।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस)

एक्ज़िम बैंक, कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को स्थापित करने एवं पात्रता हेतु अनुमोदन प्रदान करने तथा अनुमोदित परियोजनाओं को सीधे सहायता राशि प्रदान करने के लिए नियुक्त नोडल एजेंसियों में से एक है। यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक ने 156 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया है, जिनकी कुल लागत 99.40 बिलियन रुपये है। अनुमोदित और संवितरित ऋणों की समग्र राशि क्रमश: 32.02 बिलियन रुपये तथा 24.19 बिलियन रुपये हैं। कपड़ा उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता वस्त्र विनिर्माण के विभिन्न क्षेत्रों तथा भारत के कई राज्यों में फैली हुई है।

विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम

भारतीय बाह्य निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए ईक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियाँ और सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने की दृष्टि से बैंक के पास एक विस्तृत कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष के दौरान 16 कंपनियों को 11 देशों में उनके समुद्रपारीय निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल 23.38 बिलियन रुपये की निधिक तथा गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई। एक्ज़िम बैंक ने अब तक ऑस्ट्रिया, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, मॉरिशस, मोरक्को, नीदरलैंड्स, ओमान, रोमानिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्री लंका, संयुक्त अरब अमीरात गणराज्य, यू के तथा यू एस सहित 63 देशों में 193 से अधिक कंपनियों द्वारा स्थापित 241 उद्यमों को वित्त प्रदान किया है। विदेशी निवेश के लिए प्रदान की गई कुल राशि 123.29 बिलियन रुपये की है जिसमें विभिन्न क्षेत्र यथा फार्मास्युटिकल्स, घर सज्जा, तैयार वस्त्र निर्माण, कागज एवं कागज उत्पाद, कपड़ा एवं वस्त्र, निर्माण, रसायन तथा रंजक, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी सामान, प्राकृतिक संसाधन (कोयला तथा वन), धातु तथा धातु प्रसंस्करण और कृषि तथा कृषि आधारित उत्पाद आदि शामिल हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्राप्त समुद्रपारीय निवेश परियोजनाओं में पंजीकृत ब्रांड के साथ इटालियन उच्च फैशन वस्त्र कंपनी का अर्जन; प्राकृतिक सोडा ऐश के निर्माण में संलग्न एक अमेरिकी कंपनी का अर्जन; बाजार निर्देशित औषधि एवं शृंगार सामग्री के व्यवसाय में संलग्न ऑस्ट्रेलियाई विपणन एवं वितरक कंपनी का अर्जन; हीरे के आभूषणों के वितरण में संलग्न एक अमेरिकी कंपनी का अर्जन; मैरीन इंजीनियरी उत्पादों सहित लक्ज़री नावों के लिए मैरीन इंजिनों के अभिरूपण तथा विकास के लिए नीदरलैंड्स में कंपनी की स्थापना; स्थानीय रेलवे को आपूर्ति के लिए प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपरों के विनिर्माण हेतु दक्षिण अफ्रीका में एक कंपनी की स्थापना; वर्क-वियर/संबंधित उत्पादों के विनिर्माण में लगी इटली की एक कंपनी का अर्जन आदि प्रमुख हैं।

आयात के लिए वित्त

थोक आयात वित्त

थोक आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर तथा संवितरित की गई राशि क्रमश: 17.15 बिलियन रुपये तथा 17.30 बिलियन रुपये रही है।

आयात वित्त कार्यक्रम

आयात वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनियों को मंजूर आवधिक ऋण 5.87 बिलियन रुपये रहे तथा संवितरण 1.77 बिलियन रुपये के थे।

ऋण निगरानी समूह

बैंक में एक ऋण वसूली समूह कार्यरत है जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सुस्थापित ऋण निगरानी तथा वसूली नीति के अनुसार मानक आस्तियों को अवमानक आस्तियों की श्रेणी में जाने से रोकने हेतु उचित कार्रवाई करता है। कमजोर (स्ट्रेस) आस्तियों की मासिक समीक्षा के लिए अलग से गठित एक समिति तथा प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की प्रणाली के आधार पर ऋणों के ए बी सी वर्गीकरण (क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन प्रणाली की मॉनीटरिंग सहित) की प्रणाली विद्यमान है। सभी एकबारीय निपटान (ओ टी एस) प्रस्तावों की जाँच करने तथा इन्हें आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को अंतरित करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विधि तथा बैंकिंग के क्षेत्रों में गहन अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से युक्त एक स्वतंत्र जाँच समिति का गठन किया गया है। यह समिति निदेशक मंडल को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

एक्ज़िम बैंक द्वारा यथा 31 मार्च, 2009 को सहायता प्राप्त परियोजना निर्यात संविदाएँ

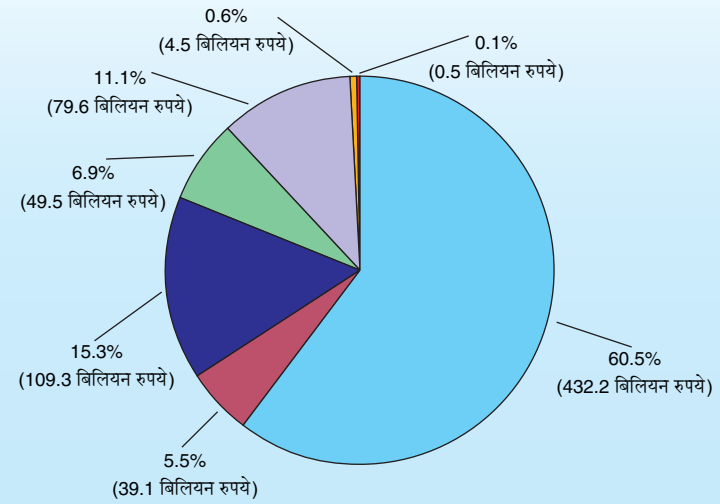

टिप्पणी : यथा 31 मार्च, 2009 को 714.7 बिलियन रुपये मूल्य की 222 परियोजना निर्यात संविदाएँ, 45 भारतीय कंपनियों द्वारा एक्ज़िम बैंक की सहायता से 39 देशों में निष्पादन अधीन थीं। इनमें निर्माण, टर्नकी और परामर्शी संविदाएँ शामिल हैं।

III. संयुक्त उद्यम

बैंक के संयुक्त उद्यम, ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट कन्सल्टेंट्स लि. (जी पी सी एल) ने लाभप्रद परिचालनों का एक और वर्ष पूरा कर लिया है। कंपनी ने 11.18 मिलियन रुपये के कर पूर्व लाभ सहित 2008-09 में 33.75 मिलियन रुपये की परामर्शी आय दर्ज की है। जी पी सी एल, एक्ज़िम बैंक तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली 12 अन्य प्रतिष्ठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। जी पी सी एल विभिन्न विकासशील देशों में बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाओं के लिए प्रापण संबंधी सलाहकारी तथा लेखा-परीक्षा सेवाएँ प्रदान करता है।

यूरोपीय संघ के सबसे बड़े विकास वित्त बैंक यूरोपीयन इनवेस्टमेंट बैंक, लक्ज़मबर्ग के साथ 150 मिलियन यूरो के फ्रेमवर्क ऋण करार पर एक्ज़िम बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस ऋण का उपयोग जलवायु परिवर्तनों को कम करने, यूरोप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी अंतरण के जरिए भारत में यूरोपीय संघ की उपस्थिति को मजबूत करने वाली परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने में किया जा सकेगा।

IV. नई पहलें

यूरोपीय निवेश बैंक के साथ फ्रेमवर्क ऋण करार

वर्ष के दौरान बैंक ने यूरोपीय संघ की प्रमुख दीर्घकालिक ऋणदात्री संस्था यूरोपीय निवेश बैंक (ई आई बी) के साथ 150 मिलियन यूरो

की एक दीर्घावधि ऋण सुविधा हेतु करार किया है। विगत 15 वर्षों में ई आई बी द्वारा किसी भारतीय संस्था को प्रदान की गई अपनी तरह की यह पहली ऋण-सुविधा है। ई आई बी द्वारा एक्ज़िम बैंक को प्रदत्त इस ऋण का उद्देश्य जलवायु परिवर्तनों को कम करने तथा यूरोप से एफ डी आई, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के अंतरण के जरिए भारत में यूरोपीय संघ की उपस्थिति को मजबूत बनाने वाली परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। इस सुविधा के अंतर्गत प्राप्त ऋण को बैंक द्वारा अक्षय-ऊर्जा परियोजनाओं (पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा), ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी (फ्युएल स्विचिंग, संयंत्र आधुनिकीकरण) तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं सहित स्वच्छ पर्यावरण तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिए उपकरणों के आयात हेतु ऋण देने में उपयोग किया जा सकेगा।

ग्रामीण ग्रासरूट व्यावसायिक पहलें

अपने ग्रासरूट व्यवसाय पहल कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ने ग्रामीण उद्योगों के वैश्वीकरण को सहयोग प्रदान करना जारी रखा है। यह कार्यक्रम बैंक के अन्य सहायता कार्यक्रमों पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य समाज के तुलनात्मक रूप से वंचित वर्गों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने सहित देश के पारंपरिक हस्तशिल्पियों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए वृद्धिशील अवसरों का सृजन कर उनकी सहायता करना है। इस उद्देश्य के लिए बैंक ने विभिन्न संस्थागत संबद्धताएँ स्थापित करने, संपोषित करने और उनके साथ सहयोग बढ़ाने की अपनी सुविचारित नीति को जारी रखा है। इसी कड़ी में बैंक ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों (आर बी एच) के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय की निर्यात संवर्द्धन गतिविधियों को बढ़ाना है, जो ग्रामीण भारत से निर्यात प्रोत्साहन की बैंक की पहलों के अनुरूप है।

इस सहयोग ज्ञापन के अंतर्गत बैंक को वायनाड, केरल; नागपट्टिनम, तमिल नाडु; तथा बस्तर, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों (आर बी एच) की स्थापना के लिए गेटवे एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया है। बैंक द्वारा मार्च, 2009 में ग्रामीण शिल्पियों तथा उद्यमियों के लिए वायनाड, केरल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को ग्रामीण व्यवसाय केन्द्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने सहित क्षेत्र से संभावित उत्पादों तथा सेवाओं की पहचान करना था। इसके साथ ही बैंक ने पेरियार मणियामई विश्वविद्यालय के सहयोग से तमिल नाडु के नागपट्टिनम जिले में आर बी एच पहल के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार सृजन संबंधी एक कार्यक्रम का सुगमीकरण किया है। कार्यक्रम की गतिविधियों में डेयरी विकास तथा वर्मिन कम्पोस्ट का उत्पादन शामिल है।

अपनी ग्रामीण पहलों के अंतर्गत बैंक ने एक समर्थकारी एजेंसी के रूप में भी कार्य करने का प्रयास किया है। इसके लिए बैंक ने चेन्नै के निकट एक गैर सरकारी संगठन 'ट्रस्ट फॉर विलेज सेल्फ गवर्नेंस', कुथम्बकम (टी वी एस जी) को सुगंधित अगरबत्ती बनाने के लिए एक इकाई की स्थापना हेतु आई टी सी के साथ, हैमकों की बुनाई के लिए इंका हैमक लि. के साथ तथा फिल्टरों की असेंब्लिंग के लिए इंका रेडिएंट लि. के साथ गठबंधन करने में मदद की है। इसके साथ ही बैंक ने एक अग्रणी ई-पब्लिशिंग कंपनी के लिए डेटा एंट्री/डेटा कैप्चरिंग कार्यों के लिए शिक्षित ग्रामीण युवकों को नियोजित करने वाली एक बी पी ओ कंपनी की स्थापना में भी मदद की है। बैंक ने चुनिंदा बड़े गैर सरकारी संगठनों के साथ औपचारिक सहयोग संबंध स्थापित किए हैं ताकि, कारीगरों तक सीधे पहुँचकर क्षमता निर्माण, गुणवत्ता सुधार, बाजार पहुँच तथा प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में उनकी सहायता की जा सके।

एक्ज़िम बैंक अपने विशिष्ट निर्यात विपणन सेवा कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण उत्पादों को बाजार पहुँच सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से सहयोग करता है। इसके लिए बैंक अपने विदेशी कार्यालयों तथा संस्थागत संबद्धताओं का उपयोग करने के साथ-साथ विदेशी क्रेताओं तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भारत से विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आयात के लिए क्रेता-ऋण सुविधा भी प्रदान करता है। बैंक ने एक ग्रामीण प्रौद्योगिकी निर्यात

बैंक के ग्रामीण व्यवसाय पहल कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 'ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र' योजना के अंतर्गत एक गेटवे एजेंसी के रूप में एक्ज़िम बैंक द्वारा मार्च 2009 में वायनाड, केरल में 'ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र का कार्यान्वयन' विषय पर आयोजित एक कार्यशाला।

विकास निधि की स्थापना के लिए निधि का प्रावधान किया है जिसका उद्देश्य निर्यात संवर्द्धन के साथ-साथ भारत से नवोन्मेषी ग्रामीण ग्रासरूट प्रौद्योगिकी की निर्यात क्षमता को भी बढ़ाना है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

एक्ज़िम बैंक सितंबर 2007 में लंदन में संपन्न हुई अंडर-14 इंटरनेशनल स्कूल रग्बी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज की रग्बी टीम को सहायता प्रदान कर रहा है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज उड़ीसा के 7000 से अधिक आदिवासी बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें रोजगार परक शिक्षा भी प्रदान करता है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज का ध्येय उड़ीसा के विभिन्न भागों के गरीब आदिवासी बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने सहित विभिन्न नवोन्मेषी तरीकों से उनका सर्वांगीण विकास कर उन्हें आजीविका परक शिक्षा प्रदान करना है।

सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में एक्ज़िम बैंक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज की रग्बी टीम को प्रशिक्षण की ढांचागत सुविधाएँ मुहैया कराने के साथ-साथ विभिन्न घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। अगस्त 2008 में बैंक ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज की रग्बी टीम को ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध स्थानीय रग्बी क्लबों के साथ अनेक प्रदर्शनी मैच खेलने की सुविधा प्रदान की। इस दौरे के दौरान उनमें से एक खिलाड़ी को विक्टोरियन स्कूल की रग्बी यूनियन द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन और चरित्र के लिए ''सर एडवर्ड वियरी डनलप'' अवार्ड से सम्मानित किया गया। रग्बी टीम ने नवंबर 2008 में भुवनेश्वर में आयोजित अंडर-16 ऑल इंडिया रग्बी टूर्नामेंट में भी विजय हासिल की। साथ ही अंडर-19 के लिए रग्बी टीम के तीन खिलाड़ियों को 2010 में नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रकुल खेलों के लिए पुणे में संभावित टीम के लिए प्रशिक्षण कैम्प के लिए चुना गया। वर्तमान में बैंक लड़कियों की रग्बी टीम को भी सहायता प्रदान कर रहा है।

कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज, भुवनेश्वर की अंडर-14 रग्बी टीम के आदिवासी लड़के, जिन्होंने एक्ज़िम बैंक और स्थानीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान कई मैच जीते। साथ में ऊपर दिखाई दे रहे हैं श्री सुजान आर. चिनॉय, सिडनी में भारत के महा-वाणिज्यदूत।

लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए नवोन्मेषी कार्यक्रम

बैंक ने इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (आई टी सी), जिनेवा के साथ एक नवोन्मेषी 'इंटरप्राइजेज मैनेजमेंट डेवेलपमेंट सर्विसेस' (ई एम डी एस) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहयोग व्यवस्था करार किया है। यह एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय कार्यक्रम तैयार करने में लघु उद्यमियों की सहायता करता है। यह लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता तथा चिन्हित इकाइयों को आवधिक ऋण एवं निर्यात वित्त सुविधाएँ प्रदान कर उनके वैश्वीकरण प्रयासों में मदद पहुँचाने की एक अनूठी पहल है। बैंक ने आई टी सी को इस परियोजना को लागू करने में सहयोग प्रदान किया है। इस प्रकार बैंक लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्षमता निर्माण तथा व्यवहार्य प्रस्तावों को तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। इस कार्यक्रम से प्राप्त अनुभवों को अन्य विकासशील देशों में भी लागू किया जाएगा और इस प्रकार यह संपूर्ण विश्व में क्षमता सृजन तथा संस्था निर्माण में मदद करेगा।

बैंक राष्ट्रकुल सचिवालय द्वारा चलाए जा रहे '8वें कॉमनवेल्थ-इंडिया स्मॉल बिजनेस कॉम्पीटिटिवनेस डेवेलपमेंट प्रोग्राम' में भी सहभागिता कर रहा है तथा इसके लिए बैंक ने जून 2008 में चेन्नै तथा पुडुचेरी में ''सूक्ष्म तथा लघु उद्यम-आर्थिक वृद्धि तथा निर्यात विकास के एजेंट'' विषय पर कार्यक्रमों के आयोजन में सहभागिता की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रकुल के सदस्य देशों में नीति निर्माताओं को लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी रणनीतियाँ एवं कार्यनीतियाँ प्रदान कर आर्थिक विकास (वर्धित रोजगार, निवेश, व्यापार तथा आर्थिक कार्यकलाप) का संवर्द्धन करने वाली क्षमता विकास पहलों को कार्यान्वित करने के साथ-साथ संस्थागत क्षमता का निर्माण एवं विकास करना है।

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक को मूडीज ने बी ए ए 3(स्थिर) रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बी बी बी - (नकारात्मक) तथा फिच ने बी बी बी - (स्थिर) रेटिंग दी है तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जे सी आर ए) द्वारा बी बी बी + (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है। उपरोक्त सभी रेटिंग, निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग हैं जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य हैं।

V. वित्तीय निष्पादन

संसाधन

वर्ष के दौरान बैंक को भारत सरकार से 3 बिलियन रुपये की शेयर पूँजी प्राप्त हुई। यथा 31 मार्च, 2009 को 14 बिलियन रुपये की चुकता पूँजी तथा 24.68 बिलियन रुपये की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन 410.70 बिलियन रुपये रहे। एक्ज़िम बैंक के संसाधन आधार में बाँड, जमा प्रमाण-पत्र, वाणिज्यिक-पत्र, सावधि जमा राशियाँ, आवधिक ऋण और विदेशी मुद्रा जमा राशियाँ / बाँड्स / नोट्स / उधार राशियाँ शामिल हैं। बैंक के घरेलू ऋण लिखतों को रेटिंग एजेंसियों यथा क्रिसिल, इक्रा द्वारा 'ए ए ए' की उच्च रेटिंग प्रदान की जाती रही है। वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 176.5 बिलियन रुपये की विभिन्न परिपक्वता अवधियों की उधार राशियाँ जुटायीं, जिनमें 117.08 बिलियन रुपये के रुपया संसाधन और 1.17 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं। जुटाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में द्विपक्षीय / क्लब ऋणों के जरिए 725 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ तथा स्वैप्स की खरीद-बिक्री के जरिए 447 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशियाँ थीं। यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक के पास कुल विदेशी मुद्रा संसाधन राशियाँ 3.46 बिलियन यू एस डॉलर की थीं। बाँडों/वाणिज्यिक-पत्रों / जमा-पत्रों सहित बकाया रुपया उधार राशियाँ 225.56 बिलियन रुपये की रहीं। यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक की सावधि जमा योजना के अंतर्गत जुटाई गई राशि यथा 31 मार्च, 2008 के 2.84 बिलियन रुपये की तुलना में बढ़कर 9.50 बिलियन रुपये तथा खातों की संख्या लगभग 15000 तक हो गई। यथा 31 मार्च, 2009 को बाजार से ली गई उधार राशियाँ कुल संसाधनों का 81.4 प्रतिशत थीं।

यथा 31 मार्च, 2009 को परिचालन गत ऋण-व्यवस्थाएँ
(मिलियन यू एस डॉलर)

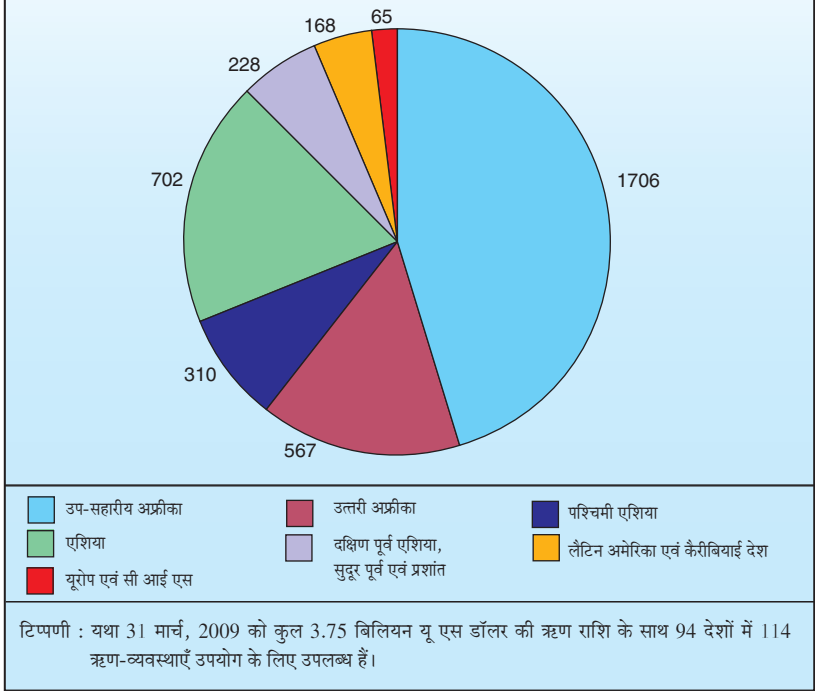

टिप्पणी : यथा 31 मार्च, 2009 को कुल 3.75 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण राशि के साथ 94 देशों में 114 ऋण-व्यवस्थाएँ उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

एक्रा, घाना में अप्रैल 2008 में आयोजित अंकटाड XII के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तथा प्रथम विश्व निवेश फोरम में एक्ज़िम बैंक ने "एड्रेसिंग दि अपार्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज ऑफ़ ग्लोबलाइजेशन फॉर डेवेलपमेंट" विषय पर एक पैनल चर्चा सत्र में भाग लिया।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 50 बिलियन की पुनर्वित्त सुविधा

वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक्ज़िम बैंक को 50 बिलियन रुपये की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ

ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक बिलियन यू एस डॉलर की स्वैप खरीद-बिक्री सुविधा भी प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों तथा अन्य विदेशी सत्ताओं को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत संवितरणों के लिए नकदी सहायता उपलब्ध कराना है।

आय / व्यय

2008-09 के दौरान बैंक का कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: 6.10 बिलियन रुपये और 4.77 बिलियन रुपये रहा जबकि, इसकी तुलना में पिछले वर्ष कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: 5.33 बिलियन रुपये और 3.33 बिलियन रुपये थे। कारोबारी आय में ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, दलाली और शुल्क से युक्त कारोबार आय वर्ष 2007-08 के दौरान 19.53 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2008-09 में 26.56 बिलियन रुपये रही। निवेश आय, बैंक जमा राशियों आदि पर ब्याज आय 2007-08 के 8.62 बिलियन रुपये की तुलना में 2008-09 में 7.93 बिलियन रुपये रही। 2008-09 में ब्याज व्यय 24.16 बिलियन रुपये था जो उधारियों की अधिकता के कारण 4.09 बिलियन रुपये से उच्चतर है। प्रशासनिक व्यय (आकस्मिकताओं के लिए प्रावधानों को छोड़कर) 2007-08 के 1.81 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 के दौरान कुल व्यय का 1.92 प्रतिशत आता है। उधार राशियों की औसत लागत (औसत उधार राशियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज व्यय) वित्तीय वर्ष 2007-08 में 7.17 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटकर 2008-09 में 7.01 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गयी। जिसका मुख्य कारण विदेशी मुद्रा उधारियों पर लाइबोर ब्याज दर में कमी था।

पूँजी पर्याप्तता

जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सी आर ए आर) यथा 31 मार्च, 2008 के 15.13 प्रतिशत की तुलना में यथा 31 मार्च, 2009 को 16.77 प्रतिशत रहा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत न्यूनतम 9.0 प्रतिशत की तुलना में है। यथा 31 मार्च, 2009 को ऋण ईक्विटी अनुपात 9.47:1 रहा जबकि, यथा 31 मार्च, 2008 को यह 9.72:1 था।

एक्ज़िम बैंक, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन तथा बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ़ इंडिया के सहयोग से "एशियाई विकास बैंक के साथ व्यवसाय अवसर" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन मुंबई में किया गया जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों को एशियाई विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना था।

ऋण जोखिम मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 31 मार्च, 2002 से एकल उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों का 15 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं के लिए 40 प्रतिशत की अधिकतम ऋण सीमा निर्धारित की है। बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष मामलों में 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण सहायता (अर्थात् एकल उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों के 20 प्रतिशत और उधारकर्ता समूह के लिए पूँजी निधियों के 45 प्रतिशत तक कुल ऋण सहायता) दी जा सकती है। वैयक्तिक उधारकर्ताओं तथा उधारकर्ता समूहों के लिए अधिकतम ऋण सहायता सीमा को क्रमश: अतिरिक्त 5 प्रतिशत बिंदु (अर्थात् कुल पूँजी निधियों का 5 प्रतिशत) और 10 प्रतिशत बिंदु (अर्थात् कुल पूँजी निधियों का 10 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है (क्रमश: 20 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत अधिकतम सीमाओं के अतिरिक्त), बशर्ते कि अतिरिक्त ऋण सहायता बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए हो। यथा 31 मार्च, 2009 को एकल तथा समूह उधारकर्ताओं को बैंक की वित्तीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत सीमा के भीतर थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को ऋण सहायता के लिए अपनी आंतरिक सीमाएँ निर्धारित करें ताकि, विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का समान रूप से फैलाव हो। वस्त्र उद्योग को छोड़कर जिसकी सीमा 20 प्रतिशत है, बैंक ने प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण सहायता सीमा कुल ऋण संविभाग का 15 प्रतिशत निर्धारित किया है। यथा 31 मार्च, 2009 को किसी भी एकल

उद्योग को बैंक की कुल ऋण सहायता 13.07 प्रतिशत से अधिक नहीं थी।

ट्रेजरी

बैंक की एकीकृत ट्रेजरी निधियों के निवेश, मुद्रा बाजार परिचालनों तथा प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री सहित निधि प्रबंधन कार्य देखती है। बैंक ने फ्रंट /मिडल / बैक ऑफिस कार्यों को अलग किया है और एक आधुनिकतम डीलिंग रूम स्थापित किया है। बैंक की ट्रेजरी द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों में विदेशी मुद्रा सौदे, निर्यात दस्तावेजों की वसूली / परक्रामण, अंतरदेशीय / विदेशी साख-पत्र / गारंटियाँ जारी करना तथा संरचित ऋण आदि शामिल हैं। बैंक अपने बाजार जोखिमों को कम करने तथा न्यून लागत पर निधियाँ जुटाने के लिए वित्तीय व्युत्पन्न (डेरीवेटिव) संव्यवहारों का भी उपयोग करता है। बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफिनेट) का एक सदस्य है और इसे प्रमाणन प्राधिकारी, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आई डी आर बी टी) से पंजीकरण प्राधिकारी की हैसियत प्राप्त है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की तयशुदा लेन-देन प्रणाली-आदेश मिलान खंड (एन डी एस-ओ एम) के माध्यम से सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाण-पत्र धारक है, जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का एक मंच प्रदान करता है। बैंक की प्रतिभूतियाँ तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन मुख्यत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सी सी आई लि.) द्वारा प्रदान की गई गारंटित निपटान सुविधा के जरिए किये जाते हैं। बैंक सी सी आई एल के संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधित दायित्व खंड (सी बी एल ओ) का भी एक सक्रिय सदस्य है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक सी सी आई एल के रेपो डीलिंग सिस्टम सी आर ओ एम एस (क्लियर कॉर्प ऑर्डर मैचिंग सिस्टम) का सदस्य बना। सी आर ओ एम एस, वर्ष के दौरान सी सी आई एल द्वारा प्रारंभ किया गया एक स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एस टी पी) सक्षम एनॉनिमस ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म है जो सभी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों के रेपो बाजार में टी+0 /टी+1 आधार पर लेन-देन कार्य को सुगम बनाता है। सी सी आई एल सभी सी आर ओ एम एस व्यापारों के लिए केन्द्रीय काउंटर पार्टी है तथा सभी निस्तारण सी सी आई एल द्वारा गारंटित होते हैं।

अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों को अवसर प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य से अफ्रीकी विकास बैंक तथा एक्ज़िम बैंक की सहभागिता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यपालक निदेशक श्री लोरां गी तथा डॉ. अनूप के. पुजारी, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया।

बैंक स्विफ्टनेट के दूसरे चरण में अंतरण पहले ही कर चुका है।

आस्ति-देयता प्रबंधन (ए एल एम)

बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस, जो बाजार जोखिमों का आकलन करता है तथा रिपोर्ट करता है, के सहयोग से बाजार जोखिम के प्रबंधन की देख-रेख करती है तथा बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक आस्ति-देयता प्रबंधन नकदी नीतियों के अनुसार नकदी / ब्याज दर जोखिमों का प्रबंध करती है। एल्को की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक / बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक नकदी तथा ब्याज दर संवेदनशीलता स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना, आकस्मिकताओं के लिए निधीयन योजनाएँ बनाना और ड्यूरेशन गैप एनालिसिस का प्रयोग करते हुए (क) ब्याज दर घट-बढ़ की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता और (ख) आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता के माध्यम से आँकी गई ब्याज दर जोखिम की मात्रा के आधार पर उचित आस्ति-देयता प्रबंधन नीतियाँ बनाना शामिल है। जोखिम पर मूल्य की गणना भारत सरकार की प्रतिभूतियों के 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'ट्रेडिंग के लिए रोकी गई' पोर्टफोलियो के लिए की गई है। निधि प्रबंध समिति (एफ एम सी) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड द्वारा अनुमोदित निधि प्रबंधन / संसाधन योजना के अनुसार निवेशों / विनिवेशों और उधार राशियाँ / संसाधन जुटाने से संबंधित निर्णय लेती है। इस योजना की समीक्षा वर्ष के दौरान की जाती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति तथा प्रबंधन समिति द्वारा निधि प्रबंधन समिति/आस्ति-देयता प्रबंधन समिति के कार्यों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है।

जोखिम प्रबंधन

बैंक में एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति (आई आर एम सी) गठित है जो परिचालन समूहों से स्वतंत्र है तथा सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिमों (संविभाग, नकदी, ब्याज दर, तुलन-पत्र से इतर और परिचालन जोखिम), निवेश नीतियों तथा उनसे संबंधित विनियामक एवं अनुपालन मुद्दों के बारे में बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति (आई आर एम सी), आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को), निधि प्रबंधन समिति (एफ एम सी) तथा ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति (सी आर एम सी) के परिचालनों की देख-रेख करती है। प्रत्येक समिति में परस्पर कार्यात्मक प्रतिनिधित्व होता है। जहाँ आस्ति-देयता प्रबंधन समिति बैंक में आस्ति-देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबधित मुद्दों को देखती है और बैंक के समग्र बाजार जोखिम (नकदी, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है, वहीं ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, ऋण-नीति और प्रक्रियाओं की देख-रेख करती है और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का नियंत्रण करती है। सभी ऋण-प्रस्ताव स्वतंत्र रूप से बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी के पास जाते हैं जो उनके जोखिमों का विश्लेषण कर अनुमोदनकर्ता अधिकारियों को अपनी सिफारिशें देता है। बैंक के पास आस्ति गुणवत्ता और ऋण समीक्षा में सुधार के लिए उन्नत जोखिम प्रबंधन मॉडल है जिससे (गुणवत्ता तथा मात्रात्मक मानदण्डों / उपायों की व्यापक श्रेणी के जरिए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन निर्णय लेने तथा उत्कृष्ट पोर्टफोलियो प्रबंधन में मदद मिलती है। व्यवसाय निरंतरता तथा आकस्मिकता प्रबंधन के लिए बैंक अपने प्रत्येक कार्यालय की वार्षिक समीक्षा करता है। प्रत्येक योजना को व्यवसाय निरंतरता तथा जोखिम घटनाओं के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से उसकी पूर्णता के लिए पुनरीक्षित किया जाता है।

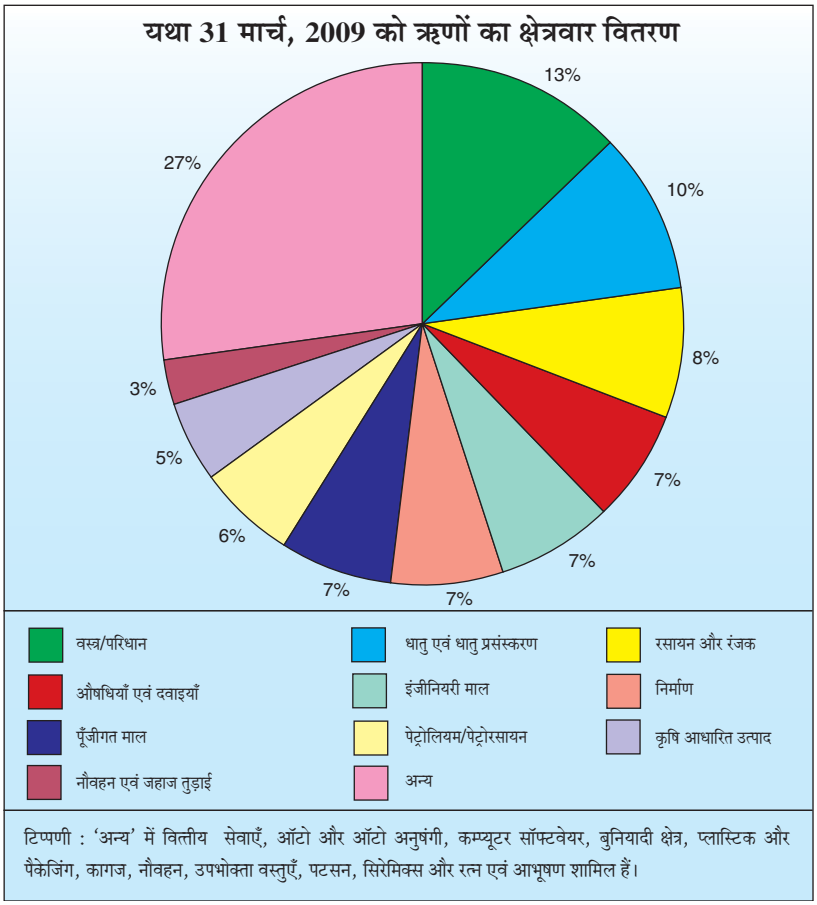

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम के तत्वावधान में बैंक ने मुंबई में नवंबर 2008 के दौरान 'लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वित्तपोषण' विषय पर 9वें प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ. रोजर मेगेलस, वरिष्ठ सलाहकार, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वित्तपोषण, आई टी सी, जिनेवा ने प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उस

ऋण/कर्ज सुविधा को गैर-निष्पादक आस्तियों (एन पी ए) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके संबंध में देय ब्याज और / या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है। यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक की सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ 4.28 बिलियन रुपये रहीं, जो बैंक के कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 1.24 प्रतिशत है। बैंक की निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ (प्रावधान घटाकर) 0.79 बिलियन रुपये रहीं, जो 31 मार्च, 2008 के 0.29 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च, 2009 को इसके ऋण तथा अग्रिमों (प्रावधान घटाकर) का 0.23 प्रतिशत हैं।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियाँ' वे आस्तियाँ होती हैं जिनके ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्तें 90 दिनों से अधिक अतिदेय होती हैं। जहाँ अवमानक आस्तियाँ 12 माह से अधिक अवधि से गैर-निष्पादक संपत्ति के रूप में होती हैं, ऐसी आस्तियों को 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियाँ' वे होती हैं जो वसूली के योग्य नहीं समझी जातीं। 1.24 प्रतिशत की सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में से अवमानक आस्तियाँ 0.08 प्रतिशत, संदिग्ध आस्तियाँ 1.01 प्रतिशत जबकि, हानि आस्तियाँ 0.15 प्रतिशत रहीं। यथा 31 मार्च, 2009 को निवल ऋणों तथा अग्रिमों के 0.23 प्रतिशत के स्तर पर निवल गैर-निष्पादित आस्तियों में से अवमानक आस्तियाँ 0.06 प्रतिशत तथा संदिग्ध आस्तियाँ 0.17 प्रतिशत रहीं। हानि आस्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

कार्पोरेट अभिशासन

एक्ज़िम बैंक प्रकटन के संबंध में पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी बरतता है और सभी संबंधितों को पूर्ण, सही और स्पष्ट सूचना प्रदान करना सुनिश्चित करता है तथा बैंक से संबंधित कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित उत्कृष्ट व्यवहारों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध तथा सदैव तत्पर रहता है। इस हेतु बैंक ने एक रणनीतिक नियंत्रण ढांचा विकसित किया है तथा इसकी प्रभावोत्पादकता की निरंतर समीक्षा करता रहता है। व्यवसाय/वित्तीय निष्पादन से संबंधित मामले, विश्लेषण परक आंकड़े / सूचना आदि को निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति को समीक्षा के लिए आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। मुख्य महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को सभी संविधियों, विनियमों तथा अन्य प्रक्रियाओं सहित भारत सरकार / रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विनियमों के अनुपालन के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में उत्तरदायी बनाया गया है। बैंक के निदेशक मंडल की वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान पाँच बैठकें तथा प्रबंधन समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं।

लेखा परीक्षा समिति

बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों की देख-रेख करना तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि, प्रबंधन के एक टूल के रूप में उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके और वह सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाये गये सभी मुद्दों के संबंध में समुचित अनुवर्ती कार्रवाई कर सके। लेखा परीक्षा समिति निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरणों की जाँच करती है। इसके साथ ही लेखा परीक्षा समिति आवधिक आधार पर बैंक की निधि प्रबंधन समिति तथा आस्ति-देयता समिति की भी समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें छह बार हुईं।

बैंक के के वाई सी, ए एम एल तथा पी एम एल उपाय

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपने ग्राहक को जानिए (के वाई सी), धन शोधन निवारक (ए एम एल) तथा धन शोधन निरोधी

लाभ और भारत सरकार को अंतरित लाभ अधिशेष की प्रवृत्तियाँ

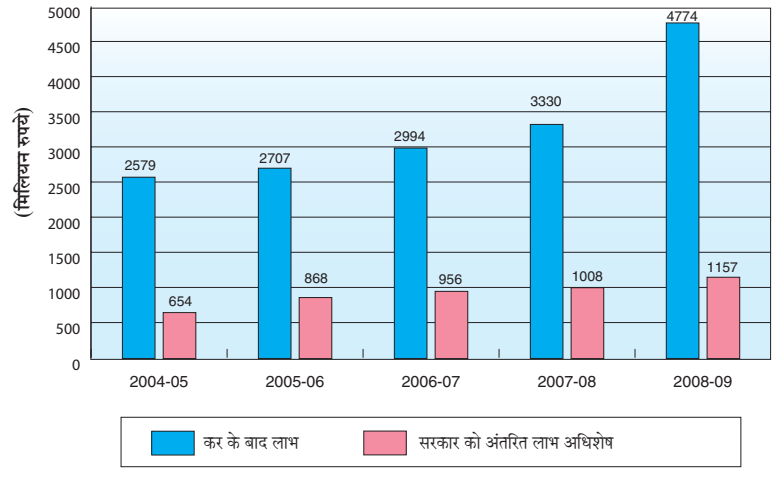

(पी एम एल) नीतियाँ अपनाई हैं। के वाई सी, ए एम एल तथा पी एम एल नीतियों में (क) ग्राहक स्वीकार्यता नीति (ख) ग्राहक पहचान प्रक्रिया (ग) संव्यवहारों की निगरानी (घ) जोखिम प्रबंधन (ङ) विद्यमान ग्राहकों के लिए के वाई सी मानदंड आदि शामिल हैं। बैंक के सभी ग्राहकों को न्यूनतम के वाई सी मानकों की अपेक्षाओं के अधीन लाया जाता है, जो स्वाभाविक / अधिकृत व्यक्ति तथा लाभकर्ता / स्वामित्व की पहचान स्थापित करते हैं। अपने प्रतिपक्षी बैंकों द्वारा के वाई सी मानदंडों के अनुपालन के संबंध में बैंक एक प्रश्नावली के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। एक्ज़िम बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं तथा तरीकों के अनुसार समय-समय पर कतिपय संव्यवहारों के बारे में रिकार्ड/सूचना भी रखता है तथा यह रिकार्ड संव्यवहार की तारीख से 10 साल तक सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक ने के वाई सी, ए एम एल तथा पी एम एल उपायों के अनुपालन के लिए एक मुख्य अधिकारी भी नियुक्त किया है। के वाई सी तथा ए एम एल नीति को बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता

बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऋणदाताओं के लिए उचित प्रचलन संहिता विद्यमान है जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।

VI. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ

बैंक सूचना, सलाहकारी और सहायता की ऐसी सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करता है जो उसके वित्तपोषण कार्यक्रमों को संपूर्ण बनाती हैं। ये सेवाएँ भारतीय कंपनियों और समुद्रपारीय संस्थाओं को सशुल्क प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं के दायरे में बाजारों से संबंधित सूचना, क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, भागीदारों की खोज, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश दोनों में संयुक्त उद्यमों का विकास शामिल हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय कंपनियों को विविध प्रकार की सेवाएँ प्रदान की हैं। विभिन्न उद्योगों के बारे में आयातकों / निर्यातकों की सूची अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संलग्न कंपनियों को प्रदान की गई।

समुद्रपारीय बहुपक्षीय निधिक परियोजनाएँ (एम एफ पी ओ)

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक तथा यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं का व्यवसाय प्राप्त करने की भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में वृद्धि करने के लिए बैंक इन कंपनियों को सूचना और सहायता सेवा का पैकेज प्रदान करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न व्यवसाय क्षेत्रों यथा निर्माण, ऊर्जा, बुनियादी सुविधाएँ, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार आदि पर भारतीय निर्यातक कंपनियों को समुद्रपारीय व्यवसाय के अनेक अवसरों से संबंधित सूचनाओं का प्रचार-प्रसार किया।

एक्ज़िम बैंक एक परामर्शदाता के रूप में

विकासशील देश के संदर्भ में एक निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को सहायता देने वाली एक संस्था के तौर पर बैंक का अनुभव अन्य विकासशील देशों में विशेष रूप से प्रासंगिक है। बैंक परामर्शी कार्यों को हाथ में लेकर अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करता रहा है।

अपने संस्थागत सहभागियों के कर्मचारियों को फर्स्ट-हैंड प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बैंक परियोजना स्थल पर ऑन-साइट कार्मिक एक्सचेंज कार्यक्रमों के जरिए अपने अनुभव तथा कौशल का आदान-प्रदान करता है। इस पहल के अंतर्गत बैंक ने नाइजीरियाई एक्ज़िम बैंक के अधिकारियों के लिए एक दक्षता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जिसके

भारत सरकार के आदेश पर एक्ज़िम बैंक द्वारा सूरीनाम को भारत से माल तथा सेवाओं के निर्यात के लिए प्रदत्त 10.6 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था करार पर भारत एवं सूरीनाम के बीच चौथे संयुक्त आयोग की बैठक के अवसर पर श्री आनंद शर्मा, विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में पारामारिबो, सूरीनाम में हस्ताक्षर करते हुए सूरीनाम सरकार की ओर से श्री हम्फ्री एस. हिल्डेनबर्ग, वित्त मंत्री, सूरीनाम सरकार।

अंतर्गत अधिकारियों की दो टीमों ने वर्ष के दौरान बैंक का दौरा किया तथा बैंक के परिचालनों की व्यापक जानकारी हासिल की। यह कार्यक्रम एक्ज़िम बैंक तथा नाइजीरियाई एक्ज़िम बैंक के बीच कौशल तथा अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए किए गए सहयोग ज्ञापन का एक हिस्सा था।

निर्यात विपणन सेवाएँ

वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी निर्यात विपणन सेवाओं के जरिए कई भारतीय कंपनियों को विदेशों में उनके उत्पादों को प्रतिष्ठित करने और नये बाजारों में प्रवेश करने में सहायता प्रदान की जिसमें कंपनियों को भावी व्यावसायिक साझेदारों की पहचान से लेकर अंतिम आदेश देने के कार्य को सुगम बनाने तक मार्गदर्शन दिया गया। बैंक भारतीय कंपनियों के लिए विदेशों में अधिग्रहण / संयुक्त उद्यम /वितरण शृंखला तथा परामर्शी सेवाओं संबंधी अवसरों की भी पहचान करता है। बैंक ने भारतीय कंपनियों के लिए सिंगापुर को वुडन ज्युलरी बॉक्सों, भारतीय हस्तशिल्प सामान तथा मसालों का निर्यात तथा यू एस को सुगंधित अगरबत्ती, सेनेगल को डीजल जेनरेटर्स, अल्टरनेटर्स, वाटर पम्पों, पाइपों एवं सहायक उपकरणों के आयात आर्डर प्राप्त करने में सहायता की है। भारत के अन्य भागों में स्थित लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भी आदेश प्राप्त करने में बैंक ने मदद की है। बैंक ने केन्या में एक कॉस्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक भारतीय परामर्शक की पहचान की है। बैंक सिरेमिक क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों के लिए उनके उत्पादों हेतु हंगरी, ब्राजील तथा मध्य, पश्चिम एवं दक्षिण अफ्रीका में वितरकों तथा क्रेताओं की पहचान करने में सहायता कर रहा है।

एक्ज़िमिअस ज्ञान केंद्र

वर्ष के दौरान बैंक के एक्ज़िमिअस ज्ञान केंद्र द्वारा भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए विभिन्न विषयों पर 26 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 8 देश / क्षेत्र विशिष्ट व्यवसाय अवसर सेमिनार शामिल हैं। ब्रिटिश मिडलैंड क्षेत्र में निवेश अवसरों पर सेमिनारों की एक शृंखला का आयोजन भुवनेश्वर, बैंगलोर तथा हैदराबाद में किया गया। इसी प्रकार के सेमिनार सिटी ऑफ कोपेनहेगेन पर मुंबई तथा चेन्नै में; नार्दन टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया पर हैदराबाद में तथा इसेक्स काउंटी, यू के पर बैंगलोर और हैदराबाद में आयोजित किए गए।

एशियाई विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यापार अवसरों पर तीन सेमिनारों का आयोजन मुंबई, नई दिल्ली तथा कोलकाता में किया गया, साथ ही अफ्रीकी विकास बैंक निधिक परियोजनाओं में व्यापार अवसरों पर सेमिनारों का आयोजन मुंबई तथा नई दिल्ली में किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग (एन आई एस आई टी), हैदराबाद के अंतर्गत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिनिधियों हेतु बैंगलोर में एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। अंतरराष्ट्रीय विलयनों तथा संग्रहणों को केन्द्रित करते हुए सेमिनारों का आयोजन बैंगलोर तथा नई दिल्ली में किया गया। एस एम ई एस के निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यात प्रक्रिया तथा प्रलेखीकरण पर सेमिनारों की एक शृंखला का आयोजन बैंगलोर, गैंगटोक, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोचीन तथा कोलकाता केन्द्रों पर किया गया। त्रिशुर, केरल में आयुर्वेद के निर्यात के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

केन्द्र ने ग्रामीण ग्रासरूट उद्योगों के उत्पादों के निर्यात विपणन पर एक कार्यशाला का आयोजन छतीसगढ़ में अम्बिकापुर तथा कर्नाटक में बीदर में किया।

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की 14वीं बैठक "दि चेन्जिंग फेस ऑफ़ एशियन एक्ज़िम बैंक्स- मैनेजिंग कॉम्पलेक्सिटीज" विषय पर ई एफ आई सी की मेजबानी में अक्तूबर 2008 में सिडनी, आस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी नौ एशियाई एक्ज़िम बैंकों के मुख्य कार्यपालकों ने भाग लिया तथा सदस्य बैंकों के समक्ष चुनौतियाँ एवं अवसरों, वैश्विक वित्तीय संकट के प्रभाव एवं उप-सहारीय अफ्रीकी क्षेत्र में एशियाई एक्ज़िम बैंकों की उपस्थिति आदि विषयों पर चर्चा की।

VII. संस्थागत संबद्धताएँ

बैंक ने व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु एक समर्थकारी वातावरण सृजित करने में सहायता के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्द्धन निकायों तथा निवेश संवर्द्धन बोर्डों के साथ गठबंधन तथा संस्थागत संबंधों का एक नेटवर्क विकसित किया है।

अपने ग्रामीण ग्रासरूट व्यवसाय पहल कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए बैंक ने पंचायती राज मंत्रालय की ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र (आर बी एच) पहल के लिए इसके साथ एक सहयोग ज्ञापन करार किया है। ग्रामीण व्यवसाय केंद्र, निजी-सरकारी तथा पंचायत सहभागिता की अनूठी संकल्पना है जिसका उद्देश्य उद्योग तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच सीधा संबंध स्थापित करना है। साथ ही बैंक ने ग्रासरूट उद्यमों तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान

करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ भी अपनी सहयोग संबंधों को मजबूत किया है।

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की 14वीं वार्षिक बैठक अक्तूबर 2008 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड इंश्यूरेंस कार्पोरेशन (ई एफ आई सी), ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में संपन्न हुई। एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम की संकल्पना तथा स्थापना भारतीय एक्ज़िम बैंक की पहल पर 1996 में की गई थी। वर्ष 2008 की बैठक का मुख्य विषय था 'एशियाई एक्ज़िम बैंकों का बदलता स्वरूप -जटिलता प्रबंधन'। बैठक में सभी 9 सदस्य संस्थाओं यथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, दि फिलीपींस, थाइलैंड से उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। साथ ही बहुपक्षीय वित्तपोषण संस्था एशियाई विकास बैंक ने स्थायी आमंत्रिती के तौर पर हिस्सा लिया।

वार्षिक बैठक में चर्चा किए गए विषयों में सदस्य संस्थाओं के समक्ष भावी चुनौतियाँ तथा रणनीतियाँ; अधिदेश तथा ध्येय, वैश्विक व्यापार में परिवर्तन तथा एशियाई क्षेत्र की व्यापार प्रवृत्तियों पर इसके प्रभाव; वैश्विक वित्तीय संकट का एशियाई एक्ज़िम बैंकों पर प्रभाव; उप-सहारीय अफ्रीकी क्षेत्र में एशियाई एक्ज़िम बैंक-संचालक, चुनौतियाँ तथा व्यवसाय परिदृश्य आदि प्रमुख थे। सदस्य संस्थाओं ने वैश्विक व्यापार तथा विकास के संवर्द्धन हेतु सदस्य संस्थाओं के बीच मजबूत संबंध विकसित करने हेतु फोरम के अधिदेश के अनुरूप पहलों संबंधी एक कार्य विवरण पर भी हस्ताक्षर किए।

एशियन एक्ज़िम बैंक्स फोरम के तत्वावधान में बैंक ने एस एम ई वित्तपोषण पर नवंबर 2008 में मुंबई में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जिसमें फोरम की सदस्य संस्थाओं के प्रतिभागियों एवं आई टी सी, जिनेवा से संकाय सदस्यों ने भाग लिया तथा एस एम ई वित्तपोषण पर अपने अनुभवों को बांटा।

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का नेटवर्क

एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) की स्थापना अंकटाड के तत्वावधान में जिनेवा में मार्च 2006 में की गई थी। नेटवर्क ने विभिन्न विकासशील देशों के एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के सहयोग से दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा निवेश को बढ़ाने में अच्छा कार्य किया है। इनमें जी-नेक्ज़िड की वेबसाइट (www.gnexid.org) का शुभारंभ तथा वार्षिक बैठकों का आयोजन प्रमुख उपलब्धियाँ है। अंकटाड द्वारा जी-नेक्ज़िड को प्रदान किया गया 'प्रेक्षक' का दर्जा फोरम को इसके सहयोग को दर्शाता है। इसकी सदस्य संख्या मार्च 2009 तक बढ़कर 24 हो गई है जो विकासशील देशों में फोरम के विजन की स्वीकार्यता को दर्शाता है।

विद्यमान वैश्विक परिदृश्य में एस एम ई क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने तथा भावी अवसरों का लाभ उठाने के लिए जी-नेक्ज़िड ने बंक दि फाइनेंसमेंट डिस पेटाइटिस एट मोइनिस इंटरप्राइजेज (बी एफ पी एम ई), ट्यूनिशिया के साथ मिलकर जनवरी 2009 में ट्यूनिस में एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में सदस्य संस्थाओं ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास तथा चुनौतियों सहित वैश्विक संदर्भ में एस एम ई वित्त पोषण, रणनीतियों, जोखिम प्रबंधन तथा एस एम ई वित्तपोषण में सर्वोत्तम पद्धतियाँ आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया तथा अपने अनुभव बाँटे। इस सेमिनार में बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे अफ्रीकी विकास बैंक, अंकटाड, बर्ने यूनियन आदि से भी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जिनेवा में आयोजित जी-नेक्ज़िड की चौथी वार्षिक बैठक के अवसर पर दक्षिण-दक्षिण व्यापार को प्रभावी वित्तीय कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ाने के लिए डॉ. सुपाचई पैनीचपाकडी, महासचिव, अंकटाड की उपस्थिति में एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्ज़िड) और श्री लार्स एच. थुनेल, कार्यपालक उपाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम (आई एफ सी), के बीच एक सहयोग करार पर जिनेवा में हस्ताक्षर किए गए।

एडफिएप विकास पुरस्कार

एशिया तथा प्रशांत में विकास वित्तपोषण संस्थाओं का संघ (एडफिएप) का विकास पुरस्कार ऐसी एडफिएप सदस्य संस्थाओं को सम्मानित करता है, जिनके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से संबंधित देशों

में एक विकासात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। यह पुरस्कार उन सदस्य संस्थाओं को दिए जाते हैं, जिन्होंने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय तथा नवोन्मेषी विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित या प्रवर्द्धित किया है।

बैंक को वर्ष 2009 के लिए ''व्यापार विकास पुरस्कार'' प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार बैंक के ''विदेशी निवेश वित्त'' कार्यक्रम की मान्यता में है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी निवेश के जरिए व्यापार सृजन को उत्प्रेरित करते हुए भारतीय कंपनियों को क्षेत्रीय तथा वैश्विक बाजारों में अपनी जगह बनाने के लिए अपने उत्पादन को संगठित करने में मदद करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक भारतीय विदेशी निवेश कार्यक्रम के पूरे चक्र जिसमें भारतीय संयुक्त उद्यमों, पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों तथा निर्यात उन्मुख लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता सहित भागीदारों की पहचान, व्यवहार्यता अध्ययन, समीक्षा तथा सतर्कता आदि के संबंध में सूचना एवं सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करता है। अपने कार्यक्रमों के जरिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने तथा भारतीय अनुभव और दक्षता का आदान-प्रदान करने संबंधी अपने सहयोग सहित बैंक ने भारतीय कंपनियों द्वारा संभाव्य बाजारों में निरंतर श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन को प्रदर्शित करना जारी रखा है।

व्यवसाय उत्कृष्टता का पुरस्कार

एक्ज़िम बैंक भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम तकनीकी गुणवत्ता प्रबंधन (टी क्यू एम) कार्य प्रणालियों के लिए व्यवसाय उत्कृष्टता का वार्षिक पुरस्कार प्रदान करता है। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट अवार्ड (ई एफ क्यू एम) के मॉडल पर आधारित है।

विगत में केवल छह कंपनियों, टाटा कन्सलटैन्सी सर्विसेज लिमिटेड (2006), टाटा मोटर्स लिमिटेड (वाणिज्यिक वाहन कारोबार इकाई)(2005), इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2002), टाटा स्टील लि. (2000), मारुति उद्योग लिमिटेड (1998) तथा ह्यूलेट पैकर्ड (इंडिया) लिमिटेड (1997) को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2006 में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि. (भेल), हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट, हरिद्वार, को व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2007 में यद्यपि कोई विजेता नहीं रहा तथापि, दस कंपनियों को व्यवसाय उत्कृष्टता के प्रति उनकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जूरी द्वारा प्रशंसा की गई।

वर्ष 2008 में यद्यपि पुरस्कार विजेता नहीं था तथापि, दि टिन प्लेट कंपनी ऑफ़ इंडिया लि. को पुरस्कार प्रदान किया गया तथा आठ बड़ी एवं चार लघु एवं मध्यम कंपनियों को व्यवसाय उत्कृष्टता के प्रति उनकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जूरी द्वारा प्रशंसा की गई। आठ बड़ी कंपनियों में भेल (हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट), भोपाल; गोदरेज एण्ड बॉएस मैन्युफैक्चरिंग कं.लि. (लॉक्स डिवीजन); भेल (पॉवर सेक्टर: उत्तरी क्षेत्र) नोयडा; जे एस डब्ल्यू स्टील लिमिटेड, विजयनगर कारखाना; एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, होसुर; एन टी पी सी लि. (रामागुंडम सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन); रैलीस इंडिया लिमिटेड; तथा बॉस लिमिटेड (डीजल सिस्टम्स बिजनेस), बैंगलोर; एवं चार लघु एवं मध्यम कंपनियों में आदित्य ऑटो प्रोडक्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा.लिमिटेड, बैंगलोर; पी एस जी इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, कोयम्बटूर; आई पी रिंग्स लिमिटेड एवं सुसिरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चेन्नै हैं। साथ ही जूरी ने 27 बड़ी कंपनियों तथा 10 लघु तथा मध्यम क्षेत्र की कंपनियों की पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के प्रति उनकी दृढ़ वचनबद्धता के लिए सराहना की है।

एक्ज़िम बैंक द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर भारतीय कंपनियों में पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वार्षिक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना की गई है। नवंबर 2008 में बैंगलोर में आयोजित सी आई आई क्वालिटी समिट में दि टिनप्लेट कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को वर्ष 2008 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।

VIII. सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने व्यवसाय तथा प्रौद्योगिकी संरूपण में अपनी पहल को जारी रखा है। सूचना के बेहतर उपयोग, प्रयोक्ता तथा प्रणाली इंटेलिजेन्स क्षमताओं के सशक्तिकरण के

लिए मूल कार्य क्षेत्रों की प्रणालियों के अतिरिक्त ज्ञान प्रबंधन, विभिन्न घटकों के बीच सूचना का आदान-प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बैंक इन्फिनेट (इंडियन फाइनेंसियल नेटवर्क) का सदस्य है तथा विनियामक एवं औद्योगिकी संस्थाओं जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लि. तथा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन द्वारा लागू प्रणालियों एवं पद्धतियों में डिजिटल सहभागिता सुनिश्चित करता है।

आयोजना एवं बजट; देश विश्लेषण, उद्योग विश्लेषण, जोखिम आकलन और विश्लेषण, बैंक व्यापी सिस्टम; प्रलेखन प्रबंधन एवं कार्य प्रवाह के लिए विशेषीकृत पैकेजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालियों को सक्षम बनाया गया है तथा उनका कोटि उन्नयन किया गया है। बैंक ने एक्स बी आर एल (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज) का उपयोग करते हुए ऋण प्रस्तावों के सिस्टम द्वारा मूल्यांकन संबंधी एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है जो कि एक ओपेन स्टैंडर्ड है तथा प्राय: व्यवसाय रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक 'इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग एंड दि एक्सप्रेशन ऑफ़ सीमेंटिक मीनिंग' को सपोर्ट करता है।

बैंक की कार्पोरेट वेबसाइट (www.eximbankindia.in) बैंक में किए गए विभिन्न शोध कार्य-कलापों, व्यावसायिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार अग्रताओं पर सूचना का व्यवस्थित ढंग से प्रचार-प्रसार करती है। इसके अलावा, इस पर बैंक के विभिन्न उधारदात्री कार्यक्रमों तथा सूचना तथा सलाहकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

बैंक के कृषि पोर्टल (www.eximbankagro.in) ने संबंधित गतिविधियों पर उत्पाद-वार जानकारी तथा सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा है। बैंक एशियन एक्ज़िम बैंक फोरम तथा जी-नेक्ज़िड का सदस्य है तथा इन दोनों संगठनों की वेबसाइट का प्रबंध करता है।

IX. शोध एवं विश्लेषण

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार (ईडरा) 1989 में बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत तथा विदेशों में विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार तथा विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है। इस अवार्ड में एक लाख रुपये का पुरस्कार तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2008 का पुरस्कार डॉ. रमा वासुदेवन, सहायक प्रोफेसर, कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी, यू एस ए, को उनके शोध प्रारूप 'इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस एण्ड मनी : एसेज इन अनइवेन डेवेलपमेंट' के लिए प्रदान किया गया। डॉ. वासुदेवन ने अपना शोध न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च, न्यूयार्क, यू एस ए से वर्ष 2006 में पूरा किया।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा नौ प्रासंगिक आलेख नामत: वित्तीय उदारीकरण तथा इसके संवितरक परिणाम; भारतीय पूँजीगत माल उद्योग : एक क्षेत्रीय अध्ययन; वैश्विक संदर्भ में भारतीय टेक्सटाइल एवं कपड़ा उद्योग : प्रमुख विशेषताएँ तथा मुद्दे; फेयर ट्रेड : निर्यात मूल्य बढ़ाने का उचित तरीका; भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग : आगे की राह; दक्षेस : एक सशक्त उभरता व्यापार खंड; इकोवास : भारतीय व्यापार एवं निवेश के लिए अवसरों पर अध्ययन; इबसा: महाद्वीपों के बीच आर्थिक सहयोग संवर्द्धन; तथा कैरिकॉम : अमेरिका का प्रवेश द्वार का प्रकाशन किया गया है।

एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान शृंखला, जिसकी शुरुआत बैंक के कारोबार प्रारंभ के उपलक्ष्य में की गई थी, को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले सम-सामयिक व्यापार और विकास मुद्दों पर बहस तथा चर्चा करने में एक महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में ख्याति मिली है। श्री जस्टिन यिफु लिन, मुख्य अर्थशास्त्री एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विश्व बैंक, ने वर्ष 2009 के लिए बैंक का

एक्ज़िम बैंक द्वारा गाम्बिया सरकार को गाम्बिया में नेशनल एसेम्बली बिल्डिंग कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए प्रदत्त 10 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था करार पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर करते हुए गाम्बिया के राजदूत महामहिम श्री माम्बुरी एनजाई।

24 वां स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान दिया जो 'कींस के अर्थशास्त्र से परे : विकास के प्रोत्साहन' विषय पर केन्द्रित था। डॉ. दिलीप एम. नाचने, निदेशक, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेवेलपमेंट रिसर्च (आई जी आई डी आर), मुंबई ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

X. मानव संसाधन प्रबंधन

यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 232 थी, जिसमें ऐसे 182 व्यावसायिक कर्मचारी शामिल हैं जिनके अंतर्गत इंजीनियर, अर्थशास्त्री, बैंकर, सनदी लेखाकार, बिजनेस स्कूल स्नातक, विधि और भाषा विशेषज्ञ, पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण विशेषज्ञ, मानव संसाधन विशेषज्ञ एवं कार्मिक तथा कम्प्यूटर विशेषज्ञ आते हैं। इस व्यावसायिक दल की सहायता प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है। बैंक का उद्देश्य है कि वह अपने अधिकारियों के कौशलों का निरंतर उन्नयन करे। 2008-09 की अवधि के दौरान 149 अधिकारियों ने बैंक के परिचालनों से संबद्ध विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक, ऋणों एवं अग्रिमों की मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई, वित्तीय डेरीवेटिव, जोखिम प्रबंधन तथा वित्तीय प्रकटन, व्यापार वित्त, साख-पत्र, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण संबंधी रणनीतियाँ तथा व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन शामिल है।

XI. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की गति में तेजी लाने के बैंक के प्रयासों को विभिन्न प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त हुई है:

(i) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई ने वर्ष 2007-08 में समस्त वित्तीय संस्थाओं में से एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है।

(ii) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित राज्य स्तरीय बैंकर समिति, (राजभाषा) पुणे ने वर्ष 2007-08 में क्षेत्र विशेष स्थित समस्त वित्तीय संस्थाओं में से इस बैंक के प्रधान कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य-निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है।

(iii) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली ने समस्त वित्तीय संस्थाओं में से एक्ज़िम बैंक के दिल्ली कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया है।

(iv) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता ने क्षेत्र विशेष स्थित समस्त वित्तीय संस्थाओं में से एक्ज़िम बैंक के कोलकाता कार्यालय को हिन्दी में सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को जारी रखा है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों के अनुपालन में परिपत्र, प्रेस-विज्ञप्तियाँ और रिपोर्टें हिन्दी में भी जारी की गई हैं। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए हैं।

बैंक के अधिकारियों को हिन्दी में टिप्पण और प्रारूप लेखन में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान लक्ष्य के अनुरूप हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। बैंक के अधिकारियों को अपने दैनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन

माननीय सांसद श्री ए. विजयराघवन के नेतृत्व में सरकारी आश्वासनों पर राज्य सभा की समिति ने एक्ज़िम बैंक के साथ विचार-विमर्श किया।

प्रदान करने की एक योजना बैंक में लागू है। कैलेंडर वर्ष 2008 के दौरान पाँच अधिकारियों को हिन्दी में अधिकतम कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया।

सरकार के निदेशों के अनुसरण में 14 सितम्बर, 2008 से हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एक्ज़िमिअस का विशेषांक अर्थात् 'राजभाषा विशेषांक' प्रकाशित किया गया। दो विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया तथा एक प्रदर्शनी लगाई गई।

वर्ष 2008-09 के वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुरूप सूचना प्रौद्योगिकी के वृद्धिशील प्रयोग के माध्यम से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उपाय किए गए। बैंक के व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी सूचनाएँ एवं समस्त जानकारियाँ व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हिन्दी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बैंक के कर्मचारियों के उपयोग संबंधी सहायक एवं संदर्भ साहित्य बैंक के इंट्रानेट पर उपलब्ध कराया गया।

बैंक के त्रैमासिक प्रकाशन 'एक्ज़िमिअस : एक्सपोर्ट एडवांटेज' का हिन्दी रूपांतरण 'एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया। बैंक के एक द्विमासिक प्रकाशन 'एग्री एक्सपोर्ट एडवांटेज' के सभी अंकों को भी हिन्दी में 'कृषि निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया। बैंक की गृहपत्रिका 'एक्ज़िमिअस' में हिन्दी का भी एक खंड है। बैंक के वार्षिक व्याख्यान की पुस्तिका हिन्दी में भी प्रकाशित की गई।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग विषयक सरकार की नीति के अनुसरण में बैंक के पुस्तकालय को विदेश व्यापार, वाणिज्य, वित्तपोषण, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों पर नई पुस्तकों से समृद्ध बनाया गया।

राजभाषा नीति का अनुपालन तथा उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जाँच-बिंदु बनाए गए हैं। बैंक में हिन्दी के प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में की गई प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें तिमाही अंतरालों में आयोजित की गई हैं।

XII. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक की सेवा में कुल 232 कर्मचारियों में 26 अनुसूचित जाति, 19 अनुसूचित जन-जाति और 16 अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी सदस्य हैं। बैंक ने इन स्टाफ सदस्यों को कम्प्यूटरों और अन्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के अनुसूचित जाति और जन-जाति तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना जारी रखा है। वर्तमान में बैंक कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, उड़ीसा के आरक्षित वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देना प्रारंभ किया है।

बैंक के "विदेशी निवेश वित्त" कार्यक्रम की मान्यता में एक्ज़िम बैंक को एशिया तथा प्रशांत की विकास वित्त संस्थाओं के संघ द्वारा "ट्रेड डेवेलपमेंट अवार्ड 2009" प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम विदेशी निवेशों के माध्यम से व्यापार सृजन को बढ़ावा देता है।

तुलन-पत्र
यथा 31 मार्च, 2009 को
एवं
2008-09 का
लाभ और हानि लेखा

कजाकिस्तान में 500 के वी के सिंगल सर्किट सस्पेंशन टावर की आपूर्ति संबंधी टर्नकी परियोजना के ई सी इंटरनेशनल लि., मुंबई द्वारा एक्ज़िम बैंक के परियोजना निर्यात कार्यक्रम के तहत प्राप्त सहायता से निष्पादित की गई।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2009 को

देयताएँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2009 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2008 को) रुपये
1.	पूँजी	I	13,999,918,881	10,999,918,881
2.	आरक्षित निधियाँ	II	24,680,933,487	21,063,809,742
3.	लाभ और हानि लेखा	III	1,157,000,000	1,007,700,000
4.	अपरक्राम्य वचन-पत्र, बाँड एवं डिबेंचर		215,786,254,779	179,272,533,879
5.	देय बिल		–	–
6.	जमा राशियाँ	IV	28,190,875,291	26,741,319,094
7.	उधार राशियाँ	V	128,045,705,242	111,149,390,142
8.	चालू देयताएँ एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		26,922,057,452	19,222,513,707
9.	अन्य देयताएँ		3,234,326,152	3,548,788,815
	योग		**442,017,071,284**	**373,005,974,260**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	35,401,225,800	34,555,519,900
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं, ब्याज दरों की अदला-बदली की बकाया राशियों पर	3,041,619,300	9,221,318,900
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	68,907,000	60,334,500
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	3,178,720,000	3,178,720,000
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	9,635,976,100	13,248,142,600
	योग	**51,326,448,200**	**60,264,035,900**

सामान्य निधि

आस्तियाँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2009 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2008 को) रुपये
1.	नकदी एवं बैंक शेष	VI	46,156,869,070	34,087,105,966
2.	निवेश	VII	21,609,739,830	21,696,015,554
3.	ऋण एवं अग्रिम	VIII	335,564,461,890	276,266,602,644
4.	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र	IX	6,000,000,000	11,500,000,000
5.	अचल आस्तियाँ	X	884,493,357	753,367,923
6.	अन्य आस्तियाँ	XI	31,801,507,137	28,702,882,173
	योग		**442,017,071,284**	**373,005,974,260**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।
टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

डॉ. अरविंद विरमानी
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
श्री जी. के. पिल्लई
श्रीमती रवनीत कौर
डॉ. के. सी. चक्रबर्ती
श्री एन. रवि
श्री ए. वी. मुरलीधरन
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष रुपये	गत वर्ष रुपये
1.	ब्याज		24,138,272,730	20,039,975,462
2.	ऋण बीमा , शुल्क एवं प्रभार		26,012,229	30,029,073
3.	स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		123,024,338	100,557,181
4.	निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		30,500	99,500
5.	लेखा परीक्षा की फीस		455,000	455,000
6.	भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमियम		71,538,003	59,937,920
7.	संचार विषयक व्यय		17,318,007	14,576,578
8.	विधि विषयक व्यय		11,923,707	8,594,215
9.	अन्य व्यय	XII	475,278,615	319,829,419
10.	मूल्यह्रास		91,270,227	79,533,134
11.	ऋण हानियों / निवेशों पर आकस्मिकताओं, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		3,437,201,526	2,164,144,072
12.	आगे ले जाया गया लाभ		6,101,349,347	5,333,588,053
	योग		**34,493,674,229**	**28,151,319,607**
	आयकर के लिए प्रावधान		2,077,225,602	2,003,126,719
	[आस्थगित कर वापसी राशि 704,981,398 रुपये (गत वर्ष 140,073,281 रुपये) का निवल]			
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ		4,774,123,745	3,330,461,334
			6,851,349,347	**5,333,588,053**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में, भारत के राष्ट्रपति

1) हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की सामान्य निधि के संलग्न 31 मार्च, 2009 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की सामान्य निधि के लाभ और हानि लेखे एवं समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी ज़िम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।

2) हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है, इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :

क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं ;

ख. हमारी राय में तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं ;

ग. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र, उस पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक की सामान्य निधि के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार

(अतुल मेहता)
साझेदार
एम. सं. 15935

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

सामान्य निधि

आय

आय		अनुसूचियाँ	इस वर्ष रुपये	गत वर्ष रुपये
1.	ब्याज और बट्टा	XIII	31,265,210,395	24,338,616,613
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस		1,227,259,017	945,588,625
3.	अन्य आय	XIV	2,001,204,817	2,867,114,369
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि		–	–
	योग		**34,493,674,229**	**28,151,319,607**
	लाभ नीचे लाया गया		6,101,349,347	5,333,588,053
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज-कर प्रावधान का प्रतिलेखन		750,000,000	–
			6,851,349,347	**5,333,588,053**

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

डॉ. अरविंद विरमानी **श्री जी. के. पिल्लई** **श्री एन. रवि**
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ **श्रीमती रवनीत कौर** **श्री ए. वी. मुरलीधरन**
डॉ. के. सी. चक्रबर्ती
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

यथा 31 मार्च, 2009 को

		इस वर्ष (यथा 31.03.2009 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2008 को)
		रुपये	रुपये
अनुसूची I :	**पूँजी :**		
	1. प्राधिकृत	20,000,000,000	20,000,000,000
	2. निगमित एवं प्रदत्त : (केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	13,999,918,881	10,999,918,881
अनुसूची II :	**आरक्षित निधियाँ :**		
	1. आरक्षित निधि	18,736,438,678	15,869,314,933
	2. सामान्य आरक्षित राशियाँ	–	–
	3. अन्य आरक्षित राशियाँ :		
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	914,175,745	814,175,745
	ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएँ)	1,120,319,064	1,020,319,064
	4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	3,910,000,000	3,360,000,000
		24,680,933,487	**21,063,809,742**
अनुसूची III :	**लाभ और हानि लेखा :**		
	1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	4,774,123,745	3,330,461,334
	2. घटाकर : विनियोजन :		
	- आरक्षित निधि को अंतरित	2,867,123,745	1,722,761,334
	- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	100,000,000	100,000,000
	- ऋण शोधन निधि को अंतरित	100,000,000	100,000,000
	- आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	550,000,000	400,000,000
	3. निवल लाभ का शेष (भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केन्द्र सरकार को अंतरणीय)	**1,157,000,000**	**1,007,700,000**
अनुसूची IV :	**जमा राशियाँ :**		
	(क) भारत में	28,190,875,291	26,741,319,094
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		28,190,875,291	**26,741,319,094**

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2009 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2008 को)
		रुपये	रुपये
अनुसूची V :	**उधार राशियाँ :**		
	1. भारतीय रिज़र्व बैंक से :		
	(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	–	–
	(ख) विनिमय बिलों पर	30,000,000,000	–
	(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	–	–
	2. भारत सरकार से	26,666,671	40,000,004
	3. अन्य स्रोतों से :		
	(क) भारत में	25,941,626,352	50,487,656,556
	(ख) भारत के बाहर	72,077,412,219	60,621,733,582
		128,045,705,242	**111,149,390,142**
अनुसूची VI :	**नकदी एवं बैंक में शेष :**		
	1. हाथ में नकदी	123,042	134,013
	2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	1,998,550	357,098
	3. अन्य बैंकों में शेष :		
	(क) भारत में		
	i) चालू खातों में	109,595,061	340,709,578
	ii) अन्य जमा खातों में	30,885,600,000	28,089,300,000
	(ख) भारत के बाहर	13,959,881,094	5,595,617,484
	4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ सी बी एल ओ के अंतर्गत ऋण	1,199,671,323	60,987,793
		46,156,869,070	**34,087,105,966**
अनुसूची VII :	**निवेश :** **(मूल्य में ह्रास का निवल, यदि कोई है)**		
	1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	7,868,412,950	8,321,003,801
	2. ईक्विटी शेयर और स्टॉक	1,400,607,192	1,451,011,705
	3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक	288,130,660	370,855,450
	4. अपरक्राम्य वचन-पत्र, डिबेंचर एवं बाँड	8,056,025,292	7,800,644,598
	5. अन्य	3,996,563,736	3,752,500,000
		21,609,739,830	**21,696,015,554**

		इस वर्ष (यथा 31.03.2009 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2008 को)
		रुपये	रुपये
अनुसूची VIII :	**ऋण एवं अग्रिम :**		
	1. विदेशी सरकारें	57,626,726,205	31,077,433,515
	2. बैंक :		
	(क) भारत में	85,002,000,000	62,715,064,494
	(ख) भारत के बाहर	3,269,146,597	3,032,578,086
	3. वित्तीय संस्थाएं :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	6,224,230,796	3,825,284,885
	4. अन्य	183,442,358,292	175,616,241,664
		335,564,461,890	**276,266,602,644**
अनुसूची IX :	**भुनाये गये / पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र :**		
	(क) भारत में	6,000,000,000	11,500,000,000
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		6,000,000,000	**11,500,000,000**
अनुसूची X :	**अचल आस्तियाँ :**		
	(लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
	1. परिसर	845,510,926	712,662,702
	2. अन्य	38,982,431	40,705,221
		884,493,357	**753,367,923**
अनुसूची XI :	**अन्य आस्तियाँ :**		
	1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
	क) निवेशों / बैंक शेष राशियों पर	3,473,680,918	4,824,234,520
	ख) ऋणों और अग्रिम राशियों पर	2,098,286,919	2,501,699,101
	2. पूर्व प्रदत्त बीमा किस्त-		
	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को प्रदत्त	—	130,730
	3. विविध पक्षों के पास जमाराशियाँ	25,450,070	24,474,281
	4. प्रदत्त अग्रिम आयकर	11,294,785,669	8,406,730,129
	5. अन्य [आस्थगित कर आस्तियों रुपये 495,652,020 (पिछले वर्ष-शून्य) सहित]	14,909,303,561	12,945,613,412
		31,801,507,137	**28,702,882,173**

		इस वर्ष (यथा 31.03.2009 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2008 को)
अनुसूची XII :	**अन्य व्यय :**	**रुपये**	**रुपये**
1.	निर्यात संवर्द्धन व्यय	8,338,732	2,776,781
2.	डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	5,942,680	2,270,782
3.	मरम्मत और रखरखाव	49,116,859	41,086,959
4.	मुद्रण और लेखन सामग्री	11,832,282	10,327,460
5.	अन्य	400,048,062	263,367,437
		475,278,615	**319,829,419**
अनुसूची XIII :	**ब्याज एवं छूट :**		
1.	ऋणों और अग्रिमों / बिलों की भुनाई / पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	25,227,131,105	19,052,738,299
2.	निवेशों / बैंक शेष राशियों पर आय	6,038,079,290	5,285,878,313
		31,265,210,395	**24,338,616,613**
अनुसूची XIV :	**अन्य आय :**		
1.	निवेशों की बिक्री / पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	1,351,026,318	2,845,118,435
2.	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	912,683	372,804
3.	अन्य	649,265,816	21,623,130
		2,001,204,817	**2,867,114,369**

टिप्पणी : 1. 'देयताओं' [अनुसूची IV(क) देखिए] के अंतर्गत 368.50 मिलियन यू एस डॉलर की 'आन शोर' विदेशी मुद्रा जमाराशियाँ (गत वर्ष 595.77 मिलियन यू एस डॉलर) शामिल है जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्ज़िम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बाँडों के पेटे रखी गई हैं। आस्तियों [अनुसूची सं. VI 3. (क) (ii) देखिए] के अंतर्गत नकदी तथा बैंक जमाओं में 14.75 बिलियन रुपये (गत वर्ष 20.77 बिलियन रुपये) की रुपया जमा शामिल है जो कि स्वैप्स संव्यवहारों के कारण है। आस्तियों के अंतर्गत [अनुसूची सं. VII 4 देखिए] कुल 3.07 बिलियन रुपये (गत वर्ष 3.17 बिलियन रुपये) की बाँड राशि शामिल है जो स्वैप्स के कारण है।

2. वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए बिक्री पर निवल लाभ / निवेशों के पुनर्मूल्यन में ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड में बैंक के 40 प्रतिशत हिस्सेदारी की मार्च 2008 में बिक्री से प्राप्त 1.99 बिलियन रुपये की राशि शामिल है।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2009 को

देयताएँ		इस वर्ष (यथा 31.03.2009 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2008 को)
		रुपये	रुपये
1.	ऋण :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
2.	अनुदान :		
	(क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
3.	उपहार, दान, उपकृतियाँ :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
4.	अन्य देयताएँ	84,469,318	70,979,318
5.	लाभ और हानि लेखा	251,318,293	218,502,780
	योग	**464,095,398**	**417,789,885**

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	–	–
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर	–	–
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	–	–
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	–	–
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	–	–

टिप्पणी : भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा 'निर्यात विकास निधि' की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात-आयात बैंक को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

निर्यात संवर्धन निधि

आस्तियाँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2009 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2008 को)
		रुपये	**रुपये**
1.	बैंक शेष		
	(क) चालू खातों में	242,506	242,506
	(ख) अन्य जमा खातों में	362,940,513	340,097,583
2.	निवेश	–	–
3.	ऋण एवं अग्रिम :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	8,505,318	8,505,318
4.	भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	–	–
5.	अन्य आस्तियाँ		
	(क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
	i) ऋण एवं अग्रिम	–	–
	ii) निवेश / बैंक शेष	7,101,215	6,858,775
	(ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	73,648,703	62,085,703
	(ग) अन्य	11,657,143	–
	योग	**464,095,398**	**417,789,885**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

डॉ. अरविंद विरमानी
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
श्री जी. के. पिल्लई
श्रीमती रवनीत कौर
डॉ. के. सी. चक्रबर्ती
श्री एन. रवि
श्री ए. वी. मुरलीधरन
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	–	–
2.	अन्य व्यय	–	–
3.	आगे ले जाया गया लाभ	39,687,513	28,925,601
	योग	**39,687,513**	**28,925,601**
	आयकर के लिए प्रावधान	13,490,000	9,832,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	32,815,513	19,093,601
		46,305,513	**28,925,601**

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में, भारत के राष्ट्रपति

1) हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की निर्यात संवर्द्धन निधि के संलग्न यथा 31 मार्च, 2009 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निर्यात संवर्द्धन निधि के लाभ और हानि लेखे (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।

2) हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त, लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों का आकलन एवं साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :

क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं।

ख. हमारी राय में तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं।

ग. हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र, उस पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक के निर्यात संवर्धन निधि के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार

(अतुल मेहता)
साझेदार
एम. सं. 15935

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

निर्यात संवर्धन निधि

आय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज और बट्टा		
	(क) ऋण एवं अग्रिम	–	–
	(ख) निवेश / बैंक शेष	34,648,370	28,925,601
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	–	–
3.	अन्य आय	5,039,143	–
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
	योग	**39,687,513**	**28,925,601**
	लाभ नीचे लाया गया	39,687,513	28,925,601
	पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	6,618,000	–
		46,305,513	**28,925,601**

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

डॉ. अरविंद विरमानी
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
श्री जी. के. पिल्लई
श्रीमती रवनीत कौर
डॉ. के. सी. चक्रबर्ती
श्री एन. रवि
श्री ए. वी. मुरलीधरन
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

नकदी प्रवाह विवरणी

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	राशि (रुपये मिलियन में) इस वर्ष	गत वर्ष
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	6,101.3	5,333.6
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अचल आस्तियों (निवल) की बिक्री से (लाभ)/हानि	(0.9)	(0.4)
– निवेशों (निवल) की बिक्री से (लाभ)/हानि	(1,351.0)	(2,845.1)
– मूल्यह्रास	91.3	79.6
– बट्टे में डाले गए बांड निर्गमों पर बट्टा/व्यय	162.5	156.8
– निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	—	—
– ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालना	3,437.2	2,164.1
– अन्य-उल्लेख करें	—	—
	8,440.4	4,888.6
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
– अन्य आस्तियाँ	872.6	(13,200.3)
– चालू देयताएँ	1,375.0	2,481.2
परिचालनों से नकदी निर्माण	**10,688.0**	**(5,830.5)**
आय कर/ब्याज कर की अदायगी	(2,888.0)	(2,172.1)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	**7,800.0**	**(8,002.6)**
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– अचल आस्तियों की निवल खरीद	(221.5)	(20.4)
– निवेशों में निवल परिवर्तन	1,437.3	(2,689.8)
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से जुटायी गयी निवल नकदी	**1,215.8**	**(2,710.2)**

सामान्य निधि

	राशि (रुपये मिलियन में)	
	इस वर्ष	**गत वर्ष**
वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
– लगायी गयी ईक्विटी पूँजी से	3,000.0	1,000.0
– लिए गए ऋणों (की गयी पुनर्अदायगी की निवल राशि) से	54,859.6	74,556.7
– लिए गए ऋणों, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त पुनर्अदायगी का निवल) से	(53,797.9)	(58,904.1)
– ईक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केंद्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(1,007.7)	(956.2)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से जुटाई गई निवल नकदी प्रवाह	**3,054.0**	**15,696.4**
नकदी और नकद तुल्य में निवल वृद्धि / (गिरावट)	**12,069.8**	**4,983.6**
प्रारंभिक नकदी एवं नकदी तुल्य	34,087.1	29,103.5
अंतिम नकदी एवं नकदी तुल्य	46,156.9	34,087.1

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

डॉ. अरविंद विरमानी
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
श्री जी. के. पिल्लई
श्रीमती रवनीत कौर
डॉ. के. सी. चक्रबर्ती
श्री एन. रवि
श्री ए. वी. मुरलीधरन
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

लेखों की टिप्पणियाँ

I महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(i) वित्तीय विवरण

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात संवर्द्धन निधि), भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा ये सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के भी समनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 में दिए गए रूप में तथा ढंग से तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस एफ आई डी. सं. सी 18 / 01.02.00/2000-01, दिनांकित 13 अगस्त, 2005 और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात /आंकड़े, 'लेखों की टिप्पणियाँ' के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

(ii) राजस्व निर्धारण

गैर-निष्पादक आस्तियों और 'भार ग्रस्त आस्तियों' पर ब्याज, दंड स्वरूप ब्याज, वचनबद्धता प्रभार जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। गैर-निष्पादक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बाँडों पर दिया जाने वाला बट्टा / मोचन प्रीमियम बाँड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन-पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में गैर-निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियाँ शामिल हैं। प्राप्त होने वाले ब्याज को ''अन्य आस्तियों'' में समूहित किया गया है।

खाते की कमज़ोरी और वसूली हेतु संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियाँ, अवमानक, आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप है।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश-संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) ''परिपक्वता तक धारित'' (परिपक्वता तक धारित करने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियाँ),

(ख) ''क्रय-विक्रय के लिए धारित'' (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए) और

(ग) ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया है:

i) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

iii) शेयर

iv) डिबेंचर और बाँड

v) सहायक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों में निवेश

vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक-पत्र, म्युच्युअल फंड की यूनिटें आदि)

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन और निवेशों का मूल्य निर्धारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किये गये मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

(v) अचल आस्तियाँ मूल्यह्रास

(क) अचल आस्तियों को संचयी मूल्यह्रास घटाकर परंपरागत लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वयं के स्वामित्ववाली इमारतों के लिए बीस वर्षों की अवधि में तथा अन्य आस्तियों के लिए चार वर्षों की अवधि में किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के बारे में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहाँ किसी अवक्षयी आस्ति को निपटा दिया गया है, त्याग दिया गया है, गिरा दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दर पर नियत किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है, तथा इससे उत्पन्न होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

(vii) गारंटियाँ

(क) अवधि समाप्त गारंटियों को मूल दस्तावेजों की वापसी और निरसन तक आकस्मिक देयताओं के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) ई सी जी सी पालिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(viii) कर्मचारियों के सेवांत लाभ हेतु प्रावधान

(क) बैंक ने पृथक रूप से भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि की स्थापना की है, जिन्हें आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त है। उपदान और पेंशन संबंधी देयताओं का अनुमान बीमांकिक आधार पर लगाया गया है और देय राशियाँ, यदि कोई हैं, का अंतरण प्रत्येक वर्ष उपदान निधि और पेंशन निधि में कर दिया जाता है। छुट्टी के नकदीकरण के प्रति देयता के लिए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

(ix) आय पर करों का लेखांकन

(क) चालू कर के लिए प्रावधान किया गया है जो संबंधित संविधि के अधीन अदायगी योग्य कर पर आधारित है।

(ख) आस्थगित कर की गणना कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन-पत्र की सम दिनांक को प्रमुखत: अधिनियमित अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

II लेखों की टिप्पणियाँ - सामान्य निधि

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्ज़िम बैंक भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को इराक में सुगम बनाने के लिए केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है अतएव भारत को समनुदेशित 31.50 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 24.92 बिलियन रुपये) की राशि सहित बैंक को सूचित की गई एजेंसी खाते में धारित 34.86 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 27.57 बिलियन रुपये) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियाँ उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. आयकर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित था कि एक्ज़िम बैंक द्वारा व्युत्पन्न किसी लाभ अथवा अभिलाभ अथवा प्राप्त की गई किसी राशि पर कर नहीं लगाया जाएगा), को वित्त (सं. 2) अधिनियम 1998 के जरिए 1 अप्रैल, 1999 से हटा दिया गया था। किंतु, चूंकि धारा (37) 31 मार्च, 1999 तक प्रवृत थी। अत: प्रोफेशनलों द्वारा यह सलाह दी गई थी कि एक्ज़िम बैंक को लेखा वर्ष 1998-99 के अंत तक उपचित होने वाली अथवा प्रोद्भूत आय के लिए छूट उपलब्ध होगी तथापि, एक्ज़िम बैंक ने वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए कराधान के लिए प्रावधान कर लिया था तथा बैंक ने इस मामले में अपने अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के लिए 0.79 बिलियन रुपये के कर की तथा 0.06 बिलियन रुपये ब्याज कर की अदायगी भी कर दी थी साथ ही बैंक इस मामले को आयकर प्राधिकारियों के समक्ष ले गया। आयकर तथा ब्याज कर के संबंध में आयकर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि चूंकि एक्ज़िम बैंक अधिनियम 1981 की धारा (37) का लोप 1 अप्रैल, 1999 से प्रभावी है अत: 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक से आयकर तथा ब्याज कर की अदायगी नहीं की जानी चाहिए। तदनुसार बैंक को वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए आयकर तथा ब्याज कर की वापसी हो गई है।

बैंक की पूँजी संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा अभिदत्त है तथा बैंक में कोई अन्य शेयर पूँजी नहीं है। अत: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय लाभ अधिशेष को लाभांश नहीं कहा जा सकता। परिणामस्वरूप वाद सं. आई टी ए सं. 2025/मुंबई /2000 में 18 दिसंबर, 2006 को आई टी ए टी द्वारा पारित निर्णय के अलोक में लाभांश वितरण कर देय नहीं है, अत: इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. (क) आकस्मिक देयताएँ

गारंटियों में 9.69 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 10.60 बिलियन रुपये) की अवधि समाप्त गारंटियाँ शामिल हैं, जिन्हें बहियों में से निरस्त किया जाना बाकी है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत ''बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है'' के रूप में दिखाई गई 3.18 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 3.18 बिलियन रुपये) की राशि अधिकांशत: बैंक के उधारकर्ता चूककर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध किए गए दावों / प्रतिदावों से संबंधित है जो बैंक द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई विधिक कार्रवाई के कारण है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा गुणवत्ता योग्य नहीं है। कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है। अत: व्यावसायिक सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा / ब्याज दर विनिमय

(i) यथा 31 मार्च, 2009 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूरी तरह से हेजिंग की गई है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एम पी डी.बी सी. 187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आस्ति-देयता प्रबंध के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर विनिमय, वायदा कर करार तथा मुद्रा - सह- ब्याज दर विनिमय) करता है। बैंक आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदों से बाहर निकलता है तथा पुन: करता है। बकाया डेरिवेटिव सौदों को ब्याज दर संवेदनशीलता स्थिति में कैप्चर किया जाता है जिसकी एल्को द्वारा निगरानी और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है।

डेरिवेटिव्स का ऋण समतुल्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'चालू ऋण जोखिम' पद्धति के अनुसार निकाला जाता है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पी वी 01) के उचित मूल्य तथा कीमत मूल्य को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों की टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या बट्टे को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा दर संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय / व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) बैंक को 'लाँग डेटेड फॉरेन करेंसी रूपी स्वैप्स' संव्यवहारों के लिए 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है जिससे संबंधित सौदे यह अपने ग्राहकों तथा अन्य के साथ कर सकता है। रुपया डेरीवेटिव के संबंध में 'मार्केट मेकर' की भूमिका हेतु बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति मांगी है।

(घ) मुद्रा विनिमय दर घट-बढ़ पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। इन अंतरणों पर कुल लाभ 0.26 बिलियन रुपये (गत वर्ष हानि 0.08 बिलियन रुपये) है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार-अतिरिक्त सूचना

4. पूँजी

(क)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2009 को	यथा 31 मार्च, 2008 को
(i) जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सी आर ए आर)	16.77%	15.13%
(ii) जोखिम आस्तियों की तुलना में मुख्य पूँजी अनुपात	14.79%	13.41%
(iii) जोखिम आस्तियों की तुलना में अनुपूरक पूँजी अनुपात	1.98%	1.72%

(ख) 'नोट, बाँड और डिबेंचर' में 8% 2022 बाँड शामिल हैं जिसमें सरकार ने 5.59 बिलियन रुपये (गत वर्ष 5.59 बिलियन रुपये) का अभिदान किया है। ये बाँड अप्रतिभूति हैं और बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी उधार राशियों / जमाओं/ गौण ऋणों के मुकाबले में गौण हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक / सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन ये बैंक की टीयर-I की पूँजी के लिए पात्र हैं।

(ग) यथा 31 मार्च, 2009 को टीयर-II पूँजी के रूप में जुटाये गये और बकाया गौण ऋण की राशि : कुछ नहीं (गत वर्ष : कुछ नहीं)

(घ) जोखिम भारित आस्तियाँ-

(बिलियन रुपये)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2009 को	यथा 31 मार्च, 2008 को
(i) तुलन-पत्र में 'शामिल' मदें	246.55	228.08
(ii) तुलन-पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मदें	31.43	29.95

(ङ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारित का स्वरूप : भारत सरकार द्वारा पूर्णत: अभिदत्त ।

- जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात और अन्य मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।

5. यथा 31 मार्च, 2009 को आस्ति-गुणवत्ता और ऋण-संकेन्द्रण

(क) निवल ऋणों और अग्रिमों की तुलना में गैर-निष्पादक आस्तियों की प्रतिशतता : 0.23 (गत वर्ष 0.29)

(ख) निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों की राशि और प्रतिशतता :

(बिलियन रुपये)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2009 को		यथा 31 मार्च, 2008 को	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
अवमानक आस्तियाँ	0.21	0.06	0.41	0.14
संदिग्ध आस्तियाँ	0.58	0.17	0.42	0.15
हानि आस्तियाँ	–	–	–	–
योग	0.79	0.23	0.83	0.29

(ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए किए गए प्रावधान :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2008-09	2007-08
मानक आस्तियाँ	3.88	1.44
अनर्जक आस्तियाँ	0.76	1.13
निवेश (जो अग्रिम के स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप के हैं)	(0.22)	0.54
आयकर	2.08	2.00

(घ) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2008-09	2007-08
वर्ष के आरंभ में निवल अनर्जक-आस्तियाँ	0.83	1.15
जोडें : वर्ष के दौरान अनर्जक-आस्तियाँ	0.44	0.41
घटाएं : वर्ष के दौरान वसूलियाँ / कोटि उन्नयन	0.48	0.73
वर्ष की समाप्ति पर निवल अनर्जक-आस्तियाँ	0.79	0.83

(ङ) अनर्जक-आस्तियों (जिसमें ऋण, बाँड और अग्रिम के रूप में डिबेंचर और अंतर-कंपनी जमा राशियाँ शामिल हैं) के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

(बिलियन रुपये)

विवरण	2008-09	2007-08
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	3.75	3.88
जोडें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.76	1.13
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना / पुनरांकन	1.02	1.26
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	3.49	3.75

(च) आस्ति पुनर्निर्माण हेतु वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

क्रम सं.	विवरण	2008-09	2007-08
(i)	खातों की संख्या	0	2
(ii)	प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	–	0.52 बिलियन रुपये
(iii)	कुल प्रतिफल	–	0.59 बिलियन रुपये
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में स्थानांतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	0.15 बिलियन रुपये	0.20 बिलियन रुपये
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ	–	0.01 बिलियन रुपये

- ''पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई आस्तियों'' को भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डी बी ओ डी सं. एफ आई डी.एफ आई सी. 2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 1 जुलाई, 2006 और उसके बाद के दिशा-निर्देशों में परिभाषित अनुसार हिसाब में लिया गया है।

(छ) अनर्जक निवेश

(बिलियन रुपये)

विवरण	2008-09	2007-08
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	0.29	0.38
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	0.06	0.09
वर्ष के दौरान घटाई गई राशियाँ	0.00	0.18
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	0.35	0.29
धारित कुल प्रावधान	0.30	0.24

(ज) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

(बिलियन रुपये)

विवरण	2008-09	2007-08
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	1.45	0.91
जोड़ें :		
(i) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	(0.22)	0.54
(ii) वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे से विनियोग, यदि कोई है	–	–
घटाएं :		
(i) वर्ष के दौरान बट्टा खाता	–	–
(ii) निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे में अंतरण, यदि कोई है	–	–
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	1.23	1.45

(ठ) वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान की गई कंपनी ऋण पुनर्संरचना :

(बिलियन रुपये)

श्रेणी	विवरण	सी डी आर प्रणाली	एस एम ई प्रणाली	अन्य
पुनर्संरचित की गई मानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	6	5	8
	बकाया राशि	1.86	0.33	3.81
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.17	–	0.03
पुनर्संरचित की गई अवमानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	–	–
	बकाया राशि	–	–	–
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
पुनर्संरचित की गई संदिग्ध आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	–	1
	बकाया राशि	–	–	0.13
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
कुल	खातों की संख्या	6	5	9
	बकाया राशि	1.86	0.33	3.94
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.17	–	0.03

टिप्पणी : यथा 31 मार्च, 2009 को 14 उधारकर्ताओं के आवेदन पुनर्संरचना के लिए प्राप्त हुए जिनके अंतर्गत कुल राशि 2.82 बिलियन रुपये है ।

गत वर्ष (वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान पुनर्संरचित खातों का विवरण)

(बिलियन रुपये)

श्रेणी	विवरण	सी डी आर प्रणाली	एस एम ई प्रणाली	अन्य
पुनर्संरचित की गई मानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	2	–	–
	बकाया राशि	0.58	–	–
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.04	–	–
पुनर्संरचित की गई अवमानक आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	–	–
	बकाया राशि	–	–	–
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
पुनर्संरचित की गईसंदिग्ध आस्तियाँ	खातों की संख्या	–	1	1
	बकाया राशि	–	0.04	0.16
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	–	–	–
कुल	खातों की संख्या	2	1	1
	बकाया राशि	0.58	0.04	0.16
	बलिदान राशि (उचित मूल्य में कमी)	0.04	–	–

(ड) ऋण सहायता :

विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशतता*	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता @	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	21.11**	1.37	1.86
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	44.47	2.88	3.93
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	132.94	8.61	11.74
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	189.57	12.27	16.75

* यथा 31 मार्च, 2008 को पूँजी निधियाँ

** यू एस डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य अवमूल्यन के कारण वर्ष 2008-09 के दौरान यू एस डॉलर की तुलना में जोखिम में 1.65 मिलियन यू एस डॉलर की कमी हुई है। यथा 31 मार्च, 2008 को उसी उधारकर्ता को ऋण जोखिम पूँजी निधियों (यथा 31 मार्च, 2007) का 19.35% रहा ।

गत वर्ष :

विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशतता*	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता @	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	19.85	1.33	1.93
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	48.67	3.26	4.74
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	147.02	9.83	14.32
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	222.50	14.88	21.67

* यथा 31 मार्च, 2007 को पूँजी निधियाँ

@ कुल ऋण सहायता : ऋण + अग्रिम राशियाँ + उपयोग न की गई मंजूरियाँ + गारंटियाँ + डेरीवेटिव्स के कारण ऋण जोखिम।

1) बैंकों और समुद्रपारीय संस्थाओं को प्रदान किए गए ऐसे ऋण, जिनकी गारंटी भारत सरकार ने दी है, उन्हें उनके आदेशानुसार दिया गया माना गया है, अत: उन पर एकल/समूह उधारकर्ता के रूप में विचार नहीं किया गया है।

2) वर्ष 2008-09 के दौरान पूँजी निधियों के 15% से अधिक निवेश वाले दो उधारकर्ता थे जिनके लिए बोर्ड/प्रबंधन समिति का अनुमोदन लिया गया था। यथा 31 मार्च, 2009 को उधारकर्ता को कुल ऋण-राशि, बैंक की पूँजी निधियों का 21.11% तथा 16.84% थी।

3) वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान केवल एक ऐसा उधारकर्ता समूह था, जिसके लिए ऋण सहायता की सीमा पूँजी निधियों के 40% से अधिक थी जिसके लिए बोर्ड/प्रबंधन समिति का अनुमोदन लिया गया था। यथा 31 मार्च, 2009 को इस उधारकर्ता समूह को कुल ऋण-राशि, बैंक की पूँजी निधियों का 44.47% थी।

(ढ) पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण सहायता :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियाँ की तुलना में प्रतिशतता
i) वस्त्र/परिधान	13.07	11.60
ii) धातु और धातु प्रसंस्करण	9.66	8.57
iii) रसायन एवं रंजक	8.47	7.51
iv) औषधि एवं दवाइयाँ	7.46	6.62
v) इंजीनियरी माल	6.82	6.05

गत वर्ष :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियाँ की तुलना में प्रतिशतता
i) वस्त्र/परिधान	12.60	12.87
ii) रसायन एवं रंजक	7.85	8.01
iii) निर्माण	7.49	7.65
iv) धातु और धातु प्रसंस्करण	7.35	7.50
v) पूँजीगत माल	7.34	7.49

- 'ऋण सहायता' की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
  बैंकों को ऋण सहायता और समुद्रपारीय सत्ताओं की ऋण-व्यवस्थाएँ / क्रेता-ऋण को, इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(ण) गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में निर्गमकर्ता वर्ग :

(बिलियन रुपये)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि	राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की राशि	"निवेश कोटि से कम स्तर" की धारित प्रतिभूतियाँ	धारित-दर निर्धारित न की गई प्रतिभूतियाँ	"असूचीबद्ध" प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.05	–	–	0.05	0.05
2	वित्तीय संस्थाएँ	3.31	3.07	–	0.24	3.31**
3	बैंक	0.25	0.15	–	0.10	0.10
4	निजी कंपनियाँ	6.84	6.03	–	3.99	3.16*
5	अनुषंगी कंपनियां / संयुक्त उद्यम	–	–	–	–	–
6	अन्य	3.99	–	–	–	–
7	# मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान	0.70	–	–	–	–
	कुल	14.44	9.25	–	4.38	6.62

किए गए प्रावधान की कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है।

* इसमें से 2.32 बिलियन रुपये ए आर सी आई एल द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तथा 0.76 बिलियन रुपये ऋण की पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश किए गए हैं।

** जिनमें से 3.07 बिलियन रुपये की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से यू एस डॉलर / भारतीय रुपये के स्वैप संव्यवहारों से प्राप्त है।

उक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं है।

गत वर्ष :

(बिलियन रुपये)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि	राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की राशि	''निवेश कोटि से कम स्तर'' की धारित प्रतिभूतियाँ	धारित-दर निर्धारित न की गई प्रतिभूतियाँ	''असूचीबद्ध'' प्रतिभूतियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.05	–	–	0.05	0.05
2	वित्तीय संस्थाएँ	3.41	3.17	–	0.24	3.41**
3	बैंक	0.25	0.15	–	0.10	0.10
4	निजी कंपनियाँ	6.75	5.91	–	4.25	3.41*
5	सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम	–	–	–	–	–
6	अन्य	3.81	–	–	0.06	0.06
7	# मूल्य में कमी के लिए धारित प्रावधान	0.84	–	–	–	–
	कुल	14.27	9.23	–	4.70	7.03

\# किए गए प्रावधान की कुल राशि को ही कॉलम 3 में दिखाया गया है।

* इसमें से 2.47 बिलियन रुपये ए आर सी आई एल द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तथा 0.81 बिलियन रुपये ऋण की पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश किए गए हैं।

** जिनमें से 3.17 बिलियन रुपये की राशि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से यू एस डॉलर / भारतीय रुपये के स्वैप संव्यवहारों से प्राप्त हुई।

उक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं है।

6. चल निधि

(क) रुपया आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप; और

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप।

(बिलियन रुपये)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	169.85	68.64	86.03	26.91	32.30	383.73
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	99.02	61.27	61.83	18.37	53.51	294.00
कुल आस्तियाँ	268.87	129.91	147.86	45.28	85.81	677.73
रुपया देयताएँ	166.03	58.32	63.83	10.01	61.17	359.36
विदेशी मुद्रा देयताएँ	97.83	61.00	61.60	18.30	53.15	291.88
कुल देयताएँ	263.86	119.32	125.43	28.31	114.32	651.24

गत वर्ष : (बिलियन रुपये)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	142.06	85.59	57.29	35.72	40.88	361.54
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	69.09	44.83	46.26	24.78	24.02	208.98
कुल आस्तियाँ	211.15	130.42	103.55	60.50	64.90	570.52
रुपया देयताएँ	127.86	82.81	48.35	15.63	58.78	333.43
विदेशी मुद्रा देयताएँ	68.30	44.61	46.05	24.35	23.69	207.00
कुल देयताएँ	196.16	127.42	94.40	39.98	82.47	540.43

- आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप के लिए आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों का समूहन आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित यथा 31 दिसंबर, 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस.एफ आई डी. सं.सी-11/01.02.00/1999-2000 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट समय-सूमहों में किया गया है।

(ग) रेपो लेन-देन : (बिलियन रुपये)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2009 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	—	13.26	2.03	—

गत वर्ष : (बिलियन रुपये)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2008 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—

7. भारतीय रिज़र्व बैंक के 1 जुलाई, 2008 के दिशा-निर्देश और उसके बाद के दिशा-निर्देशों के अनुसार डेरीवेटिव में जोखिमों प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

1. बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यत: अपने तुलन-पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओ टी सी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरीवेटिव आदि का ही उपयोग करता है।

2. डेरीवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम यथा (i) बाजार जोखिम अर्थात् ब्याज दरों / विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि (ii) ऋण जोखिम अर्थात् प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरीवेटिव नीति लागू है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण आस्ति देयता स्थिति तथा संव्यवहार स्तर पर ही जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप डेरीवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने, नियंत्रण तथा निगरानी उपायों की स्थापना सहित नियामक प्रलेखन तथा लेखा संबंधी मुद्दों को परिभाषित किया गया है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपेन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्रीसेटलमेंट जोखिम सीमाएँ पी वी 01 सीमाएँ आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।

3. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस जो डेरीवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य की देख-रेख करती है।

4. यथा 31 मार्च, 2009 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरीवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से लिया गया है तथा आस्ति-देयता बहियों में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।

5. आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत बकाया वायदा दर संविदाओं में ब्याज दर स्वैप शामिल नहीं हैं जो कि डेरीवेटिव नीति के अनुपालन के संदर्भ में है।

ख) मात्रात्मक प्रकटन

(बिलियन रुपये)

क्रम सं.	विवरण	2008-09		2007-08	
		मुद्रा डेरीवेटिव	ब्याज दर डेरीवेटिव	मुद्रा डेरीवेटिव	ब्याज दर डेरीवेटिव
1	डेरीवेटिव (सांकेतिक मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	110.86	18.47	89.04	18.25
	ख) ट्रेडिंग के लिए	—	—	—	—
2	मार्क-टू-मार्केट स्थितियाँ				
	क) आस्ति (+)	11.01	0.23	11.37	—
	ख) देयता (-)	—	—	—	—
3	ऋण सहायता	16.90	0.27	15.08	0.28
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पी वी 01)				
	क) हेजिंग डेरीवेटिव पर	1.00	0.16	1.05	0.30
	ख) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	—	—	—	—
5	वर्ष के दौरान 100*पी वी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर				
	(i) अधिकतम	1.02	0.29	1.07	0.43
	(ii) न्यूनतम	0.84	0.16	0.96	0.30
	ख) ट्रेडिंग पर				
	(i) अधिकतम	—	—	—	—
	(ii) न्यूनतम	—	—	—	—

(ग) एक्सचेंजों में व्यापार किए गए ब्याज डेरीवेटिव के संबंध में प्रकटन

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की सांकेतिक मूल राशि (लिखत-अनुसार)	कुछ नहीं
2.	यथा 31 मार्च, 2009 को एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि (लिखत-अनुसार)	कुछ नहीं
3.	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव की सांकेतिक मूल राशि बकाया किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत-अनुसार)	कुछ नहीं
4.	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य बकाया किंतु ''हाइली इफेक्टिव'' नहीं (लिखत-अनुसार)	कुछ नहीं

(घ) वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वैप पर प्रकटीकरण (बिलियन रुपये)

क्रम सं.	विवरण	2008-09		2007-08	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वैप करारों का मूल सांकेतिक मूल्य	18.4744	—	18.2456	—
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	0.0156	—	0.0059	—
3.	स्वैप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	—	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	—
4.	स्वैप बही का सही मूल्य	0.2336	—	0.0008	—

स्वैप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्ति-देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

8. परिचालनात्मक परिणाम

क्रम सं.	विवरण	2008-09	2007-08
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.75	7.57
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.80	1.19
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन-लाभ	2.36	2.33
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	1.18	1.04
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ (मिलियन रुपये)	20.58	15.00

- परिचालनात्मक परिणामों के लिए कार्यशील निधियों तथा कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत में, अनुवर्ती छमाही के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के अंत में, आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है। ('कार्यशील निधियाँ' कुल आस्तियों से संबंधित हैं)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना करने के लिए सभी संवर्गों में सभी पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों को हिसाब में लिया गया है।

9. अचल आस्तियों के विवरण

अचल आस्तियों के विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक-10 के अनुसार नीचे दिए गए हैं।

(बिलियन रुपये)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2008 को लागत	1.11	0.39	1.50
परिवर्द्धन	0.19	0.03	0.22
निपटान	0.00	0.01	0.01
यथा 31 मार्च, 2009 को लागत (क)	1.30	0.41	1.71
मूल्यह्रास			
यथा 31 मार्च, 2008 को संचित	0.39	0.35	0.74
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.06	0.03	0.09
निपटान पर समाप्त	0.00	0.01	0.01
यथा 31 मार्च, 2009 को संचित (ख)	0.45	0.37	0.82
निवल ब्लॉक (क-ख)	0.85	0.04	0.89

गत वर्ष :

(बिलियन रुपये)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2007 को लागत	1.11	0.37	1.48
परिवर्द्धन	0.00	0.02	0.02
निपटान	0.00	0.00	0.00
यथा 31 मार्च, 2008 को लागत (क)	1.11	0.39	1.50
मूल्यह्रास			
यथा 31 मार्च, 2007 को संचित	0.34	0.33	0.67
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.05	0.02	0.07
निपटान पर समाप्त	0.00	0.00	0.00
यथा 31 मार्च, 2008 को संचित (ख)	0.39	0.35	0.74
निवल ब्लॉक (क-ख)	0.72	0.04	0.76

10. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समीकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

11. खंड रिपोर्टिंग

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत रिपोर्ट किये जाने योग्य खंड नहीं हैं क्योंकि, बैंक के परिचालन में प्रमुखत: एक खंड अर्थात् थोक वित्तीय कार्यकलाप ही शामिल हैं।

12. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 संबंधित पक्षकार प्रकटन के अनुसार बैंक के संबंधित पक्षकारों को नीचे प्रकट किया गया है :

- संबंध

(i) संयुक्त उद्यम :
- ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट कन्सल्टेंट्स लिमिटेड (जी पी सी एल)

(ii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :
- श्री टी.सी. वेंकट सुब्रमणियन, अध्यक्ष, जी पी सी एल

- बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियां तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है :

(मिलियन रुपये)

विवरण	संयुक्त उद्यम 2008-09	संयुक्त उद्यम 2007-08
मंजूर ऋण	—	—
प्राप्त ब्याज	—	4.47
प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान	—	—
स्वीकार की गई जमा राशियाँ	7.06	4.26
सावधि जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज	0.45	0.18
बट्टाकृत / अपलेखीकृत की गई राशि	—	—

वर्ष के अंत में बकाया ऋण राशि : शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये)

वर्ष के दौरान बकाया निवेश राशि : 2.60 मिलियन रुपये (गत वर्ष 2.60 मिलियन रुपये)

वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम ऋण राशि : शून्य (गत वर्ष 1,000.00 मिलियन रुपये)

- वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये गये भारतीय रिज़र्व बैंक का यथा 29 मार्च, 2003 का परिपत्र डी बी ओ डी सं. बी पी.बी सी. 89 / 21.04.018 / 2002-03 ऐसे लेन-देनों के प्रकटन को शामिल नहीं करता है, जहां किसी भी श्रेणी में सिर्फ एक संबंधित पक्षकार (अर्थात् प्रमुख प्रबंध कार्मिक) है।

13. आय पर कर का लेखांकन

(क) चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान का विवरण :

	(मिलियन रुपये)
(i) आय पर कर	2776.60
(ii) फ्रिंज बेनिफिट कर	5.61
	2782.21
(iii) घटाएँ : वापस की गई निवल आस्थगित कर देयता	704.98
	2077.23

(ख) आस्थगित कर आस्ति :

प्रमुख मदों के संदर्भ में आस्थगित कर देयताओं तथा आस्तियों का संगठन नीचे दिया गया है :

(मिलियन रुपये)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर आस्तियाँ	
1. अस्वीकार्य प्रावधान (निवल)	1859.65
2. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	33.68
घटाएँ : आस्थगित कर देयताएँ	1893.33
1. बाँड निर्गम खर्च का परिशोधन	149.60
2. धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिज़र्व	1248.08
	1397.68
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ [तुलन-पत्र के 'आस्तियाँ' पक्ष में 'अन्य आस्तियों' में शामिल]	495.65

14. संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था	देश	धारिता का प्रतिशत	
		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट कन्सल्टेंट्स लिमिटेड	भारत	26%	26%

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में हित से संबंधित आस्तियों, देयताओं और आय तथा व्यय की कुल राशि निम्नलिखित है :

(मिलियन रुपये)

देयताएँ	2008-09	2007-08	आस्तियाँ	2008-09	2007-08
पूँजी एवं आरक्षित निधियाँ	10.46	9.54	अचल आस्तियाँ	0.28	0.06
ऋण	0.00	0.00	निवेश	4.87	4.42
अन्य देयताएँ	4.91	3.86	अन्य आस्तियाँ	10.22	8.92
कुल	15.37	13.40	कुल	15.37	13.40

आकस्मिक देयताएँ : शून्य (गत वर्ष शून्य रुपये)

(मिलियन रुपये)

व्यय	2008-09	2007-08	आय	2008-09	2007-08
अन्य व्यय	6.77	5.86	परामर्शी आय	8.78	8.68
प्रावधान	1.22	1.07	ब्याज आय तथा निवेश से आय	0.88	0.31
			अन्य आय	0.01	0.00
			प्रतिलेखित की गई आस्थगित कर देयता	0.00	0.02
कुल	7.99	6.93	कुल	9.67	9.01

15. आस्तियों का अनर्जन

बैंक की आस्तियों में से अधिकांश आस्तियाँ वित्तीय आस्तियाँ हैं जिन पर 'आस्तियों के अनर्जन' संबंधी लेखामानक-28 लागू नहीं होता है। बैंक के मत से यथा 31 मार्च, 2009 को आस्तियों का कोई अनर्जन नहीं हुआ है जिससे इस लेखा मानक के अंतर्गत प्रावधान किया जाए।

16. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संगठन द्वारा कर्मचारी लाभों पर, यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखामानक-15 को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है जिसमें तुलन-पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) बैंक के तुलन-पत्र में हिसाब में ली गई राशि

(मिलियन रुपये)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
निधिक देयताओं का वर्तमान मूल्य	150.19	36.34
आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	(136.82)	(37.33)
गैर-निधिक देयताओं का सही मूल्य	—	—
हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	—	—
आस्ति के रूप में हिसाब में न ली गई राशि	—	—
निवल देयता	13.37	(0.99)

ख) बैंक के लाभ-हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

(मिलियन रुपये)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
वर्तमान सेवा लागत	6.89	2.42
परिभाषित लाभ देयता पर ब्याज	10.64	2.80
आयोजनागत आस्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	(9.16)	(2.52)
निवल उपचय गत हानि/(लाभ) वर्ष के दौरान	8.30	(1.26)
विगत सेवा लागत	—	—
''कटौतियों और निस्तारणों'' पर हानि/(लाभ)	—	—
अधिग्रहणों/विनिवेशों पर हानि/(लाभ)	—	—
कुल ''कर्मचारी लाभ खर्च'' में शामिल	16.67	1.44
नियोक्ता द्वारा योगदान	3.70	—

क) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि	ग्रैच्युटी
बट्टा ब्याज (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल (प्रति वर्ष)	7.50%	7.50%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ने वर्ष 2008-2009 के लिए निधिक देयताओं के वर्तमान मूल्य में वृद्धि के लिए तुलन-पत्र में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार छुट्टी नकदीकरण के लिए 4.37 मिलियन रुपये का प्रावधान किया है, तदनुसार छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ देयता 25.54 मिलियन रुपये हो गई है।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 1.70 मिलियन रुपये की राशि का योगदान कर्मचारियों के लाभार्थ भविष्य निधि खाते में किया गया है।

17. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है। जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पहली बार प्रकटन किए गए हैं, वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ें नहीं दिए गए हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

एस.आर. राव
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एन. शंकर
कार्यपालक निदेशक

डॉ. अरविंद विरमानी
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
श्री जी. के. पिल्लई
श्रीमती रवनीत कौर
डॉ. के. सी. चक्रबर्ती
श्री एन. रवि
श्री ए. वी. मुरलीधरन
निदेशक गण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बाटलीबोई एंड पुरोहित
सनदी लेखाकार

(अतुल मेहता)
साझेदार (एम. सं. 15935)

नई दिल्ली
दिनांक : 19 मई, 2009

संगठन संरचना

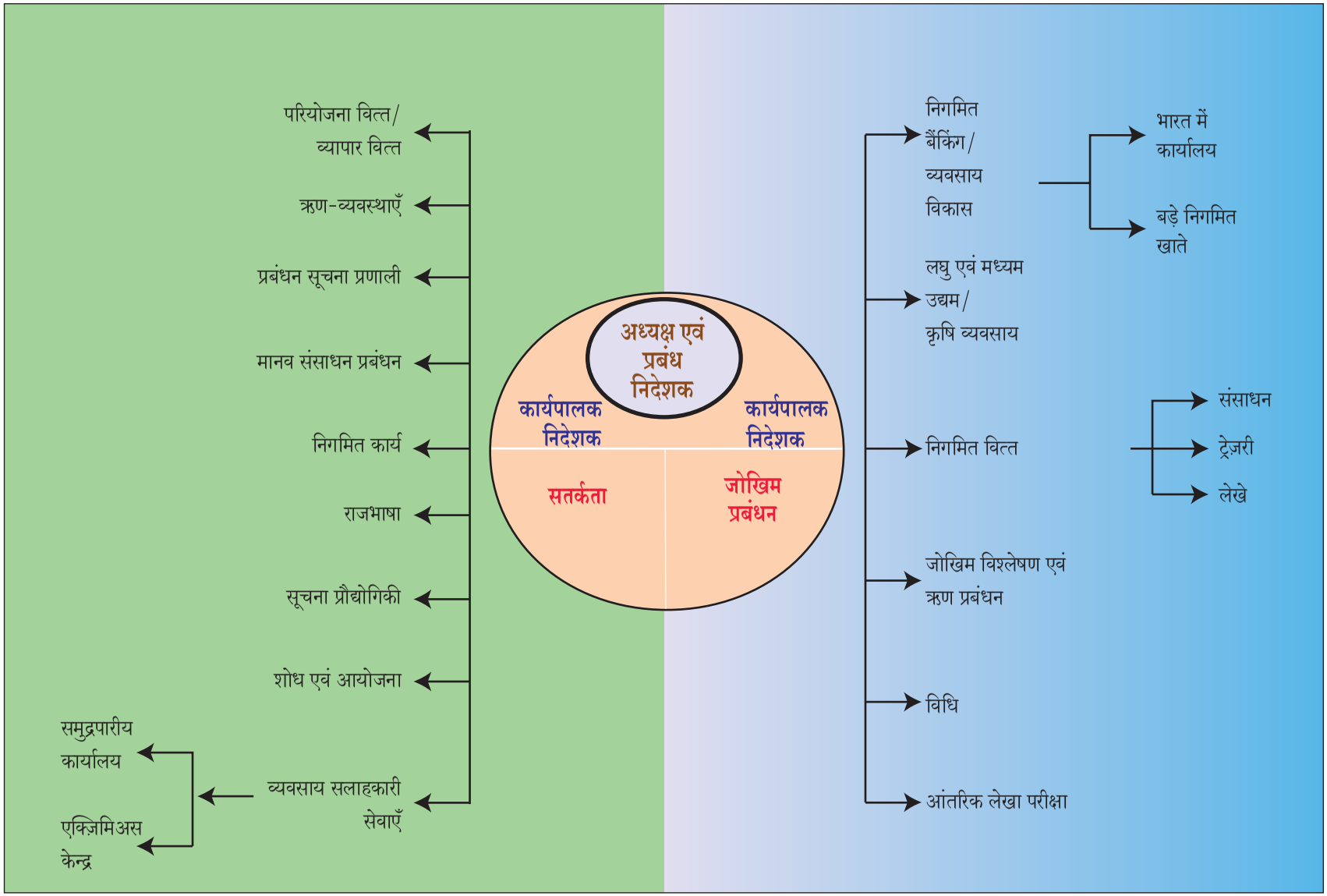
परियोजना वित्त/
व्यापार वित्त
ऋण-व्यवस्थाएँ
प्रबंधन सूचना प्रणाली
मानव संसाधन प्रबंधन
निगमित कार्य
राजभाषा
सूचना प्रौद्योगिकी
शोध एवं आयोजना
व्यवसाय सलाहकारी सेवाएँ
समुद्रपारीय कार्यालय
एक्ज़िमिअस केन्द्र
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कार्यपालक निदेशक
कार्यपालक निदेशक
सतर्कता
जोखिम प्रबंधन
निगमित बैंकिंग/ व्यवसाय विकास
भारत में कार्यालय
बड़े निगमित खाते
लघु एवं मध्यम उद्यम/ कृषि व्यवसाय
निगमित वित्त
संसाधन
ट्रेज़री
लेखे
जोखिम विश्लेषण एवं ऋण प्रबंधन
विधि
आंतरिक लेखा परीक्षा

एक्ज़िम बैंक का प्रमुख संसाधन : इसकी मानव पूँजी
Exim Bank's Key Resource: Its Human Capital

प्रबंधन दल / Management Team

बाँएं से बैठे हुए:
सी. पी. रवींद्रनाथ, मुख्य महाप्रबंधक
जॉन मैथ्यू, मुख्य महाप्रबंधक
प्रभाकर दलाल, मुख्य महाप्रबंधक
एस. आर. राव, कार्यपालक निदेशक
टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एन. शंकर, कार्यपालक निदेशक
आर. डब्ल्यू. खन्ना, मुख्य महाप्रबंधक
के. मुत्थुकुमारन, मुख्य महाप्रबंधक
डेविड रस्किन्हा, मुख्य महाप्रबंधक

Sitting from left:
C.P. Ravindranath, Chief General Manager
John Mathew, Chief General Manager
Prabhakar Dalal, Chief General Manager
S.R. Rao, Executive Director
T.C. Venkat Subramanian, Chairman & Managing Director
N. Shankar, Executive Director
R.W. Khanna, Chief General Manager
K. Muthukumaran, Chief General Manager
David Rasquinha, Chief General Manager

बाँएं से खड़े हुए:
नदीम पंजेतन, महाप्रबंधक
टी. वी. राव, महाप्रबंधक
डेविड सिनाटे, महाप्रबंधक
एस. श्रीनिवास, महाप्रबंधक
दया चंद्रहास, महाप्रबंधक
सुनीता सिंदवानी, महाप्रबंधक
संगीता शर्मा, महाप्रबंधक
मुकुल सरकार, महाप्रबंधक
ए. नित्यानंदम, महाप्रबंधक
सैम्युअल जोसेफ, महाप्रबंधक
प्रहलादन एस. अय्यर, महाप्रबंधक

Standing from left:
Nadeem Panjetan, General Manager
T. V. Rao, General Manager
David Sinate, General Manager
S. Srinivas, General Manager
Daya Chandrahas, General Manager
Sunita Sindwani, General Manager
Sangeeta Sharma, General Manager
Mukul Sarkar, General Manager
A. Nithiyanandam, General Manager
Samuel Joseph, General Manager
Prahalathan S. Iyer, General Manager

क्षेत्रीय प्रमुख

Regional Heads

भारत स्थित कार्यालय

Indian Offices

अहमदाबाद
रिकेश चंद
Ahmedabad
Rikesh Chand

बैंग्लोर
रविदास प्यागे
Bangalore
Ravidas Pyage

चेन्नै
टी. डी. सिवाकुमार
Chennai
T. D. Sivakumar

गुवाहाटी
शॉनली लिटिंग
Guwahati
Shonly Litting

हैदराबाद
एम. श्रीनिवास राव
Hyderabad
M. Srinivasa Rao

कोलकाता
सौमार सोनोवाल
Kolkata
Saumar Sonowal

मुंबई
मेघना जोगलेकर
Mumbai
Meghana Joglekar

नई दिल्ली
सुनील त्रिखा
New Delhi
Sunil Trikha

पुणे
लोकेश कुमार
Pune
Lokesh Kumar

विदेश स्थित कार्यालय

Overseas Offices

डकार
ओ'नील राणे
Dakar
O'Neil Rane

दुबई
निर्मित वेद
Dubai
Nirmit Ved

डर्बन
विनोद गोयल
Durban
Vinod Goel

लंदन
गौरव भंडारी
London
Gaurav Bhandari

सिंगापुर
दीपाली अग्रवाल
Singapore
Deepali Agrawal

वॉशिंग्टन डी. सी.
तरुण शर्मा
Washington D. C.
Tarun Sharma

एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संवर्द्धन करना है। यह प्रतीक चिन्ह इस उद्देश्य को प्रकट करता है। इस प्रतीक चिन्ह का दोतरफा वैशिष्ट्य है। आयात से संबंधित भुजा निर्यात वाली भुजा से पतली है। यह चिन्ह निर्यातों में मूल्य योजन के उद्देश्य को भी प्रकट करता है।

The Exim Bank aims to promote India's international trade. The Logo reflects this.The Logo has a two-way significance. The import arrow is thinner than the export arrow. It also reflects the aim of value addition to exports.

उद्देश्य

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना '' देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है...''

: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981.

Objectives

The Export-Import Bank of India was established "for providing financial assistance to exporters and importers, and for functioning as the principal institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade ..."

: The Export-Import Bank of India Act, 1981.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

मुख्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005.
फोन: (022) 22172600 फैक्स: (022) 22182572
ई-मेल : cag@eximbankindia.in वेबसाइट : www.eximbankindia.in

HEADQUARTERS

Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005.
Phone: (022) 22172600 Fax: (022) 22182572
E-Mail : cag@eximbankindia.in Website : www.eximbankindia.in

कार्यालय OFFICES

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
साकार II,पहली मंज़िल,
एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के आगे,
एलिसब्रिज पी. ओ., अहमदाबाद 380 006.
फोन : (079) 26576852/43
फैक्स : (079) 26578271
ई-मेल : eximahro@eximbankindia.in

बैंगलोर
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल,
18, एम. जी. रोड, बैंगलूर 560 001.
फोन : (080) 25585755/25589101-04
फैक्स : (080) 25589107
ई-मेल : eximbro@eximbankindia.in

चेन्नै
यू टी आइ हाउस,पहली मंज़िल,
29,राजाजी साल्वै, चेन्नै 600 001.
फोन : (044) 25224714/49
फैक्स : (044) 25224082
ई-मेल : eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी
चौथी मंज़िल, सन्मति प्लाजा,
सेंटिनेल बिल्डिंग के पास,
जी.एस. रोड, गुवाहाटी 781 005.
फोन : (0361) 2462951 / 2450618
फैक्स : (0361) 2462925
ई-मेल : eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल,
6-3-639/640, राज भवन रोड,
खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500 004.
फोन : (040) 23307816-21
फैक्स : (040) 23317843
ई-मेल : eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता
वाणिज्य भवन (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र),
चौथी मंज़िल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016.
टेली. : (033) 22833419/22833420
फैक्स : (033) 22891727
ई-मेल : eximkro@eximbankindia.in

मुंबई
मेकर चेंबर्स IV, आठवीं मंज़िल,
222, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.
फोन : (022) 22823320/92/94
फैक्स : (022) 22022132
ई-मेल : eximwrro@eximbankindia.in

नई दिल्ली
तल मंज़िल, स्टेट्समैन हाउस,
148, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110 001.
फोन : (011) 23326625/6254
फैक्स : (011) 23322758/23321719
ई-मेल : eximndro@eximbankindia.in

पुणे
44, शंकरशेठ रोड, पुणे 411 037.
फोन : (020) 26403000
फैक्स : (020) 26458846
ई-मेल : eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थिति कार्यालय

डकार
पहली मंज़िल, 7, रूए फेलिक्स फाउरे,
बी. पी. 50666, डकार, सेनेगल
फोन : (00 221 33) 8232849
फैक्स : (00 221 33) 8232853
ई-मेल : eximdakar@eximbankindia.in

दुबई
लेवल 5, टेनेंसी 1बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं.3,
दुबई इंटरनेशनल फाइनेंसियल सेंटर,
पो ओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, यू ए ई
फोन : (00 97 14) 3637462
फैक्स : (00 97 14) 3637461
ई-मेल : eximdubai@eximbankindia.in

डर्बन
सुइट 177, एल्ड्रोवांडे पैलेस,
6, जुबिली ग्रोव, उम्हाँलांगा,रॉक्स, 4320,
डर्बन, दक्षिण अफ्रीका
फोन : (00 21 31) 5846118 / 19
फैक्स : (00 21 31) 5846117
ई-मेल : eximdurban@eximbankindia.in

लंदन
88/90, टेम्पल चेंबर्स, 3-7, टेम्पल एवेन्यु,
लंदन इ सी 4 वाय ओ एच पी, यूनाइटेड किंगडम,
फोन : (00 44) 20 73538830
फैक्स : (00 44) 20 73538831
ई-मेल : eximlondon@eximbankindia.in

सिंगापुर
20, कोलियर की, # 10-02, तुंग सेंटर,
सिंगापोर 049319.
फोन : (00 65) 65326464
फैक्स : (00 65) 65352131
ई-मेल : eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंग्टन डी.सी.
1750 पेनसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू,
सूट 1202, वाशिंग्टन डी. सी. 20006,
संयुक्त राज्य अमेरिका.
फोन : (00 1) 202 2233238
फैक्स : (00 1) 202 7858487
ई-मेल : eximwashington@eximbankindia.in

INDIAN OFFICES

Ahmedabad
Sakar II, Floor 1,
Next to Ellisbridge Shopping
Centre, Ellisbridge P.O.,
Ahmedabad 380 006.
Phone : (079) 26576852/43
Fax : (079) 26578271
E-mail : eximahro@eximbankindia.in

Bangalore
Ramanashree Arcade, Floor 4,
18, M. G. Road, Bangalore 560 001.
Phone : (080) 25585755/25589101-04
Fax : (080) 25589107
E-mail : eximbro@eximbankindia.in

Chennai
UTI House, Floor 1,
29, Rajaji Salai, Chennai 600 001.
Phone : (044) 25224714/49
Fax : (044) 25224082
E-mail : eximchro@eximbankindia.in

Guwahati
Sanmati Plaza, Floor 4,
Near Sentinel Building,
G. S. Road, Guwahati 781 005.
Phone : (0361) 2462951/2450618
Fax : (0361) 2462925
E-mail : eximgro@eximbankindia.in

Hyderabad
Golden Edifice, Floor 2,
6-3-639/640, Raj Bhavan Road,
Khairatabad Circle, Hyderabad 500 004.
Phone : (040) 23307816-21
Fax : (040) 23317843
E-mail : eximhro@eximbankindia.in

Kolkata
Vanijya Bhawan, Floor 4,
(International Trade Facilitation Centre),
1/1 Wood Street, Kolkata 700 016.
Tel : (033) 22833419/22833420
Fax : (033) 22891727
E-mail : eximkro@eximbankindia.in

Mumbai
Maker Chambers IV, Floor 8,
222, Nariman Point, Mumbai 400 021.
Phone : (022) 22823320/92/94
Fax : (022) 22022132
E-mail : eximwrro@eximbankindia.in

New Delhi
Ground Floor, Statesman House,
148, Barakhamba Road,
New Delhi 110 001.
Phone : (011) 23326625/6254
Fax : (011) 23322758/23321719
E-mail : eximndro@eximbankindia.in

Pune
44, Shankarseth Road,
Pune 411 037.
Phone : (020) 26403000
Fax : (020) 26458846
E-mail : eximpro@eximbankindia.in

OVERSEAS OFFICES

Dakar
Floor 1, 7, rue Félix Faure, B.P. 50666,
Dakar, Senegal
Phone : (00 221 33) 8232849
Fax : (00 221 33) 8232853
E-mail : eximdakar@eximbankindia.in

Dubai
Level 5, Tenancy 1B, Gate Precinct
Building No.3, Dubai International
Financial Centre,
PO Box No. 506541, Dubai, UAE.
Phone : (00 97 14) 3637462
Fax : (00 97 14) 3637461
E-mail : eximdubai@eximbankindia.in

Durban
Suite 117, Aldrovande Palace,
6, Jubilee Grove,
Umhlanga Rocks, 4320,
Durban, South Africa.
Phone : (00 21 31) 5846118/19
Fax : (00 21 31) 5846117
E-mail : eximdurban@eximbankindia.in

London
88/90, Temple Chambers,
3-7, Temple Avenue,
London EC4Y OHP, United Kingdom.
Phone : (00 44) 20 73538830
Fax : (00 44) 20 73538831
E-mail : eximlondon@eximbankindia.in

Singapore
20, Collyer Quay, # 10-02,
Tung Centre,
Singapore 049319.
Phone : (00 65) 65326464
Fax : (00 65) 65352131
E-mail : eximsingapore@eximbankindia.in

Washington D.C.
1750 Pennsylvania Avenue NW,
Suite 1202, Washington D.C. 20006,
U.S.A.
Phone : (00 1) 202 2233238
Fax : (00 1) 202 7858487
E-mail : eximwashington@eximbankindia.in

संयुक्त उद्यम • ग्लोबल प्रोक्यूरमेंट कंसल्टैंट्स लि., मुंबई, वेबसाट : www.gpcl-e.com

Joint Venture • Global Procurement Consultants Ltd., Mumbai, Website: www.gpcl-e.com